



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122024-259407
CG-DL-E-14122024-259407

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4970]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946

No. 4970]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5369(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है:

जबकि सरकार अप्रबंधित ठोस अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए; चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को लागू करती है; शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल करने वाले नियमों की निगरानी, रिपोर्टिंग और प्रवर्तन को और मजबूत करती है; देश भर में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए; निम्नलिखित प्रारूप नियम पेश करने का प्रस्ताव करती है

चूंकि इसे जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिसके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार में ली जाएगी;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, विहित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- 110 003 को या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पते: sohsmd-mef@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम**अध्याय 1**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-**(1) इन नियमों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 कहा जाएगा;

(2) ये 01 अक्टूबर, 2025 से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये प्रत्येक शहरी निकाय के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय पर भी लागू होंगे, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी संस्थाएं शामिल हैं, चाहे वे सरकारी, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जा रही हों, अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रों/टाउनशिप, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, एसईजेड, फूड पार्कों सहित विशेष अधिसूचित क्षेत्र और रेलवे स्टेशनों, रेलवे पटरियों और रेलवे पटरियों के साथ लगने वाले क्षेत्रों सहित भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बंदरगाहों और हार्बर्स, रक्षा स्थापनाओं, सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों, राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों, तीर्थयात्रियों के स्थानों, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों, सभी भूमि स्वामियों चाहे वह सार्वजनिक हों या निजी, व्यक्तिगत हो या निगमित निकाय जिनके पास भूखंड हैं, परिसंकटमय रसायनों, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन अलग से बनाए गए नियमों के अधीन आते हैं, के सिवाय और प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू होंगे:-

3. **परिभाषाएँ:-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- a. "वातजीवी कम्पोस्टीकरण" से ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- b. "कृषि अवशिष्ट" का अर्थ है कृषि/वागवानी फसल के खेतों या बगीचों से फसलों की कटाई के बाद उत्पन्न फसल अवशिष्ट या फसल अपशिष्ट पदार्थ जैसे पुआल, भूसा आदि।
- c. "अवायुजीवी उपचारण" से ऑक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जैवकीय विघटन अंतर्वलित कोई नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- d. "प्राधिकार" से यथास्थिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अपने विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति या स्थानीय निकाय, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से किसी प्रसुविधा के प्रचालक या स्थानीय निकाय और/या प्राधिकरण, या ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, परिवहन, पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण/निस्तारण के साथ-साथ स्वास्थ्यकर/कार्यात्मकभूभरण की स्थापना, प्रचालन और प्रबंधन के उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण/तृतीय पक्ष को दी गई अनुज्ञा अभिप्रेत है;
- e. "जैविक रूप से अपघटित अपशिष्ट" से ऐसी कोई कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में निम्नीकृत किया जा सकता है;
- f. "जैविक मिथेनीकरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्मजीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमी अपघटन को अपरिहार्य बनाता है;
- g. "ब्रांड स्वामी" से कोई व्यक्ति या कंपनी अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है।
- h. "मध्यवर्ती परिक्षेत्र" से ऐसा विकास रहित परिक्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें 5 टीपीडी से अधिक संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण संबंधी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा।
- i. "भारी मात्रा के अपशिष्ट जनित्र" में निम्नलिखित शामिल हैं-

- (i) मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करने वाली संस्थाओं को यह सुविधा दी जाएगी (i) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवन (ii) प्रतिदिन 5000 लीटर पानी की खपत (iii) प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन

(a) सांस्थानिक उपयोगकर्ता, जिनमें निम्नलिखित के द्वारा अधिगृहित भवन शामिल हैं

- केंद्र सरकार के विभाग या उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम,
- स्थानीय निकाय,
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी कंपनियाँ,
- स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान

(b) वाणिज्यिक उपयोगकर्ता जिनमें शामिल हैं

- रेलवे, बस स्टेशन/डिपो, विमानपत्तन, बंदरगाह सहित वाणिज्यिक स्थापनाएं,
- मॉल, मल्टीप्लेक्स,
- होटल,
- अस्पताल, नर्सिंग होम,
- छात्रावास,
- कृषि और बागवानी उत्पादों, मछली और मांस के लिए "मंडियों" सहित थोक बाज़ार
- स्टेडियम, खेल परिसर,

(c) आवासीय सोसायटी

- j. "उपविधि" से स्थानीय निकाय, जनगणना शहर, और अधिसूचित क्षेत्र टाउनशिप द्वारा अपने अधिकारिता वाले क्षेत्र में इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिसूचित नियामक ढांचा अभिप्रेत है;
- k. "जनगणना नगर" से भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा यथा परिभाषित शहरी क्षेत्र अभिप्रेत है;
- l. "ज्वलनशील अपशिष्ट" से प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरीनीकृत सामग्री को छोड़कर गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-पुनः उपभोग्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका 1500 किलोकैलोरी/किलोग्राम से न्यूनतम कैलोरिफिक मान हो;
- m. "कम्पोस्टीकरण" से जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अंतर्वर्तित की ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- n. "ठेकेदार" से ऐसा व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने के लिए सामग्री या श्रम प्रदान करने की संविदा करता है या करती है;
- o. "सह-प्रसंस्करण" प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने या उन्हें अनूपूरित या दोनों को करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1500 किलोकैलोरी/किलोग्राम से अधिक कैलोरिफिक मूल्य वाले गैर-जैव अवक्रमणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग अभिप्रेत है;
- p. "विकेंद्रित प्रसंस्करण" से जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट और/या बागवानी अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण योग्य सामग्रियों की प्रतिप्राप्ति करना अभिप्रेत है ताकि प्रसंस्करण या निस्तारण के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े;
- q. "निस्तारण" से भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण के उपरांत अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निस्तारण ताकि भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण और जानवरों या पक्षियों के आकर्षण को रोका जा सके, अभिप्रेत है;
- r. "द्वार-द्वार संग्रहण" से घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसर के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अंतर्गत किसी आवास सोसायटी, बहुमंजिला इमारत या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसर या परिसर में प्रवेश द्वार या भूतल पर निर्दिष्ट स्थान से ऐसे अपशिष्ट का संग्रहण करना भी अभिप्रेत है;
- s. "शुष्क अपशिष्ट" से जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट के अलावा अन्य अपशिष्ट और इसमें पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट अभिप्रेत है;
- t. "क्षेपण स्थल" से जिसका स्वास्थ्यकर भूमि भरण के सिद्धांतों का पालन किए बिना ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग की कोई भूमि अभिप्रेत है;
- u. "सुविधा" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण, पुनर्प्राप्ति, भंडारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निस्तारण किया जाता है;
- v. "जुर्माना" से इन नियमों और/या उप-विधियों के निदेशों के अनुपालन न करने पर उप-विधियों के अंतर्गत अपशिष्ट जनित्रों या अपशिष्ट प्रसंस्करण के प्रचालकों और निस्तारण सुविधाओं पर लगाया गया जुर्माना अभिप्रेत है।

- w. "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- x. "प्रहस्तन" के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों की छंटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनर्प्राप्ति, संग्रहण, गौण भंडारण, काटना, गट्टा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण से संबंधित सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;
- y. "बागवानी अपशिष्ट" से पाकौं, उद्यानों, यातायात द्वीपों, सड़क के मध्य क्षेत्रों आदि से निकलने वाला थोक अपशिष्ट, जिसमें घास और लकड़ी के टुकड़े, खरपतवार, लकड़ी के 'भूरे' कार्बन युक्त पदार्थ जैसे छंटाई, शाखाएं, टहनियाँ, लकड़ी के टुकड़े, पुआल या मृत पत्ते और पेड़ की छंटाई शामिल है, जिसे गीले अपशिष्ट के लिए दैनिक संग्रह प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है, अभिप्रेत है;
- z. "निष्क्रिय" से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो जैव अपघटनीय, पुनर्चक्रणीय या दाह नहीं हैं जैसे गली की सफाई तथा सतही नालियों से निकाली गई धूल और गाद भी है;
- aa. "भस्वीकरण" से उच्च तापमान पर अपशिष्टसामग्रियों को तापीय रूप से निम्नीकृत करने के लिए ठोस अपशिष्ट को जलाना या दहन अंतर्वलित इंजीनियरीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- bb. "अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक" के अंतर्गत व्यष्टि, संगम ऐसे या अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों के संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, विक्रय और खरीद में अंतर्वलित हैं;
- cc. "निक्षानितक" से ऐसा द्रव अभिप्रेत है जो ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसता है और उसमें से घुली हुई या निलम्बित सामग्री का सत्व है;
- dd. "स्थानीय निकाय" से अभिप्रेत इन नियमों के प्रयोजन के लिए और जिसके अंतर्गत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, जिला परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड, नगरपालिका परिषद्, नगरपालिका बोर्ड, नगर पंचायत और टाउन पंचायत, जनगणना नगर, अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, पंचायती राज संस्थाएं हैं;
- ee. "सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा" (एमआरएफ) से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है, जहां गीले अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट के अलावा ठोस अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी इकाई द्वारा अस्थायी रूप से संग्रहीत किया जा सकता है ताकि जैव अपघटनीय प्लास्टिक के साथ-साथ कंपोस्टेबल प्लास्टिक सहित एकत्रित अपशिष्ट को अलग करने और छांटने की सुविधा मिल सके और अपशिष्ट के विभिन्न घटकों से पुनर्चक्रणीय और गैर-पुनर्चक्रणीय वस्तुओं को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को स्थानांतरित किया जा सके;
- ff. "अजैविकनिम्नीकरणयोग्य अपशिष्ट" से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर स्थायी यौगिक में निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है;
- gg. "सुविधा का प्रचालक" से ऐसे व्यक्ति या अस्तित्व अभिप्रेत है, जो ऐसे ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन के लिए किसी सुविधा का स्वामी है या प्रचालित करता है, जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय और स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य अस्तित्व या अभिकरण भी है;
- hh. "प्राथमिक संग्रहण" से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्पादन के स्रोत जिसके अंतर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और किसी भी अन्य गैर-आवासीय परिसर भी हैं से या किसी संग्रहण बिंदु या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अवस्थान से संग्रहीत करना, उठाना या हटाना अभिप्रेत है;
- ii. "प्रसंस्करण" से कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रित या नए उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए हथालित करना अभिप्रेत है;
- jj. "पुनर्चक्रण" से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अजैव निम्नीकृत नए पदार्थ या उत्पाद या नए पदार्थ या उत्पाद या नए उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें मूल उत्पादों को समरूप किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा;
- kk. "पुनर्विकास" से जहां विद्यमान भवन और अन्य अवसंरचनाएं जीर्णोद्धार हो गई हैं वहां उसी स्थल पर पुरानी आवासीय या वाणिज्यिक भवनों का पुनर्निर्माण अभिप्रेत है;
- ll. "अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन" (आरडीएफ) से ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गुटिका या रोएं के कप में उत्पादित बाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत है;
- mm. "अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट" से और उसके अंतर्गत ऐसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, जो पुनर्चक्रण या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, से प्राप्त अपशिष्ट और अस्वीकृत भी अभिप्रेत है;

- nn. "स्वास्थ्यकर भूमि भरण" से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट के अंतिम और सुरक्षित निस्तारण और भूजल, सतही जल और क्षणभंगुर वायु धूल, हवा से उड़ा हुआ कूड़ाकरकट, दुर्गंध, अग्नि परिसंकट, पशु खतरे, पक्षी खतरे, नाशकजीवी या कृन्तकों, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता और अपरदन के प्रदूषण के प्रतिसंरक्षात्मक उपायों सहित प्रकल्पित सुविधा में भूमि पर निष्क्रिय अपशिष्ट अभिप्रेत है;
- oo. "स्वास्थ्यकरअपशिष्ट" से प्रयोग किए गए डायपर, स्वास्थ्यकरतैलिए या नैपकिन, टैम्पोन, कंडोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बना अपशिष्ट अभिप्रेत है;
- pp. "स्वास्थ्यकरउत्पाद" से डायपर, स्वास्थ्यकरतैलिए या नैपकिन, टैम्पोन, इनकंटीनेंसशीट्स से मिलकर बना उत्पाद अभिप्रेत है;
- qq. "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- rr. "गौणभंडारण" से प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधा को अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए गौण भंडारण डिपो या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं या आधानों पर संग्रहण के पश्चात ठोस अपशिष्ट का अस्थायी संदूषक अभिप्रेत है;
- ss. "पृथक्करण" से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटकों अर्थात् जैविक निम्नीकरण अपशिष्टजिसमें कृषि और दुग्धपालन अपशिष्ट शामिल हैं, अजैविक निम्नीकरणअपशिष्ट, गैर जैवनिम्नीकरणीय जिसमें पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रण योग्यदाह्योग्य अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर चक्रण योग्य कूड़ाकरकट अपशिष्ट, घरेलू परिसंकटमय तथा संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट शामिल हैं, की छंटाई और पृथक भंडारण अभिप्रेत है;
- tt. "सेवा प्रदाता" से जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकासी आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करने वाले प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;
- uu. "ठोस अपशिष्ट" से ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण और नियम 2 में उल्लिखित अन्य संस्थाओं के अधीन क्षेत्र में उत्पन्न स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई या संग्रह की गई गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट भी अभिप्रेत हैं ;
- vv. "छँटाईकरना" से मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रणयोग्य और गैर -पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे गत्ता, कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच आदि को पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण/निस्तारण सुविधा में पृथक करना अभिप्रेत है;
- ww. "विशेष देखभाल अपशिष्ट" से फेंके गए पेंट के ड्रम, कीटनाशक के डिब्बे या कंटेनर या बोतलें, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर हो चुकी दवाइयां, टूटे हुए पारा थर्मामीटर, बेकार बैटरी, इस्तेमाल की गई/बेकार सुइयां और सिरिज और दूषित पट्टियां, या सीपीसीबी द्वारा समय-समय पर घरेलू स्तर पर अधिसूचित कोई अन्य अपशिष्ट अभिप्रेत है;
- xx. "स्थिरीकरण" से जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट को जैविक अपघटन की स्थायी में परिवर्तित करना अभिप्रेत है जहां वह निक्षालन या अरुचिकर सुगंध उत्पन्न नहीं करता है और कृषि भूमि, मृदा अपरदन नियंत्रण और मृदा उपचार के लिए उपयुक्त है ;
- yy. "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अंतर्गत गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति भी शामिल है;
- zz. "मार्ग विक्रेता" से किसी गली, लेन, पार्श्व पथ, पैदलपथ, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में, किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या स्थान से स्थान घूमकरसाधारण जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, सामानों, खाद्य मद या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में लगे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसके अंतर्गत फेरीवाला, पैकार, आवादकर तथा ऐसे अन्य सभी समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं, भी हैं और "मार्ग विक्रय" शब्दों को उनके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों का अर्थ तदनुकूल समझा जाएगा;
- aaa. "बख्शीश फीस" में स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वाराअधिकृत किसी राज्य अभिकरण द्वारा विहित प्रभार या समर्थन मूल्य अभिप्रेत है, जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा के ग्राही या प्रचालक या भूमिभरण पर ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए अवधारित संदात है;
- bbb. "अंतरण स्थल" से संग्रह क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने को सृजित सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण और या निस्तारण सुविधा को आच्छादित यानों या आधानों में बड़ी मात्रा में परिवहन अभिप्रेत है;

- ccc. "परिवहन" से ठोस अपशिष्ट, चाहे वह उपचारित हो, आंशिक रूप से उपचारित हो या अनुपचारित हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर्यावरणीय रूप से युक्ति युक्त रीति में विशिष्ट रूप से अभिहित और आच्छादित परिवहन प्रणाली जैसे दुर्गंध, कूड़ा-अपशिष्ट और घृणित दशा को रोकने के लिए प्रवहन अभिप्रेत है;
- ddd. "उपचार" से किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संघटन में रूपांतरण की अभिहित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिससे उसके आयतन और क्षितिकारक क्षमता को कम करता है;
- eee. "उपयोक्ताफीस" से ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण सेवाएं उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने में अपशिष्ट जनित्र पर स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित फीस अभिप्रेत है;
- fff. "कृमि कम्पोस्ट" से केंचुओं का प्रयोग करते हुए कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की जैव-निम्नीकरण प्रक्रिया अभिप्रेत है;
- ggg. "अपशिष्ट जनित्र" से और इसके अंतर्गत सम्मिलित से, रेल तथारक्षा स्थापनाओं सहित प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर और गैर आवासीय स्थापनाएं भी हैं, जो ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, अभिप्रेत है;
- hhh. "अपशिष्ट की क्रमबद्धता" से ऐसा प्राथमिकता क्रम अभिप्रेत है जिसके अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और निस्तारण पर बल देकर किया जाना चाहिए, जिसमें निवारण को सर्वाधिक प्राथमिकता और भू-भरण में निस्तारण को न्यूनतम वरीयता का विकल्प होगा;
- iii. "अपशिष्ट चुननेवाला" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अभिप्रेत है जो अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुनः प्रयोज्य और पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और साथ ही पुनर्चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए सड़कों, कूड़ेदानों, प्रसंस्करण और अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं से अपशिष्ट को उठाने में औपचारिक रूप से लगे हुए हैं;
- jjj. "आर्द्र अपशिष्ट" से जैविक अपशिष्ट जिसमें रसोई का अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, सब्जी अपशिष्ट, मांस अपशिष्ट, फलों का अपशिष्ट, फूलों का अपशिष्ट और इसी तरह का अन्य अपशिष्ट शामिल है, अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त जिन शब्दों और पदों का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जो यथासमय पर संशोधित किए गए हैं, में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो संबंधित अधिनियमों में है।

4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.- (1) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अन्य बातों के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट जैसे शुष्क अपशिष्ट, गीला अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट और कृषि-अवशेषों का पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन, साथ ही स्वास्थ्यकर/परिचालन भूमिभरण प्रबंधन और मौजूदा/विरासत अपशिष्ट भरण स्थलों का उपचार शामिल होगा।

अध्याय 2

ठोस अपशिष्ट का पर्यावरणीयरूप से युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन

1. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता-

- ठोस अपशिष्ट से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने या कम करने के उपाय अपनाना;
- उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को चार पृथक-पृथक शाखाओं अर्थात् आर्द्रअपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, स्वास्थ्यकरअपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में पृथक-पृथक करके संग्रहित करना; तथा पृथक्कृत अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट चुननेवालों या अपशिष्टसंग्रहकर्ताओं को सौंपेगा;
- प्रयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपर, स्वास्थ्यकरपैड आदि को इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए थैले में या स्थानीय निकायों/प्राधिकरणों के निर्देशानुसार उपयुक्त लपेटन सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटेंगे और उसे शुष्कअपशिष्ट/गीले अपशिष्ट या विशेष देखभाल अपशिष्ट के लिए बने डिब्बों से अलग स्वास्थ्यकरअपशिष्ट डिब्बे के लिए बने में डालेंगे;
- संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को, जब भी उत्पन्न हो, अपने परिसर में पृथक रूप में भंडारित करेंगे तथा संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार उसका निस्तारण करेंगे;
- अपने परिसर या भूमि से उत्पन्न कृषि अपशिष्ट या उद्यान अपशिष्ट को अपने परिसर में पृथक रूप में भंडारित करें और समय-समय पर स्थानीय निकाय प्राधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उसका निस्तारण करें;
- कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को न फेंके, न जलाएं और न ही गाड़ें, तथा न ही नाली या जलाशयों में फेंके;

- (g) अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता/ऐसी उपयोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (h) उत्पन्न अपशिष्ट के भंडारण के लिए उपयुक्त कंटेनर रखें, जैसे गीला अपशिष्ट जैसे खाद्य अपशिष्ट, नारियल के छिलके, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल, और शुष्क अपशिष्ट जैसे डिस्पोजेबल प्लेट, कप, डिब्बे, रैपर आदि, और अलग किए गए अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को या स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित अपशिष्ट संग्रह वाहनों के माध्यम से सौंपेंगे;
- (i) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले स्थानीय निकाय को सूचित किए बिना किसी भी गैर-अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा; तथा ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजनका आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण हो तथा पृथक किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अभिकरण को सौंप दिया जाए। स्थानीय निकाय ये लाइसेंस देंगे। उत्पन्न अपशिष्ट का निस्तारण इन नियमों के अधीन विहित तरीके से किया जाएगा।
- (j) यह सभी उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी, -
- (i) ठोस अपशिष्ट को पृथक रूप से नष्ट करना;
- (ii) स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा संग्रहण/उपचार/पुनः उपयोग के लिए नियुक्त इकाई को देकर पर्यावरण युक्तियुक्त रीतिसे पुनःचक्रित/प्रसंस्कृत/निस्तारण किया जाए।
- (k) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं करेगा, बशर्ते कि उसकी पहचान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत अधिभोगी के रूप में हो।

(2) इन नियमों के अधिसूचित होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर 5,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी होटल, रेस्तरां, निवासी कल्याण, बाजार संघ और गेट लगे समुदाय तथा संस्थान स्थानीय निकाय के साथ भागीदारी में इन नियमों में यथाविहित जनित्रों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक-पृथक धाराओं में पृथक-पृथक अपशिष्ट के संग्रहण की सुविधा प्रदान करेंगे, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अधिकृत अपशिष्ट उठाने वालों या अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपेंगे। जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट को यथासंभव परिसर के भीतर उर्वरक या जैव-मीथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित और निपटाया जाएगा। अवशिष्ट अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जाएगा।

2. थोक अपशिष्ट जनित्र के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक थोक अपशिष्ट जनित्र ,

- (क) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय के साथ खुद को पंजीकृत करेंगे। पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकरण के वैध बने रहने के लिए आवश्यक शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान दी गई जानकारी और पंजीकरण में निर्दिष्ट शर्तों में कोई भी बदलाव स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा;
- (ख) शुष्क अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट को एकत्रित करने तथा स्थानीय निकाय या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकरण को सौंपने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा;
- (ग) उनके द्वारा उत्पन्न गीले अपशिष्ट और/या बागवानी अपशिष्ट (यदि लागू हो) को उर्वरक या बायोमीथेनीकरण या किसी अन्य अनुमोदित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से एकत्रित करने और संसाधित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा ;
- (घ) सभी नए थोक अपशिष्ट जनित्रों के मामले में, उनके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त क्षमता की बागवानी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं सहित विकेंद्रीकृत गीले अपशिष्ट की स्थापना और प्रचालन करेंगे। मौजूदा थोक अपशिष्ट जनित्रों के मामले में, जो विकेंद्रीकृत गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थापना और प्रचालन करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे थोक अपशिष्ट जनित्रों को उनके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण गीले अपशिष्ट के बराबर गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व (ईबीडब्ल्यूजीआर) प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा;
- (ङ) सीपीसीबी द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार विकेंद्रीकृत उर्वरक बनाने और/या बायोमीथेनेशन सुविधा स्थापना करनी होगी। इन विकेंद्रीकृत उर्वरक बनाने वाली प्रत्येक सुविधा को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्थानीय निकाय के साथ पंजीकृत होना होगा। मौजूदा थोक अपशिष्ट जनित्रों के मामले में, जहाँ उनके परिसर में या उनके नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन उर्वरक बनाने और/या बायोमीथेनेशन सुविधाएँ उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता है, उन्हें स्थानीय निकाय से छूट प्राप्त करनी होगी और गीले अपशिष्ट की उर्वरक बनाने और/या बायोमीथेनेशन के लिए स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष या रियायतकर्ता से संपर्क करना होगा ;
- (च) (i) गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण और (ii) एकत्रित सूखे अपशिष्ट , विशेष देखभाल अपशिष्ट , स्वास्थ्यकर अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत अभिकरण को सौंपने के लिए पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को परिवहन के लिए ठोस अपशिष्ट पर विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व (ईबीडब्ल्यूजीआर) को पूरा करेगा। थोक अपशिष्ट जनित्र

द्वारा उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट के लिए ईबीडब्ल्यूजीआर दायित्व की गणना समय-समय पर आवासन और शहरीकार्य मंत्रालय एमओएचयूए और डीडीडब्ल्यूएस के परामर्श से सीपीसीबी द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर अनुमानित की जाएगी।

(छ) शुष्क अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट के पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से संग्रहण और परिवहन के लिए स्थानीय निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, तथा आगे की प्रक्रिया और उपचार के लिए पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को भेजेगा;

(ज) इन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण न कराने वाली किसी अन्य इकाई के साथ लेन-देन नहीं करेगा;

(i) ईबीडब्ल्यूजीआर दायित्व के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उनके द्वारा उत्पन्न कुल गणना किए गए ठोस अपशिष्ट के लिए ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र का प्रापण भी शामिल है। वार्षिक विवरणीस्थानीय निकायों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के शहरी विकास विभाग को भेजी जाएगी। वार्षिक विवरणीस्थानीय निकाय की वेबस्थल पर वार्षिक आधार पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करायी जाएगी;

(झ) प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उनके द्वारा उत्पन्न गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जानकारी स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर सार्वजनिक डोमेन में वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ट) अपशिष्ट प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को देगा, जिसमें अपशिष्ट संग्रहकर्ता/ चुनने वाले या तीसरे पक्ष या विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के मामले में रियायतग्राही शामिल हैं ;

(ठ) निर्माण के दौरान उनके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को तुरंत साफ करवाएंगे तथा उसे हटाएंगे, तथा निर्माण इकाइयों के मामले में, इन नियमों के अधीन उपबंधों के अनुपालन में उसका उपयोग या उपचार करवाएंगे;

(ड) यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन के दौरान ठोस अपशिष्ट इधर-उधर न बिखरा हो तथा सड़क मार्ग और रेलवे सहित सार्वजनिक परिवहन में लगी संस्थाओं के मामले में, यात्रा के दौरान तथा बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशन पर उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाए;

(प) प्रासंगिक नियमों के अनुसार, आवासीय, सांस्थानिक क्षेत्रों, सामुदायिक सुविधाओं, सड़कों, ट्रांसमिशन लाइनों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और पुनर्विकास सहित निर्माण परियोजनाओं में लगी संस्थाओं या विमानपत्तनों, बस अड्डों या रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग मॉल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के प्रचालन और प्रबंधन में लगे हुए हैं के मामले में विभिन्न श्रेणी के ठोस अपशिष्टों के संग्रह और प्रसंस्करण/निस्तारण के लिए सुविधाओं का विकास और प्रचालन करेंगे;

(फ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल जैव चिकित्सा अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं करेगा, बशर्ते कि उसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत अधिभोगी के रूप में पहचाना गया हो। ऐसे मामलों में, बीडब्ल्यूजीवार्षिक विवरणी दाखिल करते समय, उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और बीएमडब्ल्यूएमआर 2016 के अंतर्गत संग्रहण, उपचार/निस्तारण के लिए अधिकृतबीएमडब्ल्यूटीएफ संस्थाओं को सौंप देगा।

(ब) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस नियम के अंतर्गत सूचीबद्ध उपबंधों का दसवीं अनुसूची में विहित समय-सीमा के अनुसार पालन किया जाए।

3. ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के चालक के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालक,

(क) गीला अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर संबंधी अपशिष्ट, विशेष देखभाल वाला अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं जिनमें डब्ल्यूटीई, सीबीजी, उर्वरक बनाना, भस्मक, सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सुविधाएं शामिल हैं, के मामले में केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करेंगे;

(ख) उपचार मानकों को सुनिश्चित करेगा ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और अनुसूची II में विहित मानकों को पूरा करेगा;

(ग) अगली तिमाही के पहले माह की 15 तारीख तक त्रैमासिक विवरणी और प्रति वर्ष 30 जून तक वार्षिक विवरणी फॉर्म III में संबंधित स्थानीय निकाय को दाखिल करेगा और स्थानीय निकाय आगे की प्रक्रिया से पहले दाखिल विवरणी को मान्य करेगा, प्रसंस्करण के लिए प्राप्त गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट की मात्रा/आयतन के संबंध में, जैसा लागू हो; संसाधित ठोस अपशिष्ट की मात्रा; स्वास्थ्यकर/प्रचालन भूमिभरण में भेजे गए गैर-पुनर्चर्णीय और गैर-ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य शुष्कअपशिष्ट और निष्क्रिय पदार्थों का ब्यौरा; गीले अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट के प्रसंस्करण से उत्पादित जैविक उर्वरक/कंपोस्टकी उपलब्धता, गुणवत्ता और विक्रय/उपयोग; और अन्य प्रासंगिक विवरण आदि आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध कराए जाएंगे और वेबस्थल पर प्रकाशित किए जाएंगे;

(घ) अपशिष्ट प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के मामले में, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या तीसरे पक्ष या रियायतग्राही सहित पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को देगा;

(ड) इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी तकनीकी दिशा-निर्देशों और सीपीएचईईओ, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/डीडीडब्ल्यूएस द्वारा तैयार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल के अनुसार सुविधा को प्रारूपित और स्थापित करेगा;

(च) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(छ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और सीपीएचईईओ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/डीडीडब्ल्यूएस द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर अद्यतन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमपुस्तिका के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और/या उपचार सुविधाओं के सुरक्षित और पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से प्रचालन के लिए जिम्मेदार होगा।

(ज) संस्था की जिम्मेदारी होगी: -

- यह सुनिश्चित करना कि सुविधा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों या दिशानिर्देशों के अनुरूप है;
- यह सुनिश्चित करना कि वह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कोई गतिविधि करती है;
- यह सुनिश्चित करना कि इकाई की किसी भी गतिविधि से उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट का प्रबंधन हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है;
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।

(i) इन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण न कराने वाली किसी अन्य इकाई के साथ संव्यवहार नहीं करेगी।

(झ) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्रचालन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित करना।

4. ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन में शामिल स्थानीय निकाय और/या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत रियायतग्राही/तृतीय पक्ष के कर्तव्य। (1) ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और परिवहन में शामिल प्रत्येक स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत रियायतग्राही/तृतीय पक्ष,

(क) स्वयं को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और/या प्रसंस्करण पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से, सीपीएचईईओ, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमपुस्तिका, सीपीसीबी और डीडीडब्ल्यूएस के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है;

(ग) एकत्रित ठोस अपशिष्ट को पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा या पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपने के लिए उत्तरदायी होंगे;

(घ) इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपे गए अपशिष्ट (शुष्क, गीला, स्वास्थ्यकर संबंधी और विशेष अपशिष्ट) की मात्रा पर स्थानीय निकाय या रियायतग्राही द्वारा दाखिल त्रैमासिक विवरणी के आधार पर थोक अपशिष्ट जनित्रों के लिए विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र तैयार करेगा;

(ड) गीले अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट के खिलाफ विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र केवल पंजीकृत और / या अधिकृत गीले अपशिष्ट उपचार / प्रसंस्करण / पुनर्चक्रण सुविधाओं के बाद ही तैयार किया जाएगा, जिन्हें प्रसंस्करण / उपचार के लिए गीला अपशिष्ट सौंपा जाता है, केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त और संसाधित गीले अपशिष्ट/ बागवानी अपशिष्ट की मात्रा के बारे में विवरण प्रदान करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं;

(च) यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सुविधा जो उनके अपशिष्ट संग्रहण, छंट्टाई, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण का हिस्सा है, सीपीसीबी के मानकों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी, ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई नुकसान न हो;

(छ) स्वयं या पंजीकृत तीसरे पक्ष के माध्यम से गीले अपशिष्ट को पंजीकृत गीला अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा तक, शुष्क अपशिष्ट को पंजीकृत सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा/प्रसंस्करण सुविधा तक, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट को पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता/भस्मक या सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा तक परिवहन सुनिश्चित करेंगे;

(ज) संबंधित स्थानीय निकाय को अगली तिमाही के पहले माह की 15 तारीख तक त्रैमासिक और हर वर्ष 30 जून तक वार्षिक विवरणी दाखिल करेंगे और स्थानीय निकाय अपशिष्ट जनित्र /थोक अपशिष्ट जनित्र से प्राप्त गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट की मात्रा/आयतन के संबंध में आगे की प्रक्रिया से पहले दाखिल विवरणी को मान्य करेगा; प्रत्येक अपशिष्ट जनित्र /थोक अपशिष्ट जनित्र का ब्यौरा जिससे गीला अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, विशेष श्रेणी अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट संग्रह किया जाता है; पंजीकृत और/या अधिकृत अपशिष्ट उपचार/ प्रसंस्करण/रीसाइक्लिंग सुविधाओं का ब्यौरा जिन्हें गीला अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए दिया जाता है

(i) निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होंगे :-

- i. सीपीएचईईओ, आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमपुस्तिका, सीपीसीबी और डीडीडब्ल्यूएस के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ;
- ii. ठोस अपशिष्ट के बिखराव, बह जाने और फैलने को रोकने के लिए उपाय करना, या पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अन्य उपाय करना;
- iii. यह सुनिश्चित करना कि अपशिष्ट जनित्रों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण स्थानीय निकाय द्वारा निर्देशित आवृत्ति के अनुसार किया जाए;
- iv. यह सुनिश्चित करना कि ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन उचित आकार और क्षमता से सुसज्जित हों ताकि गीले अपशिष्ट और सूखे अपशिष्ट के लिए पृथक-पृथक डिब्बे उपलब्ध कराए जा सकें और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट और बागवानी/कृषि अपशिष्ट के पृथक-पृथक संग्रहण के लिए आवश्यक व्यवस्था प्रदान की जा सके;
- v. यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण एवं परिवहन के दौरान अपशिष्ट विधियों का आपस में मिश्रण न हो;
- vi. यह सुनिश्चित करना कि अपशिष्ट प्रवाह तब तक पृथक रहे जब तक कि वह निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा तक न पहुंच जाए;
- vii. यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण एवं परिवहन में शामिल व्यक्ति को उचित पीपीई प्रदान किया गया है और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया है;
- viii. यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण और परिवहन में उपयोग किए जाने वाले वाहनों का रखरखाव अच्छा हो और समय-समय पर उनकी सर्विसिंग की जाए;
- ix. यह सुनिश्चित करना कि सभी वाहनों के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र होना चाहिए;
- x. यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण और परिवहन में लगे बड़े में कम से कम 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए निगरानी उपकरण लगे हों। आवश्यकता के अनुसार, इसे 50,000 से कम आबादी वाले स्थानीय निकायों पर भी लागू किया जा सकता है।

5. सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा एमआरएफ में पुनर्चक्रणीय/गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट की छंटाई में शामिल इकाई के कर्तव्य: -

(1) पुनर्चक्रणीय/गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, अधिमानतः सूखे अपशिष्ट की छंटाई में शामिल प्रत्येक इकाई को स्थानीय निकाय के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

(2) संस्था की यह जिम्मेदारी होगी कि वह: -

- (a) यह सुनिश्चित करना कि सुविधा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों या दिशानिर्देशों के अनुरूप है;
- (b) यह सुनिश्चित करना कि वह केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कोई गतिविधि करता है;
- (c) यह सुनिश्चित करना कि इकाई की किसी भी गतिविधि से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रबंधन परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

(3) पुनर्चक्रणीय/गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण संस्थाओं/पुनर्चक्रकर्ता संस्थाओं को भेजा जाएगा।

(4) इकाई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित स्थानीय निकाय को प्राप्त ठोस अपशिष्ट की मात्रा, पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं या स्वास्थ्यकर भूमिभरणको छॉटे गए और व्यवस्थित किए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा के बारे में अगली तिमाही के पहले माह की 15 तारीख तक तिमाही आधार पर रिपोर्ट करेगी।

(5) सुविधा/इकाई किसी अन्य इकाई के साथ संव्यवहार नहीं करेगी जिसका पंजीकरण इन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है।

(6) एमआरएफ के प्रचालन के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।

6. अपशिष्ट उपचार के लिए विस्तारित जनित्र उत्तरदायित्व (ईजीआर) प्रमाणपत्र :-

(1) केवल स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित स्थानीय निकाय या पंजीकृत तृतीय पक्ष/रियायतग्राही को पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं/पुनर्चक्रकर्ताओं को सौंपे गए ठोस अपशिष्ट के विरुद्ध थोक अपशिष्ट जनित्र के ईबीडब्ल्यूजीआर दायित्व की पूर्ति के लिए ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र तैयार करना अनिवार्य है।

(2) स्थानीय निकाय, या उसके द्वारा प्राधिकृत तीसरा पक्ष या रियायतग्राही, थोक अपशिष्ट जनित्र से एकत्रित ठोस अपशिष्ट के लिए ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाण पत्र तैयार करने से पहले केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करेगा और पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंप देगा।

(3) एसपीसीबी स्थानीय निकाय या पंजीकृत तीसरे पक्ष या रियायतग्राही द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र जारी करने को अधिकृत करेगा।

(4) ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्रों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा:

विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र (किलोग्राम में) = स्थानीय निकाय या पंजीकृत तृतीय पक्ष या रियायतग्राही द्वारा एकत्रित, परिवहन किए गए और पंजीकृत प्रसंस्करणकर्ताओं/पुनर्चक्रकर्ताओं को भेजे गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा (किलोग्राम में)

(5) गीले अपशिष्ट के विरुद्ध तैयार ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाण-पत्र स्थानीय निकाय या पंजीकृत तृतीय पक्ष या रियायतग्राही द्वारा तभी तैयार किए जाएंगे, जब संबंधित पंजीकृत गीला अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधाएं, जिन्हें अपशिष्ट सौंपा गया था, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त और संसाधित गीले अपशिष्ट की मात्रा का ब्यौरा प्रदान करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

(6) ऐसे सभी संव्यवहार स्थानीय निकाय या पंजीकृत तृतीय पक्ष या रियायतग्राही द्वारा वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज और प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) किसी विशेष वर्ष में स्थानीय निकाय या पंजीकृत तृतीय पक्ष या रियायतग्राही द्वारा तैयार किए गए ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र थोक अपशिष्ट जनित्रों के दायित्वों को पूरा करने के लिए उसी वर्ष के लिए वैध होंगे।

(8) स्थानीय निकाय द्वारा ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र के लिए लगाया जाने वाला प्रभार इस संबंध में सीपीसीबी के परामर्श से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा।

(9) स्थानीय निकाय अपने ईबीडब्ल्यूजीआर दायित्वों की पूर्ति के लिए थोक अपशिष्ट जनित्रों से ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रभार वसूल करेगा।

(10) प्रत्येक ईजीआर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्थानीय निकाय द्वारा लिया जाने वाला प्रभार संबंधित रियायतग्राही या तीसरे पक्ष के साथ-साथ एसपीसीबी के साथ साझा किया जाएगा या स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए या इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एसपीसीबी द्वारा रियायतग्राही या तीसरे पक्ष की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(11) उत्तरदायी इकाई द्वारा दायित्व का अनुपालन न करने की स्थिति में पर्यावरणीय प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।

अपशिष्ट पर आधारित अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन संयंत्रों से निर्दिष्ट दूरी के भीतर स्थित औद्योगिक इकाइयों और अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों के कर्तव्य।

(1) ठोस ईंधन का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों नीचे दी गई तालिका के अनुसार आरडीएफ और/या एससीएफ और/या कृषि-अवशेष का उपयोग करेंगी। ठोस ईंधन का उपयोग करने वाली और ठोस अपशिष्ट आधारित कचरा व्युत्पन्न ईंधन संयंत्र से निर्दिष्ट दूरी के भीतर अवस्थित सभी औद्योगिक इकाइयों को अपनी ठोस ईंधन आवश्यकता को सीपीसीबी द्वारा विहित मानकों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट से उत्पादित दहनशील अंश से बदलने की व्यवस्था करनी होगी।

सारणी

क्र. सं.	ठोस अपशिष्ट का दहनीय अंश	कैलोरी मान	उपयोग का उद्देश्य	निर्दिष्ट दूरी	ईंधन प्रतिस्थापन अनुसूची
1	एससीएफ या कृषि अवशेष	> 1500 किलो कैलोरी / किग्रा शुद्ध	अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र या हीटिंग आवश्यकताओं वाले बॉयलर वाले उद्योग	100 किमी	- नियम लागू होने की तिथि से कम से कम 6% ईंधन की खपत - नियम लागू होने की तिथि से 3 वर्ष के बाद कम से कम 10% ईंधन की खपत
2	आरडीएफ ग्रेड I	> 4500 किलो कैलोरी / किग्रा शुद्ध	सीमेंट भट्टों में प्रत्यक्ष सह-प्रसंस्करण के लिए	400 किमी	
3	आरडीएफ ग्रेड II	> 3750 किलो कैलोरी / किग्रा शुद्ध	सीमेंट भट्टों में प्रत्यक्ष सह-प्रसंस्करण के लिए	400 किमी	

4	आरडीएफ ग्रेड III	> 3000 किलोकैलोरी / किग्रा शुद्ध	सीधे सह-प्रसंस्करण के लिए या सीमेंट भट्टों में अन्य अपशिष्ट पदार्थों के साथ प्रसंस्करण के बाद	400 किमी	नियम लागू होने की तिथि से 6 वर्ष के बाद कम से कम 15% ईंधन की खपत
---	------------------	----------------------------------	---	----------	--

(2) ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयां संबंधित एसपीसीबी के पास पंजीकरण कराएंगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरडीएफ/एससीएफ/कृषि अवशेषों के उपयोग पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेंगी।

(3) सभी आरडीएफ संयंत्र आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मासिक आधार पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आरडीएफ/एससीएफ की गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ-साथ आरडीएफ की उपलब्धता को पंजीकृत और रिपोर्ट करेंगे।

(4) आरडीएफ संयंत्रों को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरडीएफ की उपलब्धता और उठान के बारे में वास्तविक समय पर रिपोर्ट देनी होगी।

8. पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानदंड और कार्रवाईयां।- (1) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकरणों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:

- पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिभरण के संनिर्माण से बचना चाहिए। प्रसंस्करण सुविधा और निष्क्रिय अपशिष्ट से अवशिष्ट अपशिष्ट का संग्रहण करने के लिए उपयुक्त निकटतम अवस्थान पर एक अंतरण स्टेशन स्थापित किया जाएगा। स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण स्थापित करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र से 25 किलोमीटर के भीतर मैदानी क्षेत्रों में एक उपयुक्त भूमि की पहचान की जाएगी। अंतरण स्टेशन से अवशिष्ट अपशिष्ट का निस्तारण इस स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण में किया जाएगा।
- ऐसी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में निष्क्रिय एवं अवशिष्ट अपशिष्ट के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।
- स्थानीय निकाय उप-विधि तैयार करेंगे और नागरिकों को गलियों में ठोस अपशिष्ट फेंकने से प्रतिषिद्ध रोकेंगे तथा पर्यटकों को निर्देश देंगे कि वे कागज, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, शीतल पेय के डिब्बे, टेट्रा पैक, अन्य प्लास्टिक या कागज के अपशिष्ट को पर्वतीय क्षेत्रों या पहाड़ियों के नीचे न फेंकें, बल्कि ऐसे ठोस अपशिष्ट को कूड़ेदानों में डालने का निर्देश देंगे, जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा सभी पर्यटन स्थलों पर रखा जाएगा।
- स्थानीय निकाय, पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण करने वाले सभी पर्यटकों को नगर के प्रवेश द्वार पर तथा उनके ठहरने के स्थानों, होटलों, अतिथि गृहों आदि के माध्यम से उपविधियों के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उपबंधों की जानकारी देने की व्यवस्था करेगा तथा पर्यटन स्थलों पर उपयुक्त होर्डिंग्स लगाएगा।
- स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं को संवहनीय बनाने के लिए प्रवेश द्वार पर पर्यटकों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार उद्गृहीत कर सकते हैं।
- भूमि समनुदेन के प्रभारी विभाग को विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए पर्वतों पर उपयुक्त स्थान की पहचान करनी होगी और उसे आवंटित करना होगा। स्थानीय निकाय ऐसी सुविधाएं स्थापित करेंगे। पर्वतीय स्थान के अनुकूलतम उपयोग के लिए सीढ़ीदार उद्यान प्रणाली को अपनाया जा सकता है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में आतिथ्य इकाइयों को स्वास्थ्यकर ग्रीन लीफ रेटिंग प्रदान की जा सकती है।

9. अपशिष्ट से ऊर्जा प्रसंस्करण के लिए मानदंड।- (1) 1500 किलोकैलोरी/किलोग्राम या इससे अधिक के कैलोरिफिक मान रखने वाले गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को भूमिभरण में निस्तारित नहीं किया जाएगा तथा इसका उपयोग केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए या तो अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन के माध्यम से या सीपीसीबी द्वारा विहित मानकों के अनुसार अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन तैयार करने के लिए फीडस्टॉक के रूप में देने के लिए किया जाएगा।

(2) उच्च कैलोरिफिक अपशिष्टों का उपयोग सीमेंट या ताप विद्युत संयंत्रों या अन्य भट्टियों में सह-प्रसंस्करण के लिए किया जाएगा।

(3) स्थानीय निकाय या सुविधा का संचालक या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अभिकरण, जो प्रतिदिन दस टन से अधिक प्रसंस्करण क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव करती है, प्राधिकरण के लिए, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत करेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधा स्थापित करने के लिए ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, उसकी जांच करेगा और साठ दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करेगा।

(4) अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकृत किया जाएगा।

अध्याय III

स्वास्थ्यकर/कार्यात्मकभूमिभरण स्थल

भूमिभरण की स्थापना, प्रचालन एवं रखरखाव।-

- (1) शहरी विकास विभाग या नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन का प्रभारी विभाग, साथ ही ग्रामीण विकास विभाग या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या पंचायती राज विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभारी विभाग, शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति और रणनीति के अनुसार क्षेत्रीय/क्लस्टर दृष्टिकोण के अनुसार स्वास्थ्यकर / कार्यात्मक भूमिभरण स्थल की स्थापना के लिए भूमि की पहचान करेगा।
 - (2) जिला स्तर पर भूमि आवंटन का प्रभारी विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग या ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभारी विभाग द्वारा चिन्हित रियायतग्राही को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय या ग्रामीण स्थानीय निकाय जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि पार्सल मौजूद है, में भूमि पार्सल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।
 - (3) संबंधित स्थानीय निकाय अनुसूची X में विहित समय-सीमा का पालन करते हुए अनुसूची 1 के अनुसार स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण की स्थापना, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए पात्र एजेंसियों की पहचान करेगा;
 - (4) केवल गैर-पुनर्चक्रणीय और गैर-ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य शुष्क अपशिष्ट और निष्क्रिय पदार्थ ही स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण में निस्तारित किए जाएंगे। कोई भी गीला अपशिष्ट या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण में निस्तारित नहीं किया जाएगा।
 - (5) संबंधित विभाग, संबंधित शहरी स्थानीय निकाय या ग्रामीण स्थानीय निकाय या शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित तीसरे पक्ष/रियायतग्राही पर भार के आधार पर लगाए जाने वाले स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण उपयोगकर्ता प्रभारका निर्धारण और अधिसूचन करेगा, जो स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण में भेजे गए संयोजित अपशिष्ट या पुनर्चक्रणीय या ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट या अप्रसंस्कृत गीले अपशिष्ट या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा पर तब तक लगाया जाएगा जब तक कि पर्याप्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित नहीं हो जातीं। स्थानीय निकाय या उसके द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष/रियायतग्राही द्वारा एकत्रित किसी भी असंयोजित/मिश्रित अपशिष्ट या पुनर्चक्रणीय या ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट या अप्रसंस्कृत गीले अपशिष्ट या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए प्रचालक द्वारा भूमिभरण प्रभार अधिरोपितकरेगा।
 - (6) असंयोजित अपशिष्ट या पुनर्चक्रणीय या ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट या अप्रसंस्कृत जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए लगाया जाने वाला स्वास्थ्यकर /प्रचालन भूमिभरण स्थल उपयोगकर्ता प्रभार संग्रहण, परिवहन और अपशिष्ट प्रसंस्करण लागत से अधिक होगा। इस प्रकार एकत्रित उपयोगकर्ता प्रभार स्थानीय निकाय द्वारा संचालित एक अलग खाते में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण में असंयोजित अपशिष्ट या पुनर्चक्रणीय या ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट या अप्रसंस्कृत जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण और स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के आगे विकास के लिए किया जाएगा।
 - (7) स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण के प्रचालन के लिए पहचानी गई एजेंसियां स्थानीय निकाय और/या उसके द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष/रियायतकर्ता द्वारा स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण स्थल पर डाले गए निष्क्रिय और अन्य अनुमत अपशिष्टों के लिए सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों और इस संबंध में एसपीसीबी की सिफारिशों के अनुसार प्रभार लेंगी। अधिरोपित स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण उपयोगकर्ता प्रभार यूडीडी/राज्य/यूटी सरकार के संबंधित विभाग द्वारा सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के आधार पर विहित किए जाएंगे।
 - (8) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-पुनर्चक्रणीय और गैर-ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य सूखे अपशिष्ट और निष्क्रिय पदार्थों के पर्यावरण की दृष्टि से उचित निस्तारण के लिए स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण के प्रचालन पर लेखापरीक्षा करेगा। किसी विशेष वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
 - (9) स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण का संचालक इन नियमों के अंतर्गत पंजीकरण कराएगा तथा जमा किए गए अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में विहित प्रपत्र में वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल करेगा।
 - (10) स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण को सी.पी.सी.बी. द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय युक्तियुक्तीति से प्रचालित किया जाएगा।
 - (11) स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण का संचालक स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण के प्रचालन के विवरण पर तिमाही रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।
 - (12) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्यकर /कार्यात्मक भूमिभरण का प्रचालन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाए।
- 2. संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भूमि पर निस्तारित ठोस अपशिष्टसहित मौजूदा भूमिभरण स्थलोंका पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीतिसे उचित प्रबंधन -** (1) सभी मौजूदा भूमिभरण स्थलों/अपशिष्ट संवेदनशील बिंदुओं का भौगोलिक मानचित्रण किया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में 31 मार्च 2026 तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 31 अक्टूबर 2026 तक ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए उनका आकलन किया जाएगा। यह कार्य स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) सभी पुराने अपशिष्ट भूमिभरणस्थलों को यथासंभव जैव-खनन और जैव-उपचारित किया जाएगा तथा इसकी प्रगति को प्रत्येक तिमाही में अगली तिमाही के प्रथम माह की 30 तारीख तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर अद्यतन किया जाएगा।

(3) संबंधित स्थानीय निकाय परियोजना निष्पादन अभिकरण द्वारा प्रस्तावित गंतव्य/प्रक्रियाओं के अनिवार्य प्रकटीकरण को अनिवार्य करेगा, जिसका उपयोग विरासत अपशिष्ट भूमिभरणस्थलों से बायोमाइन्ड ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अंशों जैसे कि महीन मिट्टी, आरडीएफ और सीएंडडी अपशिष्ट के लिए किया जाएगा। कृषि क्षेत्रों में उपयोग के लिए भेजी जाने वाली किसी भी महीन मिट्टी का सीपीसीबी द्वारा विहित मानक के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा के लिए परीक्षण किया जाएगा। आरडीएफ को ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए व्यवस्थित किया जाएगा, सीएंडडी अपशिष्ट को सीपीसीबी द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रसंस्करण के लिए भेजा जाएगा।

(4) संबंधित स्थानीय निकाय, एसपीसीबी द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि मौजूदा अपशिष्ट का जैव खनन या जैव उपचार पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से किया जाता है और आगामी माह की 30 तारीख तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर त्रैमासिक विवरणी दाखिल करेगा।

(5) संबंधित एसपीसीबी, सीपीसीबी द्वारा विहित जैवखनन या जैवउपचार या बंद करने के लिए विहित पर्यावरण मानदंडों को लागू करेगा।

(6) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मौजूदा भूमिभरणस्थलों के जैव-खनन और जैव-उपचार या भूमिभरणस्थल को बंद करने में हुई प्रगति पर वार्षिक लेखा परीक्षा करेगा, जैसा भी लागू हो। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर अपलोड की जाएगी।

(7) संबंधित राज्य सरकार या भूमि स्वामित्व अभिकरण लागू विनियमों के अधीन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अपशिष्ट/विरासत अपशिष्ट को साफ करने के बाद भूमिभरणस्थलों की खाली भूमि का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

3. उपचार, भंडारण, निस्तारण सुविधा (टीएसडीएफ) में ठोस अपशिष्ट का पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन। (1) प्रत्येक टीएसडीएफ का प्रचालक;

(क) केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा;

(ख) एक प्रकटीकरण प्रणाली सुनिश्चित करेगा जो सुविधा पर पहुंचने वाले ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट की प्रकृति, ठोस अपशिष्ट के स्रोत और अंतिम गंतव्य का दस्तावेजीकरण करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पन्न, परिवहन किया हुआ, उपचारित और निस्तारित किए गए ठोस अपशिष्ट का कम से कम 5/10 वर्षों का रिकार्ड रखा जाए;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस अपशिष्ट पंजीकृत ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से प्राप्त किया जाए। परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन को सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार रिसाव या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित रोकथाम प्रणालियों सहित आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करना चाहिए;

(ङ) ठोस अपशिष्ट के भंडारण, उपचार और निस्तारण के लिए सभी लागू दिशानिर्देशों का पालन करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट को संभालने वाले कर्मियों को सुरक्षित हस्तांतरण प्रथाओं, आपातकालीन प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए;

(छ) सीपीसीबी द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट उपचार और निस्तारण प्रक्रियाओं से उत्सर्जन, रिसाव और अन्य संभावित संदूषकों की नियमित निगरानी करेगा;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस अपशिष्ट जिसका उपचार या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, उसका निस्तारण भूमिभरण या भस्मीकरण के लिए सीपीसीबी के नियामक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए टीएसडीएफ में किया जाना चाहिए;

(i) बंद होने के बाद एक विहित अवधि के लिए स्थल की निगरानी, रखरखाव और सुधार सहित बंद होने के बाद देखभाल योजना को लागू करना होगा;

(झ) सी.पी.सी.बी. को प्राप्त, संग्रहीत, उपचारित और निस्तारित अपशिष्ट पर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें अपशिष्ट की मात्रा, प्रकार और उपचार/निस्तारण विधियां शामिल होंगी।

अध्याय IV

बागवानी अपशिष्ट और कृषि अवशेषों का पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन

1. बागवानी अपशिष्ट और कृषि अवशेषों के पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन में स्थानीय निकाय की भूमिका।

(1) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में कृषि अवशेषों के संग्रहण और भंडारण की स्थापना को सुकर बनाएगा।

(2) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न कृषि अवशेषों, यथास्थान उपयोग किए गए कृषि अवशेषों, बाह्य उपयोग के लिए परिवहन किए गए कृषि अवशेषों के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। ऐसी सूचना स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित इकाइयों पर वार्षिक विवरणी संकलित करेगा, जिसमें कृषि अवशेषों के बाहरी उपयोग के लिए स्थापित इकाइयों की क्षमता और उसके प्रचालन के बारे में विवरण शामिल होगा। इसकी रिपोर्ट हर साल 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी। ऐसी जानकारी स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बड़े पार्कों में बागवानी अपशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए उर्वरक बनाने के गड्ढे स्थापित करेगा। स्थानीय निकाय या बागवानी अपशिष्ट के संग्रह और परिवहन में शामिल तीसरा पक्ष इसे बड़े पार्कों में उर्वरक बनाने के गड्ढों या उर्वरक, बायोमेथेनेशन/बायोगैस बनाने में शामिल अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं तक ले जाएगा।

(5) स्थानीय निकाय या रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत पोर्टल पर एकत्रित किए गए तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं तक परिवहन किए गए बागवानी अपशिष्ट के संबंध में वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। ऐसी सूचना स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) एसपीसीबी उन सभी औद्योगिक इकाइयों के संबंध में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा जो ठोस ईंधन का उपयोग करते हैं, साथ ही उनके द्वारा कृषि अवशेष/आरडीएफ आधारित ईंधन के उपयोग के बारे में विवरणी भी दाखिल करेगा।

(7) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि कृषि एवं बागवानी अपशिष्ट को जलाने की घटनाएं न हों तथा कृषि एवं बागवानी अपशिष्ट को खुले में जलाने में शामिल व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

अध्याय 5

औद्योगिक ठोस अपशिष्ट

अपशिष्ट उत्पादक के कर्तव्य:- (1) निम्नलिखित मानदंड के अनुसार औद्योगिक अपशिष्ट के अलावा ठोस अपशिष्ट उत्पादक उद्योग/औद्योगिक क्षेत्र (i) 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रफल वाले भवन (ii) प्रति दिन 5000 लीटर पानी की खपत या (iii) प्रति दिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन;

(क) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र में पंजीकरण के वैध बने रहने के लिए आवश्यक शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान दी गई जानकारी और पंजीकरण में निर्दिष्ट शर्तों में कोई भी बदलाव स्थानीय निकाय को सूचित किया जाएगा;

(ख) बागवानी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं सहित विकेंद्रीकृत गीले अपशिष्ट की स्थापना और प्रचालन करेंगे, ताकि उनके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जा सके। यदि वे विकेंद्रीकृत गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण की स्थापना और प्रचालन करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें उनके द्वारा उत्पन्न संपूर्ण गीले अपशिष्ट के बराबर गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व (ईबीडब्ल्यूजीआर) प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा;

(ग) औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के प्रकार, मात्रा, भंडारण, संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा तथा उसका रिकार्ड रखेगा ;

(घ) प्रत्येक वर्ष 30 जून तक निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध कराएगा :

(i) विकेंद्रीकृत गीला अपशिष्ट सुविधा का प्रचालन जिसमें गीले अपशिष्ट के साथ-साथ उत्पन्न, संसाधित किए गए बागवानी अपशिष्ट का विवरण, प्रसंस्करण से उत्पन्न जैविक उर्वरक/बायोगैस/अन्य उत्पादों का उपयोग/विक्रय, तथा अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं। ऐसे मामले में जहां उद्योग, स्थल पर विकेंद्रीकृत गीला अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने में सक्षम नहीं है, उसे स्थानीय निकाय या संबंधित प्राधिकरण से संबंधित मात्रा के लिए छूट प्राप्त करनी होगी, तथा स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष/रियायतग्राही को उत्पन्न और सौंपे गए गीले अपशिष्ट के साथ-साथ बागवानी अपशिष्ट का विवरण प्रदान करना होगा;

(ii) स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष को सौंपा गया और उत्पन्न किया गया अपशिष्ट; तथा एसपीसीबी द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष को सौंपा गया और उत्पन्न किया गया परिसंकटमय अपशिष्ट और गैर-परिसंकटमय औद्योगिक अपशिष्ट।

(घ) प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर गीले अपशिष्ट, सूखे अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट, बागवानी अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जानकारी स्थानीय निकाय की वेबस्थल पर सार्वजनिक डोमेन में वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती है;

(ई) सीपीएचईईओ, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/डीडीडब्ल्यूएस द्वारा तैयार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमपुस्तिका और इस संबंध में सीपीसीबी द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार, उन्हें सौंपे गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा के सापेक्ष स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत तीसरे पक्ष से विस्तारित थोक अपशिष्ट उत्पादक उत्तरदायित्व (ईबीडब्ल्यूजीआर) प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा;

(च) यदि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न समस्त ठोस अपशिष्ट का विकेंद्रीकृत उपचार/प्रसंस्करण किया जाता है, जिसके लिए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी तीसरे पक्ष को सौंपने की आवश्यकता नहीं होती है; ऐसे मामलों में औद्योगिक क्षेत्र पर ईबीडब्ल्यूजीआर दायित्व नहीं होगा;

(जी) ईबीडब्ल्यूजीआर दायित्व के संबंध में एसपीसीबी को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत पंजीकृत तीसरे पक्ष का विवरण जिससे विस्तारित उपयोगकर्ता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए हैं, प्रदान किया जाएगा;

(ज) औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा, तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उन्नत प्रसंस्करण तकनीकों/उपकरणों को अपनाएगा;

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के भंडारण या उपचार/प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं और मैदान पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए जाएंगे;

अध्याय VI

कार्यान्वयन ढांचा

1. **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल। - (1)** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह माह के भीतर इन नियमों के अधीन सभी बाध्य संस्थाओं के पंजीकरण के साथ-साथ वार्षिक विवरणी दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा। यह प्रणाली इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह माह के भीतर स्थानीय निकायों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संबंधित संस्थाओं द्वारा पंजीकरण के साथ-साथ वार्षिक विवरणी दाखिल करने को भी सुनिश्चित करेगी।

(2) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का डैशबोर्ड राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उत्पन्न, संग्रहित, संसाधित और निस्तारित किए गए ठोस अपशिष्ट सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण प्रदान करेगा, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के आंकड़े शामिल होंगे। ऐसे आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) पोर्टल पर स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण और मौजूदा अपशिष्ट भूमिभरण स्थलों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा लागू हो। ऐसे आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय निकाय/प्राधिकरण बाध्य संस्थाओं के पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करेंगे। पोर्टल में विशिष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए बाध्य संस्थाओं के लिए पृथक-पृथक मॉड्यूल होंगे।

(5) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और दिशानिर्देशों के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा।

(6) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त, छांटे गए और प्रसंस्करणकर्ताओं तथा एस.एल.एफ./कार्यात्मक भूमिभरण को भेजे गए ठोस अपशिष्ट का ब्यौरा दर्शाया जाएगा।

(7) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संग्रहण, उपचार/प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण में शामिल जनित्रों और संस्थाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित विवरण भी दर्शाए जाएंगे।

(8) सी.पी.सी.बी. द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार सी.पी.सी.बी. पोर्टल के उपयोग के लिए बाध्य संस्थाओं से प्रभार वसूल सकता है।

(9) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास में सीपीसीबी की सहायता कर सकते हैं।

2. **पर्यावरण प्रतिकरका अधिरोपण:- (1)** पर्यावरण प्रतिकरउन व्यक्तियों पर भी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर अधिरोपित किया जाएगा जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:-

(क) इन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के बिना गतिविधियां चलाने वाली संस्थाएं;

(ख) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा गलत सूचना प्रदान करना / तथ्यों को जानबूझकर छिपाना;

(ग) इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा जाली/छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना;

(घ) ठोस अपशिष्ट/प्रसंस्कृत अपशिष्ट के उचित प्रबंधन का पालन न करने के संबंध में संग्रहण, उपचार और पुनः उपयोग में लगी संस्थाएं।

(2) नियम के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति, इन नियमों के अधीन उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में ठोस अपशिष्ट के संग्रह, छंटाई, परिवहन और उपचार/प्रसंस्करण में शामिल संस्थाओं से वसूले जाने वाले पर्यावरण प्रतिकर को अधिरोपित करने और संग्रह के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी।

(3) सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन नियमों के अधीन विहित अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन न करने वाले थोक अपशिष्ट जनित, उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों जैसी संस्थाओं पर एसपीसीबी/जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/उप-मंडल अधिकारी/उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यावरण प्रतिकर अधिरोपित किया जाएगा।

(4) इन नियमों के अधीन विहित अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में ठोस अपशिष्ट के संग्रह, छंटाई, परिवहन और उपचार/प्रसंस्करण में शामिल संस्थाओं पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रतिकर अधिरोपित किया जाएगा। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उचित समय में कार्रवाई नहीं करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश जारी करेगा।

(5) पर्यावरण प्रतिकर के अंतर्गत एकत्रित धनराशि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा। एकत्रित धनराशि का उपयोग ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और उपचार/प्रसंस्करण में किया जाएगा, जिसके विरुद्ध पर्यावरण प्रतिकर अधिरोपित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों के उपयोग की रूपरेखा कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुशंसित की जाएगी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(6) (क) यदि कोई व्यक्ति विस्तारित जनित/उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित गलत सूचना प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जाली विस्तारित जनित/उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का प्रयोग करता है या प्रयोग करवाता है, इन नियमों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करता है या सत्यापन एवं लेखापरीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15ए, 15बी, 15सी, 15डी, 15ई और 15एफ के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

(ख) यदि उत्तरदायी निकाय बाध्यता के वर्ष के तीन वर्ष बाद भी अपने विस्तारित जनित/जनित उत्तरदायित्व दायित्व को पूरा नहीं करते हैं, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15क, 15ख, 15ग, 15घ, 15ड और 15च के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, 15क, 15ख, 15ग, 15घ, 15ड और 15चके अधीन कार्रवाई भी की जा सकती है।

(घ) यह कार्रवाई इन नियमों के अधीन लगाए गए पर्यावरण प्रतिकर के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा, किसी अन्य लागू कानून के प्रासंगिक उपबंधों के अधीन भी कार्रवाई की जाएगी।

3. केंद्रीय स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति :- (1) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपाय सुझाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेगी।

(3) समिति को ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के विकास और प्रचालन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने का कार्य भी सौंपा जाएगा।

(4) समिति में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी एसपीसीबी, विशेषज्ञ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और हितधारकों जैसे कि उत्तरदायी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों, उपचार सुविधा प्रदाताओं और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किसी भी अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

4. राज्य स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति :- (1) इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी को उपाय सुझाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

(2) समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी तथा राज्य स्तर पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी करेगी।

(3) समिति में संबंधित राज्य विभागों, सभी एसपीसीबी, विशेषज्ञ संस्थानों जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और हितधारकों जैसे कि उत्तरदायी संस्थाओं, उपचार सुविधा प्रदाताओं और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किसी भी अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

5. वार्षिक रिपोर्ट.-

(1) प्रत्येक पंजीकृत थोक अपशिष्ट जनित (प्रपत्र __), अपशिष्ट उपचार सुविधा का प्रचालक (प्रपत्र __ के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संबंधित स्थानीय निकाय और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायत/पीआरआई केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रमशः शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को और साथ ही संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करेंगे।

(3) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तरीय पी.आर.आई. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की स्वयं या किसी नामित अभिकरण के माध्यम से लेखापरीक्षा कराएगा और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबस्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन तथा गैर-अनुपालन करने वाले स्थानीय निकाय के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्रपत्र-V में केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और हर वर्ष 31 अगस्त को या उससे पहले अपनी सिफारिशों के साथ केंद्र सरकार (पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और डीडीडब्ल्यूएस) को प्रस्तुत करेगा । केन्द्रीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया जाएगा।

6. दुर्घटना की रिपोर्टिंग। - (1) किसी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण या उपचार या निस्तारण सुविधा या भूमिभरण स्थल पर दुर्घटना की स्थिति में, सुविधा का प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय को प्रारूप VI में घटना की रिपोर्ट स्थानीय निकाय को भेजेगा और स्थानीय निकाय द्वारा समीक्षा की जाएगी और सुविधा के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश, यदि कोई हो, जारी किया जाएगा।

अध्याय VII

भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कर्तव्य:- (1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में इन नियमों के अनुपालन की समग्र निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा। यह सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसमें निम्नलिखित विभागों और मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे:-

- (a) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
- (b) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
- (c) ग्रामीण विकास विभाग
- (d) पंचायती राज मंत्रालय
- (e) उर्वरक विभाग
- (f) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- (g) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
- (h) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- (i) तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां चक्राणुक्रम द्वारा
- (j) तीन राज्य सरकारों के शहरी विकास विभाग चक्राणुक्रम द्वारा
- (k) दो राज्य सरकारों से ग्रामीण विकास विभाग चक्राणुक्रम द्वारा
- (l) तीन राज्य सरकारों के शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग
- (m) तीन राज्य सरकारों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग
- (n) तीन शहरी स्थानीय निकायचक्राणुक्रम द्वारा
- (o) तीन जिला स्तरीय पंचायत राज संस्थाएं चक्राणुक्रम द्वारा
- (p) दो उद्योग संघ
- (q) दो विषय विशेषज्ञ

(2) यह केन्द्रीय निगरानी समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और पुनर्विलोकन करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, तो अन्य सदस्यों को भी इसमें शामिल कर सकता है। समिति का नवीकरण प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाएगा।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कर्तव्य:- (1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ निम्नलिखित समन्वय करेगा,-

- (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए कदमों का आवधिक पुनर्विलोकन करना तथा मंत्रालय और बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के निष्पादनका वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करना तथा सुधारात्मक उपाय करने के बारे में सलाह देना;
- (ii) शहरी क्षेत्रों के लिए इन नियमों के अंतर्गत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सभी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग या शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने में सुविधा प्रदान करना ;
- (iii) वित्तीय वर्ष की 30 जून तक इन नियमों के अधीन उपबंधों के अनुपालन के संबंध में सभी स्थानीय निकायों द्वारा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग या शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभागों के माध्यम से वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करना ;
- (iv) शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश विकसित करना, जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का आकलन, 30 जून 2025 तक हितधारकों के परामर्श से अपशिष्ट से ऊर्जा पर नीति शामिल होगी और यह कार्य हर 5 वर्ष में किया जाएगा;
- (v) 30 जून 2025 तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दिशानिर्देश अपलोड करेंगे और उसके बाद संशोधित/अद्यतन दिशानिर्देश अपलोड किए जाएंगे;
- (vi) सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का आकलन, 31 मार्च 2026 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए हितधारकों के परामर्श से अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन पर नीति सहित शहरी क्षेत्रों में ठोस प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति तैयार करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुविधा प्रदान करना, और यह अभ्यास हर 5 वर्ष में किया जाएगा;
- (vii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा राज्यों और स्थानीय निकायों को सूचना प्रसारित करना;
- (viii) संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य पणधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता और सुविधा प्रदान करना;
- (ix) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और/या स्थानीय निकायों को तकनीकी दिशा-निर्देशों और परियोजना वित्त तक पहुंच प्रदान करना और/या सुविधा प्रदान करना, ताकि समयसीमा और मानकों को पूरा करने सहित इन नियमों के अधीन उपबंधों का अनुपालन सुकर बनाया जा सके;
- (x) निकायों द्वारा अपशिष्ट चुनने वालों सहित अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के अनौपचारिक क्षेत्र के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना ;
- (xi) समग्र कार्यान्वयन दिशानिर्देश विकसित करना, अर्थात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर नियम पुस्तिका और आदर्श निविदा दस्तावेज तथा रियायत दस्तावेज/आरएफपी सहित अन्य आवश्यक परामर्श करना।
- (xii) 31 मार्च 2028 तक जैव अपघटन या पुनर्चक्रण के अयोग्य ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन के लिए देश भर में डब्ल्यूटीई संयंत्रों के साथ पर्याप्त कवरेज के प्रावधान की सुविधा प्रदान करना ।
- (xiii) ठोस अपशिष्ट से उत्पन्न उप-उत्पादों के उपयोग पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना;
- (xiv) राज्य/पंचायती राज संस्थान स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कर्मिकों हेतु उपयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- (xv) शहरी स्थानीय निकायों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल मॉडलों का प्रसार करना;
- (xvi) अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से पृथक्करण के लिए मार्गदर्शन/सर्वोत्तम परिपाटियों का विकास, जिसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा संदर्भ के रूप में किया जाएगा।
- (xvii) 31 मार्च 2025 तक सभी दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, 5-10 लाख की आबादी वाले शहरों में 31 मार्च 2026 तक, 1-5 लाख की आबादी वाले शहरों में 31 मार्च 2027 तक और सभी शहरी क्षेत्रों में 31 मार्च 2028 तक स्थानीय निकायों द्वारा मटेरियल रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित की जाएंगी। स्वच्छ भारत मिशन जैसे उपलब्ध कार्यक्रमों के माध्यम से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन के लिए देश भर में अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों (जैसे डब्ल्यूटीई , सीबीजी और एमआरएफ आदि) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- (xviii) शहरी स्थानीय निकायों के उप-नियमों में इन नियमों के उपबंधों को शामिल करने में सुविधा प्रदान करना।
- (xix) विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्रभार सहित उपयोगकर्ता शुल्क के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।
- (xx) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए ठोस अपशिष्ट के उपचार से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों सहित प्रौद्योगिकियों की पुनर्विलोकन करना।
- (xxi) ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्राप्ति/उपचार/प्रसंस्करण के संबंध में प्रौद्योगिकियों और मानकों के बारे में दिशानिर्देश जारी करना,
- (xxii) आवासीय और गेटेड समुदायों में विभिन्न आकारों की सुविधाओं के लिए उर्वरक बनाने हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश तैयार/अद्यतन करना
- (xxiii) इस नियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सभी ठोस अपशिष्ट घटकों और मूल्य श्रृंखला में चलित अर्थव्यवस्था पहल को आगे बढ़ाना।

3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्तव्य.- (1) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग:-

- i. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए कदमों का आवधिक पुनर्विलोकन करना तथा मंत्रालय और बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का वर्ष में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करना तथा सुधारात्मक उपाय करने के बारे में सलाह देना;
- ii. अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए ग्रामीण परिप्रेक्ष्य और शहरी-ग्रामीण संबंधों सहित इन नियमों के अधीन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति तैयार करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करना;
- iii. यह सुनिश्चित करना कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों 31 मार्च 2025 तक इन नियमों के उपबंधों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति तैयार और अपलोड करें;
- iv. ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना तथा राज्यों और स्थानीय निकायों को सूचना प्रसारित करना;
- v. ग्रामीण स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना;
- vi. समयसीमा और मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को तकनीकी दिशानिर्देश और परियोजना वित्त प्रदान करना;
- vii. ठोस अपशिष्ट से उप-उत्पादों के उपयोग पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना;
- viii. राज्य/पंचायती राज संस्थान स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कार्मिकों का उपयुक्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित करना;
- ix. पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम पंचायतों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफल मॉडलों का प्रसार करना।
- x. मार्च 2028 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित की जाएंगी।
- xi. विस्तारित थोक अपशिष्ट जनित्र उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्रभार सहित उपयोगकर्ता शुल्क के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

4. उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कर्तव्य : (1) उर्वरक विभाग समुचित क्रियाविधि के माध्यम से,-

- i. उप-उत्पादों को प्रोत्साहित करना;
- ii. उर्वरक कंपनियों द्वारा 3 से 4 बोरी: 6 से 7 बोरी के अनुपात में रासायनिक उर्वरकों के साथ उर्वरक के सह-विपणन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना, जहां तक उर्वरक कंपनियों को विपणन के लिए उपलब्ध हो।
- iii. प्रोत्साहन के माध्यम से घरेलू उर्वरक बनाने को बढ़ावा देना;
- iv. उर्वरक कंपनियों द्वारा जैविक उर्वरक के उठाव की रिपोर्टिंग 30 जून 2024 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएगी।
- v. विभेदक मूल्य निर्धारण के लिए जैविक उर्वरक की ग्रेडिंग के लिए दिशानिर्देश विकसित करना

- (2) राजसहायता जारी करने को उर्वरक कंपनियों द्वारा जैविक उर्वरक के अनिवार्य उपयोग से जोड़ा जा सकता है;
- (3) उर्वरक कंपनियों द्वारा जैविक उर्वरक की बिक्री को रासायनिक उर्वरकों के साथ जोड़ सकते हैं, जहां तक उर्वरक कंपनियों को जैविक उर्वरक/कम्पोस्ट उपलब्ध है;
- (4) जैविक उर्वरक और शहरी उर्वरक के लिए बाजार विकास में सहायता उपलब्ध कराएगा। ऐसी किसी भी सहायता के बारे में जानकारी प्रत्येक वर्ष अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक अपनी वेबस्थल पर अपलोड करनी होगी, जिसमें ऐसी सहायता प्राप्त करने वाली जैविक उर्वरक की मात्रा भी शामिल होगी।

5. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कर्तव्य.- (1) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समुचित तंत्र के माध्यम से,-

- बायोमेथेनेशन सुविधाओं द्वारा उत्पादित जैविक उर्वरक के उपयोग के लिए एफसीओ के अधीन मानकों को विकसित/अद्यतन करना और 31 मार्च 2025 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;
- जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट से उत्पन्न जैविक उर्वरक के उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार करना अर्थात् कृषि भूमि पर रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक उर्वरक के उपयोग का अनुपात और 31 मार्च 2025 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;
- बायोमेथेनेशन सुविधाओं द्वारा उत्पादित जैविक उर्वरक की गुणवत्ता जांच के लिए दिशानिर्देश विकसित/अद्यतन करना और 31 मार्च 2025 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;
- जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट से जैविक उर्वरक तैयार करने के लिए दिशानिर्देश विकसित/अद्यतन करना और 31 मार्च 2025 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;
- उर्वरक परीक्षण सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना;
- अधिकृत अभिकरणों या किसी इकाई द्वारा उत्पादित जैविक उर्वरक की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए 31 मार्च 2025 तक सभी जिलों में राज्य कृषि विभागों के साथ मिलकर प्रयोगशालाएं स्थापित करना/तीसरे पक्ष को सूचीबद्ध करना।
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घरेलू उर्वरक बनाने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;

एफसीओ मानकों को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की जैविक उर्वरक बनाने वाली इकाइयों के लिए एसओपी विकसित करना।

(3) सभी प्रकार की जैविक उर्वरक की ग्रेडिंग के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।

6. विद्युत मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) विद्युत मंत्रालय समुचित तंत्र के माध्यम से,-

- ठोस अपशिष्ट के आधार पर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत के लिए टैरिफ या प्रभार तय करना और उसके बाद नियमित संशोधन करना;
- वितरण कंपनी द्वारा ऐसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की अनिवार्य खरीद की जाएगी।

7. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, समुचित तंत्र के माध्यम से,-

- विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों के पुनर्चक्रण/पर्यावरणीय रूप से सही निस्तारण के नवीन तरीकों को बढ़ावा देना;

8. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) प्रमाणन का विकास और एमआरएफ तथा अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्रचालन जैसे अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत जनशक्ति के लिए पूर्व शिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षण नियमपुस्तिकाओं की मान्यता सहित कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करना।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कर्तव्य.- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,-

- बायोगैस संयंत्रों को प्रोत्साहित करना; बायोगैस खरीदना और ऐसे उपायों पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना/प्रकाशित करना;
- बायोमिथेनीकरण को बढ़ावा देने के लिए हितधारक मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करना तथा ऐसे उपायों पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना/प्रकाशित करना।
- सीबीजी की आपूर्ति के लिए सीबीजी संयंत्रों हेतु पाइपलाइन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।

10. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर्तव्य.- (1) वित्त मंत्रालय,-

- प्रसंस्करण संयंत्रों की मशीनरी/उपकरणों के आयात के लिए शुल्क प्रोत्साहन देना ;
- अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए कर प्रोत्साहन देना;

11. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के कर्तव्य.- (1) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग,-

- एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करना तथा ऐसे उपायों पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करना;

12. शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के शिक्षा विभाग के कर्तव्य। – (1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कोस्कूल पाठ्यक्रम में उचित रूप से शामिल करना सुनिश्चित करना

13. पंचायती राज मंत्रालय - (1) यह सुनिश्चित करना कि इन नियमों के प्रावधान ग्रामीण स्थानीय निकायों की उप-विधियों में शामिल किए जाएं।

14. शहरी विकास विभाग और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका प्रशासन/स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग के कर्तव्य- (1) शहरी विकास विभाग या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका प्रशासन/स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग,-

- (i) इन नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण विकास विभाग के साथ अभिसरण में शहरी क्षेत्रों के लिए ठोस प्रबंधन पर एक राज्य नीति और रणनीति तैयार करेंगे, जिसमें सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, सभी शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का आकलन - संग्रह और परिवहन ठोस अपशिष्ट की आवश्यकता, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की स्थापना, गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण और ऊर्जा संयंत्रों के लिए बायोमेथेनेशन संयंत्रों की आवश्यकता, विशेष देखभाल अपशिष्ट के लिए संग्रह केंद्रों की स्थापना, भस्मक की स्थापना और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सामान्य बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ संबंध, स्वास्थ्यकर / परिचालन भूमिभरण की स्थापना और प्रचालन और रखरखाव, प्रभावी निगरानी और ट्रेकिंग के लिए आईटी सक्षम शासन का उपयोग, विशेष रूप से बायोमेथेनेशन के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए निजी डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन, उर्वरक परीक्षण सुविधाओं की स्थापना, उपयोगकर्ता शुल्क और स्वास्थ्यकर / परिचालन भूमिभरण शुल्क, अपशिष्ट चुनने वालों का एकीकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों और अन्य समूहों के साथ मिलकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के एक वर्ष के अंदर तैयार करेंगे और उन्हें केन्द्रीकृत आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे और प्रत्येक 5 वर्ष में यह कार्य किया जाएगा;
- (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में राज्य नीति और रणनीति तैयार करते समय भूमिभरण में जाने वाले निष्क्रिय और गैर-जैवअपघटनीय और गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा पुनःप्राप्ति योग्य अपशिष्ट को सुनिश्चित करने के लिए अपशिष्ट में कमी, पुनःउपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग पर जोर देना;
- (iii) अपशिष्ट को कम करने के लिए अपशिष्ट चुनने वालों, अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं और पुनर्चक्रण उद्योग सहित अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के अनौपचारिक क्षेत्र को राज्य की नीतियों और रणनीतियों में एकीकृत करना तथा इस संबंध में व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करना

(2) शहरी विकास विभाग तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका प्रशासन/स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग , -

- (i) संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, परिवहन, प्रसंस्करण/उपचार और निस्तारण सुविधाओं के मामले में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए उपाय करना ;
- (ii) गतिविधियों की योजना बनाना - सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करना और प्रसारित करना;
- (iii) यह सुनिश्चित करना कि एकत्रित प्रभार का उपयोग बुनियादी ढांचे की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में किया जाएगा;
- (iv) कार्यान्वयन /उन्नयन को सुनिश्चित करना और 100% पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, परिवहन उपचार/प्रसंस्करण और निस्तारण क्षमता को पूरा करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे के कवरेज में सुधार करना;
- (v) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में वृत्ताकार अर्थव्यवस्था पर राज्य स्तरीय प्रचालन समिति की स्थापना;
- (vi) आवासीय सोसायटियों और अन्य थोक अपशिष्ट जनितों को स्वस्थाने जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन (जैसे कर लाभ) प्रदान करना;
- (vii) यह सुनिश्चित करना कि सभी स्थानीय निकाय 31 मार्च 2025 तक संग्रहण, छंटाई, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण सहित सभी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे और गतिविधियों के संबंध में ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर आ जाएं और अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाए;
- (viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकाय को मान्यता पुरस्कार प्रदान करना;
- (ix) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्तों/मुख्यकार्यकारी अधिकारियों के साथ जिला मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर प्रत्येक वर्ष जून के चौथे सप्ताह में सभी शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति और परिचालन स्थितियों की समीक्षा के लिए एक सप्ताह का अभियान आयोजित करना;

- (x) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पीपीपी मोड मॉडल को प्रोत्साहित करना।
- (xi) सभी स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इन नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;
- (xii) नगर नियोजन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक शहर के मास्टर प्लान में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रावधान हो, सिवाय उन शहरों के जो साझा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा या शहरों के समूह के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर /प्रचालन भूमिभरण के सदस्य हैं; 31 मार्च 2026 तक सभी मास्टर प्लान अपलोड करना;
- (xiii) इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना तथा उन्हें महानगर और जिला योजना समितियों या नगर एवं ग्राम योजना विभाग के माध्यम से राज्य या शहरों के मास्टर प्लान (भूमि उपयोग योजना) में शामिल करना;
- (xiv) राज्य के नगर नियोजन विभाग और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देना कि समूह आवास या वाणिज्यिक, सांस्थानिक या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर के लिए विकास योजना में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण, विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थान का सीमांकन किया जाए, जो 200 से अधिक आवासों या 5,000 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड वाले थोक अपशिष्ट जनित्र हैं और ऐसी सूचनाओं को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करना;
- (xv) विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक संपदा, औद्योगिक पार्क के नए और मौजूदा विकासकर्ताओं को थोक अपशिष्ट जनित्रों से संबंधित सभी उपबंधों का अनुपालन करने का निर्देश देना;
- (xvi) क्षेत्रीय सुविधा से 50 किलोमीटर (या अधिक) की दूरी के अंतर्गत आने वाले शहरों और कस्बों के समूह के लिए लागत साझाकरण के आधार पर सामान्य क्षेत्रीय स्वास्थ्यकर /परिचालन भूमिभरण की स्थापना को सुकर बनाना और ऐसे स्वास्थ्यकर /परिचालन भूमिभरण का वृत्तिक प्रबंधन सुनिश्चित करना और केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सभी जानकारी अपलोड करना;
- (xvii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना, जिसमें ऐसे अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, परिवहन या प्रसंस्करण शामिल है;
- (xviii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से प्रतिदिन पांच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं के लिए बफर जोन अधिसूचित करना और ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में सूचना को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;
- (xix) स्थानीय प्राधिकरण या स्वयं सहायता समूहों सहित प्राधिकृत तृतीय पक्ष/रियायतग्राही अभिकरण के साथ काम करने वाले अपशिष्ट चुनने वालों का पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अपलोड करना;
- (xx) सफाई कर्मचारियों को यह अधिकार देना कि वे पृथक न किए गए अपशिष्ट पर और संग्रह से इनकार करने पर जुर्माना/दंड अधिरोपित कर सकें;
- (xxi) आरडब्ल्यूए, बाजार संघों और रियायतग्राही सहित सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूमिभरण के लिए शून्य अपशिष्ट पर ध्यान केंद्रित करना;
- (xxii) रैंकिंग प्रणाली के साथ राज्य स्तर पर नियमित चक्रीय आधार पर मूल्यांकन करना ;
- (xxiii) गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण से प्राप्त उप-उत्पादों के उपयोग के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाना।
- (xxiv) राज्य एवं जिला स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों, अस्पतालों ,संस्थानों की मान्यता के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना।

भूमि आवंटन का प्रभारी विभाग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ऐसे स्थलों को अधिसूचित करेगा ।

15. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी ग्रामीण विकास विभाग और विभाग के कर्तव्य-(1) ग्रामीण विकास विभाग और/या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी विभाग,

- i. शहरी विकास विभाग या नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस प्रबंधन पर एक राज्य नीति और रणनीति तैयार करना , जिसमें अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान, अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का आकलन जैसे संग्रहण और परिवहन के लिए वाहन, संग्रहण और पृथक्करण केंद्र , गीले अपशिष्ट के लिए उर्वरक गड्ढे और बायोगैस इकाइयां, अंतराल विक्षेपण, शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के साथ जुड़ाव, अपशिष्ट चुनने वालों का एकीकरण , स्वयं सहायता समूह और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले इसी तरह के समूह इन नियमों के अनुरूप पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2026 तक तैयार करना और इसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना, और यह प्रक्रिया प्रत्येक 5 वर्ष में करना।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में इन नियमों के अंतर्गत उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग को सह-नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा।
- (3) ग्रामीण विकास विभाग तथा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी विभाग -
- i. संग्रहण और/या उपचार सुविधाओं के मामले में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए उपाय करना;
- ii. जैविक उर्वरक की स्वीकार्यता में सुधार के लिए गतिविधियों की योजना बनाना – सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करना और प्रसारित करना;
- iii. यह सुनिश्चित करना कि एकत्रित प्रभार का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव में किया जाएगा;
- iv. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन/उन्नयन को सुनिश्चित करना और 100% पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, परिवहन उपचार/प्रसंस्करण और निस्तारण क्षमता को पूरा करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे के कवरेज में सुधार करना;
- v. ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में चक्रीय अर्थव्यवस्था पर राज्य स्तरीय प्रचालन समिति की स्थापना;
- vi. आवासीय सोसाइटियों और अन्य थोक अपशिष्ट जनितों को स्वस्थाने गीला अपशिष्ट/बागवानी अपशिष्ट उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन (जैसे कर लाभ) प्रदान करना;
- vii. यह सुनिश्चित करना कि सभी स्थानीय निकाय 31 मार्च 2026 तक संग्रहण, छंटाई, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण सहित सभी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे के संबंध में ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए और अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाए;
- viii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण स्थानीय निकाय को मान्यता पुरस्कार प्रदान करना;
- ix. प्रत्येक वर्ष जून के चौथे सप्ताह में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना सुविधाओं की स्थिति और परिचालन स्थितियों के पुनर्विलोकन के साथ-साथ गतिविधियों के लिए एक सप्ताह का अभियान आयोजित करना ;
- x. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे के लिए पीपीपी मोड मॉडल विकसित करना;
- xi. कार्यान्वयन के लिए नीति और रणनीति तैयार करके बायोगैस अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता तय करना;
- xii. निजी विकासकों को बायोगैस/ बायोमेथेनेशन और कम्पोस्ट अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना;
- xiii. सफाई कर्मचारियों को यह अधिकार देना कि वे पृथक न किए गए अपशिष्ट पर और संग्रह से इनकार करने पर जुर्माना/दंड लगा सकें;
- xiv. अपशिष्ट की अंधाधुंध डंपिंग पर जुर्माना/कर लगाना;
- xv. वैधानिक अनिवार्यताओं को पूरा करने में स्थानीय निकायों को सक्षम बनाने के लिए जिला कलेक्टर के अधीन जिला स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण पार्क विकसित करना;
- xvi. भूमिभरण को कम करने के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर शुष्क अपशिष्ट प्रसंस्करण और अस्वीकृत अपशिष्टों की निगरानी करना;
- xvii. अनुबंधों में समावेशन के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के पृथक्करण, एकीकरण और क्षमता निर्माण पहलों को अनिवार्य और लागू करना;

xviii. अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माना लगाना;

xix. अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से जुड़ी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करना;

xx. अपशिष्ट संग्रहण और प्रबंधन रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए डैशबोर्ड विकसित करने हेतु जिला स्तरीय पीआरआई के साथ सहयोग करना।

(4) आवश्यक अवसंरचना और नीतिगत आवश्यकताओं के लिए उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से अन्य विभागों के साथ समन्वय करने हेतु उपयुक्त राज्य विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जा सकता है।

(5) ग्रामीण घरेलू अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट उपाय स्थानीय विनियमों में तैयार किए जाएंगे।

16. जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या उपायुक्त के कर्तव्य.- (1) जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या जैसा भी मामला हो, उपायुक्त, -

- (i) अनुसूची X के अनुरूप राज्य शहरी विकास विभाग/राज्य ग्रामीण विकास विभाग के साथ निकट समन्वय में अपने जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन को सुकर बनाना तथा अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना;
- (ii) अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, प्रसंस्करण, उपचार और निस्तारण के संबंध में स्थानीय निकायों के अनुपालन की तिमाही में कम से कम एक बार पुनर्विलोकन करना तथा शहरी विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी विभाग के साथ परामर्श करके उपचारात्मक उपाय करना। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी विभाग और स्थानीय निकाय के पोर्टल पर पुनर्विलोकन बैठक के कार्यवृत्त अपलोड करना;
- (iii) आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनी योजनाओं में ठोस अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को शामिल करना और ठोस अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने वाली आर्थिक और तकनीकी नीतियों और उपायों को अपनाना।
- (iv) इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन न करने पर सीपीसीबी द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण प्रतिकर अधिरोपित कर सकते हैं।

जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्यकर/प्रचालन भूमिभरण का प्रचालन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाए।

17. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्तव्य.- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-

- (i) इन नियमों के कार्यान्वयन और सभी हितधारकों द्वारा विहित मानकों के पालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय करना;
- (ii) सभी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं के बाबत भूजल, परिवेशी वायु, ध्वनि प्रदूषण, निक्षालन के लिए मानक तैयार करना;
- (iii) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरण मानकों और मानदंडों की पुनर्विलोकन करना तथा जब अपेक्षित हो, उन्हें अद्यतन करना;
- (iv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से, वर्ष में कम से कम एक बार, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं या उपचार प्रौद्योगिकियों के लिए विहित पर्यावरण मानकों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना तथा उनके द्वारा निगरानी किए गए आंकड़ों को संकलित करना;
- (v) 6 महीने के भीतर इसके लिए प्रदर्शन मानकों, उत्सर्जन मानदंडों को विहित करना;
- (vi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से स्थानीय निकायों द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- (vii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इन नियमों के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करना और रिपोर्ट को हर वर्ष 30 सितंबर तक लोक अधिकार क्षेत्र में भी रखा जाएगा;
- (viii) प्रतिदिन पांच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाली सुविधाओं के विभिन्न आकारों के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधाओं की बाहरी सीमा से किसी भी आवासीय, वाणिज्यिक या किसी अन्य संनिर्माण

क्रियाकलाप को प्रतिबंधित करने के लिए बफर जोन बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों प्रकाशित करना;

(ix) ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निस्तारण के पर्यावरणीय पहलुओं पर समय-समय पर दिशानिर्देश प्रकाशित करना, ताकि स्थानीय निकायों के साथ-साथ अन्य संस्थाएं भी इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन कर सकें; और

(x) राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र को अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय प्रचालन पर मार्गदर्शन प्रदान करना।

(2) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय /डीडीडब्ल्यूएस 31मार्च 2025 तक ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, छंटाई, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण की पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेंगे।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्रत्येक वर्ष प्राप्त आंकड़ों को संकलित कर 30 सितम्बर तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण-पत्रों के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीपीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति का गठन करेगा तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिशें करेगा। समिति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए छह महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में ठोस अपशिष्ट के उपचार से संबंधित प्रौद्योगिकियों को मान्य करेगा।

(7) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/पुनर्प्राप्ति/उपचार/प्रसंस्करण के संबंध में पर्यावरणीय मानदंडों पर आधारित प्रौद्योगिकियों और मानकों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से प्रशिक्षण सामग्री और मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विकसित करेगा और ऑनलाइन केन्द्रीयकृत पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(9) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैविक उर्वरक के लिए नियमित निगरानी ढांचे और परीक्षण प्रोटोकॉल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करेगा।

(10) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल निकायों तथा भूमि पर ठोस अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में रिपोर्टिंग मॉड्यूल विकसित करेगा, जिसकी रिपोर्ट ऐसे जल निकायों या भूमि पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित हितधारकों द्वारा की जाएगी।

(11) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात, इन नियमों के अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म की स्थापना हेतु अभिकरणों को अधिकृत करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

(12) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 31 मार्च, 2025 तक इन नियमों के अंतर्गत उल्लिखित सभी उपबंधों के संबंध में प्रपत्र तैयार करेगा तथा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा।

(13) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के सभी उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सभी अपशिष्ट घटकों और मूल्य श्रृंखला में परिपत्र अर्थव्यवस्था पहलों को चलाएगा और उनकी निगरानी करेगा।

(14) सभी बायोमिथेनीकरण /सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों का पंजीकरण गोबरधन पोर्टल पर किया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक वार्षिक रिपोर्टिंग के साथ केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

(15) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एसपीसीबी/पीसीसी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक सभी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की तृतीय पक्ष से लेखापरीक्षा कराएगा तथा उसे केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(16) समस्त सीमेंट भट्टों एवं समस्त उद्योगों का पंजीकरण आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा।

(17) अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्रों और सीबीजी संयंत्रों के लिए मानक पर्यावरण मानदंडों का विकास सीपीसीबी द्वारा 31मार्च 2025 तक विकसित किया जाएगा।

(19) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एकल खिड़की मंजूरी के विकास में डीपीआईआईटी के साथ समन्वय कर सकता है।

18. शहरी स्थानीय निकायों के कर्तव्य :-

(1) सभी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधारने के लिए इन नियमों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) शहरी स्थानीय निकाय, राज्य नीति और रणनीति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति द्वारा विहित प्रोफार्मा में ठोस अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ

निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

- (i) अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कुल अपशिष्ट उत्पादन का वार्डवार व्यौरा;
 - (ii) अपशिष्ट उत्पादन के लिए पांच वर्षीय आकलन;
 - (iii) वार्ड-वार संग्रहण (विशेष देखभाल अपशिष्ट सहित) और परिवहन योजना;
 - (iv) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का वार्ड-वार मानचित्रण;
 - (v) बाजार स्थलों, सामुदायिक सेवा अवसंरचना जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक महत्व के स्थानों का वार्ड-वार मानचित्रण ;
 - (vi) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन जैव चिकित्सा अपशिष्ट की मात्रा के साथ-साथ चिन्हित अधिभोगियों का मानचित्रण किया जाएगा, तथा उन्हें अपने परिसर से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट को पंजीकृत बीएमडब्ल्यूटीएफ को सौंपने के लिए बाध्य किया जाएगा।
 - (vii) अपशिष्ट प्रवण बिंदुओं और कूड़ा प्रवण स्थानों से अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन की योजना;
 - (viii) जल निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रवेश बिंदुओं का मानचित्रण और उचित अवरोधों के माध्यम से जल निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने की योजना;
 - (ix) सतही जल निकायों और नालियों से तैरते हुए ठोस अपशिष्ट को हटाने की समयसीमा;
 - (x) विहित मानदंडों के अनुसार सड़कों की सफाई और अपशिष्ट पेटियों की व्यवस्था करने की समयसीमा;
 - (xi) रेलवे भूमि और सार्वजनिक प्राधिकरणों की भूमि सहित ठोस अपशिष्ट के खुले में निस्तारण के लिए उपयुक्त सार्वजनिक या निजी स्वामित्व के अधीन भूमि के खाली भूखंडों का मानचित्रण;
 - (xii) सीपीसीबी द्वारा विहित दिशा-निर्देशों के अनुसार इस उद्देश्य के लिए बनाए गए समर्पित भस्मक या सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्यकर तैलिए, डायपर सहित स्वास्थ्यकर अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रबंधन की योजना बनाना;
 - (xiii) विशेष देखभाल अपशिष्ट के संग्रहण और पर्यावरण युक्तियुक्त रीति से प्रबंधन की योजना;
 - (xiv) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की आवश्यकता जिसमें संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण, भंडारण, विशेष देखभाल अपशिष्ट और स्वास्थ्यकर अपशिष्ट के लिए आवश्यकतानुसार प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण (गीले और सूखे दोनों प्रकार के अपशिष्ट सहित) और स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण में अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से उचित निस्तारण शामिल है।
- (3) सभी स्थानीय निकाय संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे और सीपीसीबी द्वारा विकसित केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर शहर की ठोस अपशिष्ट कार्य योजना अपलोड करेंगे।
- (4) सभी स्थानीय निकाय मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बसावटों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों, बहुमंजिला इमारतों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय परिसरों आदि सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को अनुसूची X में दी गई समय-सीमा के अनुसार स्वयं या नामित तृतीय पक्ष अभिकरण के माध्यम से द्वार-द्वार के संग्रहण की व्यवस्था करेंगे।
- (5) सभी स्थानीय निकाय 31 मार्च 2026 तक इन नियमों के उपबंधों को समाविष्ट करते हुए उपविधियां तैयार करेंगे।
- (6) उपयोक्ताप्रभार, जो समुचितसमझी जाए, समय-समय पर विहित करना तथा अपशिष्ट जनित्रों से स्वयं अथवा प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से प्रभार वसूल करना;
- (7) सभी स्थानीय निकाय अपशिष्ट जनित्रों को निदेश देना कि कूड़ा करकट न फैलाएं अर्थात् कागज, पानी की बोतलें, शराब की बोतलें, शीतल पेय के डिब्बे, टेट्रा पैक, फलों के छिलके, रैपर आदि जैसे किसी भी अपशिष्ट सड़कों, खुले सार्वजनिक स्थानों, नालियों, अपशिष्ट निकायों में न जलाएं या न गाड़ें और इन नियमों के अधीन विहित स्रोत अपशिष्ट को अलग-अलग करें तथा पृथक् किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत तीसरे पक्ष/अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंप दें।
- (8) स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं अथवा अभिकरणों की मदद से ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए अवसंरचना विकसित करें और स्थापित करें तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के साथ-साथ सुविधाओं की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करें।
- (9) सभी स्थानीय निकाय अनुसूची X में दी गई समय-सीमा के अनुसार स्वयं अथवा नामित तृतीय पक्ष अभिकरण के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई को सभी घरों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों, बहुमंजिला इमारतों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय परिसरों आदि से पृथक् किए गए ठोस अपशिष्ट को द्वार-द्वारसंग्रह करने की व्यवस्था करेंगे।

(10) सभी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी एवं कुशल तरीके से केंद्रीकृत या विकेन्द्रीकृत तरीके से 100% कवरेज प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे।

(11) सभी स्थानीय निकाय अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक एक वर्ष में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, जिसमें मौजूदा ठोस अपशिष्ट भी शामिल है, का मूल्यांकन करेंगे और सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा का अनुमान भी लगाएंगे।

(12) सभी स्थानीय निकाय संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का मूल्यांकन करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक अपनी वेबस्थल पर इसकी रिपोर्ट देंगे।

(13) सभी स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। यह जानकारी हर वर्ष 30 अप्रैल तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(14) सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थानों से अपशिष्ट का संग्रहण स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की गई समयसीमा के आधार पर किया जाए, जिसे केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(15) सभी शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और उपचार के लिए सुविधाओं, उपकरणों और अवसंरचना के प्रबंधन और रखरखाव की रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक वार्षिक विवरणी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल की जाएगी।

(16) स्थानीय निकाय सड़क सफाई कर्मचारियों को निर्देश देंगे कि वे सड़क सफाई के दौरान संग्रह पेड़ों के पत्तों को न जलाएं तथा उन्हें अलग से संग्रहित करें तथा अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत अभिकरण को सौंप दें।

(17) सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़कों, गलियों और उप-गलियों की सफाई से प्रतिदिन निकलने वाले अपशिष्ट को अलग से या वैकल्पिक दिनों पर या सप्ताह में दो बार या जनसंख्या घनत्व, वाणिज्यिक गतिविधि और स्थानीय स्थिति के आधार पर स्थानीय निकाय द्वारा विहित तरीके से संग्रह किया जाए।

(18) सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि शुष्क अपशिष्ट अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार संबंधित प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा या द्वितीयक भंडारण सुविधा तक पहुंचाया जाए।

(19) सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाए।

(20) सभी स्थानीय निकाय रासायनिक उर्वरक के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे तथा स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित सभी पार्कों, उद्यानों में तथा जहां भी संभव हो, अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य स्थानों में कम्पोस्ट का प्रयोग करेंगे।

(21) सभी स्थानीय निकाय दिन-प्रतिदिन आधार पर बाजारों से सब्जी, फल, फूल, मांस, मुर्गी और मछली बाजार से अपशिष्ट संग्रह करना, और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को सुनिश्चित करते हुए बाजारों में या बाजारों के आसपास उपयुक्त स्थानों पर विकेन्द्रीकृत उर्वरक संयंत्र या जैव मिथेनीकरण संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा देंगे।

(22) स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी पंजीकृत जैवमिथेनीकरणसंयंत्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, स्वास्थ्यकर/कार्यात्मकभूमिभरण, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की सूची तैयार करेंगे और 31 मार्च 2025 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे, तथा हर साल 31 मार्च तक वार्षिक रूप से अद्यतन करेंगे।

(23) सभी स्थानीय निकाय सड़कों की सफाई और सतही नालियों से निकाली गई गाद को जिन मामलों में इन अपशिष्टों का सीधा संग्रह करने के लिए परिवहन वाहन सुविधाजनक व्यवहार्य नहीं है, अस्थायी रूप से भंडारण के लिए आच्छादित गौण भंडारण सुविधा स्थापित करेंगे। इस तरह से संग्रह किए गए अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा तय किए गए नियमित अंतराल पर संग्रह और निस्तारण किया जाएगा और अनुसूची X में विहित समय सीमा के अनुसार हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड किया जाएगा।

(24) सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि बागवानी, पार्क और उद्यान अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रह किया जाए और जहां तक संभव हो पार्कों और उद्यानों में उर्वरक बनाया जाए या विहित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके संसाधित किया जाए और हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन किया जाए।

(25) सभी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि पृथक किए गए जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट को प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कि कम्पोस्ट संयंत्र, जैव-मिथेनेशन संयंत्र या किसी ऐसे जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा तक पहुंचाया जाए; ऐसे अपशिष्ट के मौके पर ही प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।

(26) सभी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंधन में समुदायों को शामिल करेंगे तथा घरेलू उर्वरक बनाने, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण को बढ़ावा देंगे, बशर्ते कि समुदाय स्तर पर गंध पर नियंत्रण हो तथा सुविधा के आसपास स्वास्थ्यकर पूर्ण स्थिति बनी रहे।

(27) वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करना तथा यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन इन नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्थानीय निकाय के अन्य अनिवार्य कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही किया गया है;

(28) यदि अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन दस मीट्रिक टन से अधिक है, जिसमें स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण भी शामिल हैं, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, से अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त करने हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन करना;

(29) प्राधिकरण की वैधता की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना ;

(30) उत्तरवर्ती वर्ष की 30 जून तक या उससे पहले फार्म IV में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करना, जिसकी प्रतिलिपि राज्य शहरी विकास विभाग या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) एक वर्ष में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, जिसमें विरासत ठोस अपशिष्ट भी शामिल है;
- (ii) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना;
- (iii) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का अनुमान; तथा
- (iv) उपविधियों के निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति
- (v) थोक अपशिष्ट जनित्रों द्वारा केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत तरीके से अपशिष्ट का प्रबंधन।

(31) पृथक अपशिष्ट को द्वार-द्वारसंग्रह करने तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट को प्रसंस्करण या निस्तारण सुविधा तक ले जाने के लिए संविदा श्रमिकों और पर्यवेक्षकों सहित श्रमिकों को शिक्षित करना तथा इस संबंध में वार्षिक विवरणी दाखिल करना;

(32) यह सुनिश्चित करना कि किसी सुविधा का प्रचालक ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले सभी श्रमिकों को वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त फुटवियर और मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करता है और इनका उपयोग कार्यबल द्वारा किया जाता है और इस संबंध में वार्षिक विवरणी दाखिल करता है;

(33) यह सुनिश्चित करना कि समूह आवास सोसायटी या बाजार परिसर की भवन योजना को मंजूरी देते समय पृथक किए गए अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए केंद्रों की स्थापना के उपबंध भवन योजना में उपाविष्ट किए जाएं और इस संबंध में वार्षिक विवरणी दाखिल करें;

(34) कचरा फैलाने वाले या इन नियमों के उपबंधों का पालन करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों के लिए स्थल पर ही जुर्माना लगाने के लिए उप-विधि बनाना तथा मापदंड विहित करना तथा बनाई गई उपविधियों के अनुसार स्थल पर ही जुर्माना लगाने तथा इस संबंध में वार्षिक विवरणी दाखिल करने की शक्तियां उचित अधिकारियों या स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित करना;

(35) सूचना, शिक्षण और संचार अभियान के माध्यम से जन जागरूकता का सृजन करना तथा अपशिष्ट जनित्रों को निम्नलिखित के संबंध में शिक्षित करना, अर्थात्: -

- (a) कचरा न फैलाना;
- (b) अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना ;
- (c) संभवसीमा तक अपशिष्ट का पुनः उपयोग;
- (d) अपशिष्ट को गीला, शुष्क (पुनर्चक्रण योग्य, गैर-पुनर्चक्रण योग्य), स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में पृथक्करण;
- (e) घरेलू कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, बायो-गैस उत्पादन या सामुदायिक स्तर पर कम्पोस्टिंगका व्यवहार करना;
- (f) उपयोग किए गए स्वास्थ्यकर अपशिष्ट को, जब भी उत्पन्न हो, ब्रांड मालिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पाउचों में या स्थानीय निकाय द्वारा विहित उपयुक्त लपेटने वाली सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटना;
- (g) स्रोत पर पृथक अपशिष्ट का पृथक-पृथक डिब्बों में भंडारण;
- (h) पृथक किए गए अपशिष्टको अपशिष्ट चुनने वालों, अपशिष्टसंग्राहकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरणों को सौंपना; तथा

(i) अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या स्थानीय निकायों या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मासिक उपयोक्ता फीस या प्रभार का संदाय करना।

(36) स्थानीय निकाय हटाए गए निष्क्रिय पदार्थों और पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से उनके निस्तारण के बारे में वार्षिक विवरणी दाखिल करेंगे।

(37) स्थानीय निकाय गीले अपशिष्ट के साथ सड़क की सफाई करने वाली धूल के मिश्रण पर रोक लगाएंगे। भूमिभरण स्थल पर एकत्रित और जमा की गई सड़क की सफाई करने वाली धूल की रिपोर्ट भूमिभरण प्रचालक द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी।

(38) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के शहरी स्थानीय निकाय, अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से अठारह माह के भीतर भौगोलिक स्थिति प्रणाली का उपयोग करते हुए संग्रहण वाहनों की ट्रैकिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के मानचित्रण के लिए डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे।

(39) पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के शहरी स्थानीय निकाय, अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से तीस महीने के भीतर भौगोलिक स्थिति प्रणाली का उपयोग करते हुए संग्रहण वाहनों की ट्रैकिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के मानचित्रण के लिए डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे।

(40) शहरी स्थानीय निकाय 31 मार्च 2025 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगे। सभी स्थानीय निकाय शिकायतों की स्थिति के बारे में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक वार्षिक विवरणी दाखिल करेंगे।

(41) शहरी स्थानीय निकायों को इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से थोक अपशिष्ट जनित्रों की पहचान करनी होगी। पहचाने गए थोक अपशिष्ट जनित्रों को जियो-टैग किया जाना है। स्थानीय निकाय अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार जैविक और थोक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी थोक अपशिष्ट जनित्रों, होटलों, सड़क किनारे के भोजनालयों, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसरों का मानचित्रण करेंगे।

(42) शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रचालन और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए थोक उपयोक्ता ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र प्रभार अधिसूचित करेंगे, जो दीर्घकालिक स्थिरता और सुनिश्चित सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बल्क अपशिष्ट जनित्र पर अधिरोपित किया जाएगा। थोक अपशिष्ट उत्पादकप्रभार के साथ-साथ, स्थानीय निकाय उप-विधियों में उपयुक्त जुमाना उपबंधों को भी अधिसूचित करेंगे।

(43) शहरी स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत अभिकरण नीचे दी गई योजना के अनुसार संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सत्यापन के बाद थोक अपशिष्ट उत्पादक को ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र जारी करेगा, -

(i) थोक अपशिष्ट जनित्र द्वारा प्रभार के भुगतान के विरुद्ध मानक आधार पर गणना किए गए कुल ठोस अपशिष्ट (गीला अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, विशेष देखभाल अपशिष्ट) के लिए थोक अपशिष्ट उत्पादक को एकल ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र जारी करना,

(ii) सीपीसीबी द्वारा जारी मानदंडों के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुमोदन के बाद स्थानीय निकाय की उपविधियों या उपयुक्त विनियमन में ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र के लिए प्रभार अधिसूचित करेगा,

(iii) थोक अपशिष्ट उत्पादक को जारी किए गए ईबीडब्ल्यूजीआर प्रमाणपत्र में ऐसे थोक अपशिष्ट उत्पादक के लिए ठोस अपशिष्ट का परिकलित विभाजन निर्दिष्ट किया जा सकेगा और गीले अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट के मामले में पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का ब्यौरा शामिल होगा, जिन्हें अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए सौंप दिया गया है, सूखे अपशिष्ट के मामले में पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का ब्यौरा, जिन्हें शुष्क अपशिष्ट सौंप दिया गया है, प्रदान किया जाएगा;

(iv) वार्षिक आधार पर विभिन्न प्रकार के थोक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पन्न वास्तविक अपशिष्ट का आवधिक आधार पर लेखा-परीक्षण करेगा, सीपीसीबी द्वारा विहित मानदंडों के अनुसार उत्पन्न वास्तविक अपशिष्ट का ब्यौरा एसपीसीबी को संग्रहण, संक्षेपण तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सीपीसीबी को उचित अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(44) शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट संग्रहण के प्रयोजन के लिए वार्डों के अधिकार क्षेत्र को छोटी इकाइयों में विभाजित करेंगे या वार्डों को बड़ी इकाई में जोड़ेंगे, जो औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ थोक ठोस अपशिष्ट उत्पादकों से संग्रहण को छोड़कर अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(45) शहरी स्थानीय निकाय, विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा औसत अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर, वार्षिक आधार पर शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में ठोस अपशिष्ट उत्पादन की रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे।

(46) शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट उत्पादन और संग्रहण को मासिक आधार पर केंद्रीकृत तरीके से दर्शाएंगे। सीपीसीबी द्वारा अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।

(47) शहरी स्थानीय निकायों को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जोन-वार केंद्रीकृत उर्वरक इकाइयां स्थापित करनी होंगी, व्यक्तिगत समुदाय/इकाइयों से पृथक्कृत गीला अपशिष्ट संग्रह किया जाएगा और अनुसूची एक्स में विहित समय सीमा के अनुसार इन विकेंद्रीकृत उर्वरक इकाइयों में निस्तारित किया जाएगा।

(48) शहरी स्थानीय निकायों को बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे परिसरों में और उनके आसपास पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान रखने होंगे।

(49) शहरी स्थानीय निकाय अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा के आधार पर या तो स्वयं या पीपीपी मोड में एमआरएफ की स्थापना करेंगे और हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन करेंगे।

(50) ऐसे सभी एमआरएफ मासिक आधार पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त अपशिष्ट, उपलब्धता और पृथक अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं/भस्मक, टीएसडीएफ और स्वास्थ्यकर/कार्यात्मकभूमिभरण स्थलों सहित जीवन समाप्ति निस्तारण संस्थाओं तक परिवहन को दर्शाएंगे।

(51) सभी शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और उपचार के लिए सुविधाओं, उपकरणों और अवसंरचना के प्रबंधन और रखरखाव की रिपोर्ट 31 मार्च 2025 तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक वार्षिक विवरणी केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल किया जाएगा।

(52) शहरी स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव को स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी से या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानकों का पालन करते हुए सुकर बनाएंगे। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी जैसे-

(क) जैव-मीथेनेशन, सूक्ष्मजीवी उर्वरक, वर्मी-कंपोस्ट, अवायवीय पाचनया जैवनिस्त्रीकरणीय अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, जिसमें अपशिष्ट के दहनीय अंश के लिए अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन या ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों या सीमेंट भट्टों या अन्य भट्टियों को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति शामिल है ;

(53) शहरी स्थानीय निकाय मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बसावटों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर आवासीय परिसरों, बहुमंजिला इमारतों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय परिसरों और इसी तरह के अन्य स्थानों सहित घरों से शुष्क अपशिष्ट, गीला अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट संग्रह करेंगे और उन्हें पृथक-पृथक डिब्बों में बंद वाहनों में स्वयं या तीसरे पक्ष के माध्यम से संबंधित प्रसंस्करण सुविधा तक ले जाएंगे।

(54) शहरी स्थानीय निकाय पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं या द्वितीयक भंडारण सुविधाएं स्थापित करेंगे और अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं से अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं तक कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा जैसी छांटे गए पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को एकत्रित करने में सक्षम बनाएंगे।

(55) शहरी स्थानीय निकाय स्वयं या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से ठोस अपशिष्ट, विशेष रूप से विशेष देखभाल अपशिष्टों के संग्रहण के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे, साथ ही किसी शहर या कस्बे में निक्षेपण केन्द्रों की स्थापना करेंगे, ताकि पांच वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के क्षेत्र के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जा सके, तथा ऐसे केन्द्रों पर विशेष देखभाल अपशिष्ट प्राप्त करने के समय को अधिसूचित करेंगे और अपशिष्ट उत्पादकों को अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार सुरक्षित निस्तारण के लिए इन केन्द्रों पर विशेष देखभाल अपशिष्टों को संग्रह करने के निर्देश देंगे।

(56) शहरी स्थानीय निकाय बीस वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के क्षेत्र के लिए एक निक्षेपण केन्द्र स्थापित करेंगे तथा ऐसे केन्द्रों पर विशेष देखभाल अपशिष्ट प्राप्त करने का समय अधिसूचित करेंगे।

(57) शहरी स्थानीय निकाय विशेष देखभाल अपशिष्ट का सुरक्षित भंडारण और प्रसंस्करण/निस्तारण सुविधा तक परिवहन सुनिश्चित करेंगे या जैसा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(58) शहरी स्थानीय निकाय इन नियमों के अधीन उपबंध के अनुसार स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण और संबद्ध अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव करेंगे;

(59) शहरी स्थानीय निकाय, यदि अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन दस मीट्रिक टन से अधिक है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, से स्वास्थ्यकर/कार्यात्मकभूमिभरण सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदत्त करने के लिए प्रपत्र .. में आवेदन करेंगे;

(60) शहरी स्थानीय निकाय, प्राधिकरण की वैधता की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे ;

(61) शहरी स्थानीय निकाय केवल अप्रयोजनीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-जैवनिम्नीकरणीय, गैर-दहनशील और गैर-सक्रिय अपशिष्ट तथा पूर्व प्रसंस्करण अपशिष्टों तथा अवशिष्टों को ही प्रसंस्करण सुविधाओं से स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण में जाने की अनुमति देंगे और स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण स्थल अनुसूची-I में दी गई विशिष्टताओं को पूरा करेंगे, तथापि, अवशिष्टों का यथासंभव पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि भूमिभरण तक शून्य अपशिष्ट जाने के अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

(62) शहरी स्थानीय निकाय गीले अपशिष्ट के साथ सड़क की सफाई करने वाली धूल के मिश्रण पर रोक लगाएंगे। भूमिभरण पर एकत्रित और जमा की गई सड़क की सफाई करने वाली धूल की रिपोर्ट भूमिभरण ऑपरेटर द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी।

(63) शहरी स्थानीय निकाय बागवानी अपशिष्ट का पृथक-पृथक संग्रहण और प्रसंस्करण सुनिश्चित करेंगे। प्रतिदिन एकत्रित किए गए और प्रसंस्करण के लिए भेजे गए बागवानी अपशिष्ट की मात्रा की रिपोर्ट केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी।

(64) संदाय किया गया टिपिंग प्रभार अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई प्रचालक और भूमिभरणप्रचालक द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी में रिपोर्ट किया जाएगा।

(65) शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि गीले अपशिष्ट के भंडारण के लिए सार्वजनिक स्थान पर कूड़ेदानों को हरे रंग से रंगा जाएगा, सूखे अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदानों को नीले रंग से तथा विशेष देखभाल वाले अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदानों को काले रंग से तथा स्वास्थ्यकर संबंधी अपशिष्ट के भंडारण के लिए कूड़ेदानों को लाल रंग से रंगा जाएगा।

(66) शहरी स्थानीय निकाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संबंधित विभागों के साथ मिलकर यूएलबी-वार आरडीएफ संयंत्रों की उत्पादन क्षमता और उद्योगों द्वारा उपयोग/खरीद के साथ मानचित्रण करेंगे।

(67) शहरी स्थानीय निकाय वार्डवार डाटाबेस तैयार करेंगे और ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, परिवहन और प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/निस्तारणक्रियाकलापों में शामिल अनौपचारिक क्षेत्र जैसे अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों सहित सभी कर्मियों का केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

(68) स्थानीय निकाय अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों को एकीकृत करने के लिए उन्हें या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को मान्यता देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे, अपशिष्ट के द्वार-द्वार संग्रह सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देंगे, इसे अनुसूची X में दी गई समयसीमा के अनुसार केंद्रीकृत पोर्टल पर दर्शाएंगे।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के कर्तव्य:- (1) जिला पंचायत के कर्तव्य, -

(i) राज्य नीति और कार्यनीति की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति द्वारा निर्देशित विहित प्रोफार्मा में ठोस अपशिष्ट कार्य योजना तैयार करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तत्व शामिल होंगे:

(क) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कुल अपशिष्ट उत्पादन का ग्राम पंचायत के वार्डवार ब्यौरा ;

(ख) अपशिष्ट उत्पादन के लिए पांच वर्षीय अनुमान;

(ग) संग्रहण (विशेष देखभाल अपशिष्ट सहित) और परिवहन योजना;

(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे का मानचित्रण;

(ई) बाजार स्थानों, सामुदायिक सेवा बुनियादी ढांचे जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक महत्व के स्थानों का मानचित्रण ;

(च) अपशिष्ट प्रवण स्थानों से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई और कचरा डालने वाले प्रमुख स्थानों तक अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन की योजना;

(छ) जल निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रवेश द्वारों का मानचित्रण तथा समुचित अवरोधों की स्थापना के माध्यम से जल निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने की योजना बनाना;

(ज) सतही जल निकायों और नालियों से तैरते हुए ठोस अपशिष्ट को हटाने की समयसीमा;

(i) विहित मानदंडों के अनुसार सड़कों की सफाई और अपशिष्ट पेटियों की स्थापना के लिए समयसीमा;

(झ) सार्वजनिक या निजी स्वामित्व के अंतर्गत रिक्त भूखंडों का मानचित्रण, जो ठोस अपशिष्ट के खुले में डंपिंग के लिए प्रवण हैं, जिनमें रेलवे भूमि और सार्वजनिक प्राधिकरणों की भूमि शामिल है;

(त) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की आवश्यकता, जिसमें संग्रहण, परिवहन, पृथक्करण, भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण (गीले और सूखे दोनों प्रकार के अपशिष्टों सहित) से पूर्व अपेक्षित तथा अपशिष्टों का पर्यावरणीय युक्तियुक्त रीति से उचित निस्तारण शामिल है।

- (ii) संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना तथा सीपीसीबी द्वारा विकसित केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर शहर की ठोस अपशिष्ट कार्य योजना अपलोड करना।
- (iii) अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से बारह महीने के भीतर भौगोलिक स्थिति प्रणाली का उपयोग करके संग्रहण वाहनों की निगरानी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का मानचित्रण करने के लिए डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए प्रणालियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना।
- (iv) प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना/सुविधाओं/इकाइयों के संबंध में केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर एसपीसीबी को वार्षिक विवरणी दाखिल करना।
- (v) संग्रहण, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना का आकलन करना और अगले वित्तीय वर्ष के 30 जून तक अपनी वेबस्थल पर रिपोर्ट देना।
- (vi) सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतवार/क्षेत्रवार केंद्रीयकृत कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएंगी, व्यक्तिगत समुदाय/इकाइयों से पृथक गीला अपशिष्ट संग्रह किया जाएगा तथा अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार इन विकेंद्रीकृत कम्पोस्ट इकाइयों में उसका निस्तारण किया जाएगा।
- (vii) पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान के साथ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं या द्वितीयक भंडारण सुविधाएं और अनुसूची X में विहित समय के अनुसार सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं से अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं तक कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा जैसे पृथक किए गए पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का संग्रह सक्षम करना। जिला पंचायतें अनुसूची X में विहित समय के अनुसार अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा के आधार पर या तो स्वयं या पीपीपी मोड में एमआरएफ स्थापित करेंगी और हर साल 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन करेंगी।
- (viii) ऐसे सभी एमआरएफ को तिमाही आधार पर केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त अपशिष्ट की उपलब्धता और पृथक अपशिष्ट को पुनर्चक्रणकर्ताओं/भस्मक/सीमेंट भट्टों सहित जीवन समाप्ति निस्तारण संस्थाओं तक परिवहन की जानकारी दर्शानी होगी।
- (ix) ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, परिवहन और उपचार के लिए सुविधाओं, उपकरणों और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और रखरखाव की रिपोर्ट सभी जिला स्तरीय पीआरआई के संबंध में केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल की जाएगी।
- (x) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रखरखाव को स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना और डीडीडब्ल्यूएस और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानकों का पालन करना। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी जैसे-
- (क) जैव-मीथेनेशन, सूक्ष्मजीवी उर्वरक, वर्मी-कंपोस्ट, अवायवीय पाचनया जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;
- (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया, जिसमें अपशिष्ट के दहनीय अंश के लिए अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन या ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों या सीमेंट भट्टों या अन्य भट्टियों को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति शामिल है;
- (xi) वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों, भवनों सहित घरों से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन को कम्पार्टमेंटलाइज्ड और आच्छादित वाहनों में संबंधित प्रसंस्करण सुविधा तक सुकर बनाना।
- (xii) ठोस अपशिष्ट, विशेष रूप से विशेष देखभाल अपशिष्टों के संग्रहण के लिए सेवाएं प्रदान करना, साथ ही किसी शहर या कस्बे में निक्षेपण केन्द्रों की स्थापना करना, ताकि पांच वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के क्षेत्र के लिए एक केन्द्र स्थापित किया जा सके, तथा ऐसे केन्द्रों पर विशेष देखभाल अपशिष्ट प्राप्त करने के समय को अधिसूचित करना तथा अपशिष्ट उत्पादकों को अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार सुरक्षित निस्तारण के लिए इन केन्द्रों पर विशेष देखभाल अपशिष्टों को जमा करने के निर्देश देना।
- (xiii) यह सुविधा प्रदान करना कि शुष्क अपशिष्ट अनुसूची X में विहित समय-सीमा के अनुसार संबंधित प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा या द्वितीयक भंडारण सुविधा/शेड तक पहुंचाया जाए।
- (xiv) आगामी वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पहले केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर फार्म IV में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना, जिसकी प्रतिलिपि राज्य ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भी भेजी जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (क) एक वर्ष में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, जिसमें मौजूदा ठोस अपशिष्ट भी शामिल है;
- (ख) संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना;
- (ग) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का अनुमान; और
- (घ) उपविधियों के निर्माण और कार्यान्वयन की स्थिति

(xv) सीपीसीबी द्वारा विकसित केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म-IV में वार्षिक रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को हर वर्ष 30 जून से पहले प्रस्तुत करना।

(xvi) 31 मार्च 2025 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। सभी स्थानीय निकाय शिकायतों की स्थिति के बारे में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक वार्षिक विवरणी दाखिल करना।

(xvii) गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय स्तर की पंचायत के साथ मिलकर काम करना।

(xviii) वार्डवार डाटाबेस तैयार करना तथा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, छंटाई, परिवहन तथा प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/निस्तारणकार्यकरण में शामिल अनौपचारिक क्षेत्र जैसे अपशिष्ट चुनने वालों/संग्राहकों सहित सभी कार्मिकों का केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना।

(xxi) अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों को मान्यता देने के लिए एक प्रणाली स्थापित करके उन्हें या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को एकीकृत करना, अपशिष्ट के घर-घर संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना तथा अनुसूची X में दी गई समय-सीमा के अनुसार इसे केंद्रीकृत पोर्टल पर दर्शाना।

(2) ग्राम पंचायत के कर्तव्य:-

(i) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना,

(ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर की कार्य योजना विकसित करने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन गांव क्षेत्र के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना बनाना और उसे लागू करना।

(iii) स्वयं या अभिकरणों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थापना, प्रचालन और समन्वय करना तथा संबंधित कार्यों का निष्पादन करना, अर्थात्,-

(क) ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन तथा पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट अंश को वैध पंजीकरण वाले पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे;

(ख) आवश्यकतानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव करना ;

(ग) हितधारकों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि ठोस अपशिष्ट को खुले में न फेंका जाए तथा न जलाया जाए;

(ङ) अपशिष्टचुनने वालों के साथ काम करने वाले नागरिक समाज समूहों के साथ जुड़ना।

नियमों के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जिला पंचायत को आंकड़े प्रस्तुत करना।

20. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्तव्य:- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा, -

(i) अपनी अपनी अधिकारिता में स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य में इन नियमों का प्रवर्तन किया जायगा तथा संबंधित नगरपालिका प्रशासन या स्थानीय स्वशासन से संबंधित विभाग या राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के साथ-साथ ग्रामीण विकास विभाग या ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विभाग के साथ निकट समन्वय में वर्ष में कम से कम दो बार इन नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण स्थलों के लिए अनुसूची I और अनुसूची II के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पर्यावरणीय मानकों और शर्तों के पालन की निगरानी करना;

(iii) स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से प्ररूप 1 में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के प्राधिकार और पंजीकरण के प्रस्ताव की जांच करना तथा ऐसी जांच करना जो उचित समझी जाए,

(iv) प्राधिकरण के प्रस्ताव की जांच करते समय, संबंधित अधिनियमितियों के अधीन सहमति की अपेक्षा और अभिकरणों जैसे राज्य शहरी विकास विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, जिला योजना समिति या महानगर क्षेत्र योजना समिति, जैसा भी लागू हो, विमानपत्तन या एयरबेस प्राधिकरण, भूजल बोर्ड, रेलवे, बिजली वितरण कंपनियां, राजमार्ग विभाग और अन्य संबंधित अभिकरणों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा और उन्हें अपने विचार, यदि कोई हो, देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाएगा;

(v) स्थानीय निकाय या किसी सुविधा प्रचालक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण को प्ररूप II में साठ दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकार जारी करना, जिसमें यथाआवश्यक अन्य शर्तों सहित अनुसूची I और II में यथाविनिर्दिष्ट अनुपालन मापदंड और पर्यावरण मानक अधिकथित किए जाएंगे;

(vi) उक्त प्राधिकार की विधिमान्यता सहमतियों की विधिमान्यता के साथ समकालिक बनाना ;

(vii) यदि स्थानीय निकाय या सुविधा का प्रचालक विहित शर्तों के अनुसार सुविधा का प्रचालन करने में विफल रहता है, तो खंड (क) के अंतर्गत जारी उक्त प्राधिकार को किसी भी समय निलंबित या रद्द कर सकता है:

परंतु यथास्थिति, स्थानीय निकाय या प्रचालक को सूचना दिए बिना ऐसा कोई प्राधिकार निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा; तथा

(viii) नवीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर, प्रत्येक आवेदन को गुणागुण आधार पर परीक्षा करने के पश्चात् तथा इस शर्त के अधीन रहते हुए सुविधा के प्रचालक ने प्राधिकार, सहमति या पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट नियमों, मानकों या शर्तों के सभी उपबंधों को पूरा कर लिया है, अगले पांच वर्षों के लिए प्राधिकार नवीकरण किया जाएगा।

(ix) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके, प्राधिकार अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(x) नई प्रौद्योगिकियों के मामले में, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा कोई मानक विहित नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो, मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेदन करेगा।

(xi) यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जब कभी उचित समझा जाए किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार, यथाअभिहित या अधिकथित मानकों और यथाअनुमोदित उपचार प्रौद्योगिकी तथा प्राधिकार में विहित शर्तों और इन नियमों के अधीन अनुसूची 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा।

(xii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, परिसंकटमय अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं पर अपशिष्ट जनित्रों द्वारा एकत्रित विशेष देखभाल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रहस्तन और निस्तारण के लिए स्थानीय निकायों को निदेश दे सकेगा।

(xiii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपशिष्ट के अंतर-राज्यीय प्रचालन को विनियमित करेगा।

(xiv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण और निस्तारण सुविधाओं को प्राधिकार अनुदत्त करेगा और पंजीकृत करेगा और जिलावार, स्थानीय प्राधिकरण-वार जानकारी हर वर्ष 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी;

(xv) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति पंजीकरण के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए पंजीकरण प्रभार ले सकता है और साथ ही सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमों के अधीन दाखिल विवरणी के प्रसंस्करण के लिए वार्षिक प्रभार ले सकता है, वसूले गए प्रभार का एक हिस्सा केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रचालन और रखरखाव के लिए सीपीसीबी के साथ साझा किया जाएगा;

(xvi) एसपीसीबी/पीसीसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(xvii) एसपीसीबी/पीसीसी या किसी नामित अभिकरण द्वारा निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं द्वारा अनुपालन का सत्यापन किया जाएगा।

(xviii) एसपीसीबी/पीसीसी इन नियमों के अंतर्गत पंजीकृत इकाई के डेटा की लेखापरीक्षा स्वयं या किसी नामित अभिकरण द्वारा, माल और सेवा कर नेटवर्क पोर्टल से जानकारी का उपयोग करने सहित किया जाएगा।

(xix) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्टों को संकलित कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा तथा ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।

(xx) एसपीसीबी/पीसीसी इन नियमों के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति में शामिल प्रासंगिक हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करेगा।

(xxi) एसपीसीबी/पीसीसी उत्सर्जन और निर्वहन मानदंडों के अनुपालन के लिए सभी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार सुविधाओं की निगरानी करेगा और हर वर्ष एक बार सुविधाओं की लेखापरीक्षा कराएगा।

(xxii) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, शहरी स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर पंचायत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की स्वयं या किसी नामित अभिकरण के माध्यम से लेखापरीक्षा कराएगी और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबस्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) एसपीसीबी/पीसीसी आरडीएफ उपयोग के लिए सीमेंट भट्टों या अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के साथ स्थानीय निकायों के गठजोड़ की सुविधा प्रदान कर सकता है।

(3) एसपीसीबी/पीसीसी, आवश्यकतानुसार, स्वयं या तीसरे पक्ष की अभिकरण के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय प्राधिकरणों और बाध्य संस्थाओं द्वारा किए गए अपशिष्ट प्रसंस्करण संस्थाओं और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों का भौतिक सत्यापन और लेखा परीक्षा कर सकता है।

(4) एसपीसीबी/पीसीसी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ठोस अपशिष्ट की अंधाधुंध डंपिंग सहित, इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित करेगा।

- (5) एसपीसीबी/पीसीसी स्वयं अथवा किसी तीसरे पक्ष अभिकरण के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की लेखापरीक्षा करेगा।
- (6) एसपीसीबी/पीसीसी प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।
- (7) एसपीसीबी/पीसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का रखरखाव कुशल/अर्ध-कुशल पेशेवरों और प्रमाणित पेशेवरों द्वारा किया जाए।
- (8) एसपीसीबी/पीसीसी ठोस अपशिष्ट अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करेगा।
- (9) एसपीसीबी/पीसीसी औद्योगिक ठोस अपशिष्ट की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में तकनीकी नीतियां तैयार करेगा तथा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उन्नत उत्पादन तकनीकों और उपकरणों के प्रसार का प्रभार वसूलेगा।
- (10) एसपीसीबी/पीसीसी निम्नलिखित के व्यापक उपयोग के अनुसंधान, विकास और संवर्धन का प्रभार संभालेगा, उत्पादन तकनीक और उपकरण जो उत्पन्न औद्योगिक ठोस अपशिष्ट की मात्रा और उसकी हानिकारकता को कम करने में सहायक होंगे, तथा उन पुरानी उत्पादन तकनीकों और उपकरणों की सूची प्रकाशित करेंगे जो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जो गंभीर पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं और जिन्हें एक समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।
- (11) एसपीसीबी/पीसीसी उद्योगों द्वारा आरडीएफ के उपयोग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (12) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अथवा तीसरे पक्ष के माध्यम से जैविक उर्वरक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा में उत्पादित जैविक उर्वरक का परीक्षण सुनिश्चित करेगा।
- (13) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा संचालकों द्वारा मासिक आधार पर जैविक उर्वरक के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल पर परीक्षण रिपोर्ट अपलोड की जाए।
- (14) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी पंजीकृत जैवमिथेनीकरण संयंत्रों और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण स्थलों, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की सूची तैयार करेगा और 31 मार्च 2025 तक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा, 31 मार्च तक वार्षिक रूप से अद्यतन करेगा।

अनुसूची X

क्र. सं.	जनसंख्या	समयसीमा
	शहरी क्षेत्र	
1	दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर	नियम लागू होने की तिथि से छह माह
2	5-10 लाख	नियम लागू होने की तिथि से बारह माह
3	सभी शहरी क्षेत्र	नियम लागू होने की तिथि से अठारह माह
	ग्रामीण क्षेत्र	
1	20000 और उससे अधिक की जनसंख्या के साथ	1 अक्टूबर 2025 से .
2	10000-20000	1 अक्टूबर 2027 से
3	10000 तक	1 अक्टूबर 2028 से

अनुसूची I

[देखें अध्याय III, नियम (1)(3)]

स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण स्थलों के लिए विनिर्देश

(क) स्थल चयन के लिए मानदंड:-

- भूमि निर्धारण के कार्य आवंटन में विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और शोधन सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराएगा और ऐसे स्थलों को अधिसूचित करेगा।
- स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण स्थल की योजना, डिजाइन और विकास निर्माण योजना के उचित प्रलेखन के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से बंदी योजना के साथ किया जाएगा। यदि किसी मौजूदा भूमिभरण स्थल के समीप एक नई भूमिभरण सुविधा स्थापित की जा रही है, तो मौजूदा भूमिभरण की बंदीयोजना ऐसे नए भूमिभरण के प्रस्ताव का भाग होनी चाहिए।

- (ii) भूमिभरण स्थलों का चयन आस-पास की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का उपयोग करने के लिए किया जाएगा। अन्यथा, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा को भूमिभरणस्थल के अभिन्न अंग के रूप में नियोजित किया जाएगा।
- (iii) भूमिभरण स्थलों की स्थापना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।
- (iv) मौजूदा भूमिभरण स्थलों, जो पांच वर्षों से अधिक समय से उपयोग में हैं, को इस अनुसूची में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार उन्नत किया जाएगा।
- (v) भूमिभरण स्थल कम से कम 20-25 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त बड़े होंगे जलजमाव और दुरुपयोग से बचने के लिए चरणबद्ध तरीके से 'भूमिभरण सेल' विकसित किए जाएं।
- (vi) भूमिभरण स्थल नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्गों, बस्तियों, सार्वजनिक पार्कों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर और विमानपत्तनों या एयरबेस से 20 किमी दूर होनी चाहिए। हालाँकि, विशेष मामले में, नागर विमानन प्राधिकरण/वायु सेना, जैसा भी मामला हो, से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद विमानपत्तनों/एयरबेस से 10 और 20 किमी की दूरी पर भूमिभरण स्थल स्थापित की जा सकती है। पिछले 100 वर्षों से दर्ज बाढ़ के मैदानों, तटीय विनियमन क्षेत्र, आर्द्रभूमि, महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रों, संवेदनशील पारिस्थितिकी-भंगुर क्षेत्रों में भूमिभरणस्थल की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (vii) भूमिभरण तथा ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए स्थलों को नगर नियोजन विभाग की भूमि-उपयोग योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
- (viii) पांच टन से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के आसपास गैर विकास का बफर जोन बनाए रखा जाएगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण सुविधा के कुल क्षेत्र के भीतर बनाए रखा जाएगा। बफर जोन को स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से मामले दर मामले के आधार पर निर्धारण किया जाएगा।
- (ix) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथासंशोधित जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रबंधन समय-समय पर यथासंशोधित परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा-पारीय संचलन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। ई-अपशिष्टों का प्रबंधन समय-समय पर यथासंशोधित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।
- (x) प्रत्येक भूमिभरण स्थल पर ठोस अपशिष्ट के लिए अस्थायी भंडारण सुविधा स्थापित की जाएगी, ताकि अपशिष्ट प्रसंस्करण का प्रचालन न होने की स्थिति में तथा आपातकालीन या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपशिष्ट को रखा जा सके।

(ख) स्वास्थ्यकर/कार्यात्मकभूमिभरण पर सुविधाओं के विकास के लिए मानदंड। -

- (i) भूमिभरण स्थल पर चार-दीवारी या बाड़ से घेरा जाएगा तथा अंदर आने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए उचित दरवाजे की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अनधिकृत व्यक्तियों और आवारा पशुओं के प्रवेश को रोका जा सके।
- (ii) पहुंच मार्ग और/या आंतरिक सड़कें कंक्रीट या पक्की होंगी, ताकि वाहनों की आवाजाही के कारण धूल के कण उत्पन्न न हों तथा इन्हें इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि वाहनों और अन्य मशीनरी का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके।
- (iii) भूमिभरण स्थल पर भूमिभरण के लिए लाए गए अपशिष्ट की निगरानी के लिए अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए कार्यालय सुविधा और प्रदूषण निगरानी उपस्कर सहित उपस्कर और मशीनरी रखने के लिए आश्रय स्थल होंगे। सुविधा का प्रचालक अपशिष्ट प्राप्ति, संसाधित और निपटान का लेखा-जोखा रखेगा।
- (iv) भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्ट की मात्रा को मापने के लिए धर्मकांटा, अग्नि सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुविधाएं जो अपेक्षित हों, प्रदान की जाएंगी।
- (v) पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाएं (अधिमानत: कर्मचारियों के लिए धोने/नहाने की सुविधा) तथा रात्रि के समय भूमिभरण प्रचालन को आसान बनाने के लिए प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- (vi) भूमिभरण स्थलों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य निरीक्षण सहित सुरक्षा प्रावधान किए जाएंगे।
- (vii) ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले परिवहन वाहनों की पार्किंग, सफाई, धुलाई की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार उत्पन्न मल जल का शोधन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

भूमिभरण प्रचालनों और भूमिभरण पूर्ण होने पर उनको बंद करने के विनिर्देशों के लिए मानदंड।-

- (i) भूमि भरण के लिए अपशिष्ट को भारी कॉम्पैक्टर का उपयोग करके पतली परतों में संहत किया जाएगा ताकि अपशिष्ट का उच्च घनत्व प्राप्त किया जा सके। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां भारी कॉम्पैक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वहां वैकल्पिक उपाय अपनाए जाएंगे।

- (i) जब तक उर्वरक बनाने या पुनर्चक्रण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित नहीं हो जातीं, तब तक अपशिष्ट को स्वास्थ्यकर/कार्यात्मक भूमिभरण में भेजा जाएगा। भूमिभरण सेल को प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में कम से कम 10 सेमी मिट्टी, निष्क्रिय मलबे या निर्माण सामग्री से ढक दिया जाना चाहिए।
- (ii) मानसून ऋतु के आरंभ होने से पूर्व, भूमिभरण स्थल पर मानसून के दौरान पानी के रिसाव को रोकने के लिए उचित संहनन और श्रेणीकरण के साथ 40-65 सेमी मोटी मिट्टी का एक मध्यवर्ती आवरण बिछा दिया जाएगा। भूमिभरण स्थल के प्रभावी क्षेत्र से पानी के बहाव को विपथित करने के लिए उचित निकास नालियों का निर्माण किया जाएगा।
- (i) भूमिभरण स्थल के पूरा हो जाने के पश्चात उसके रिसाव और अपरदन को न्यूनतम करने के लिए अंतिम आवरण डिजाइन किया जाएगा। अंतिम आवरण निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार होगा, अर्थात्:--
- (a) अंतिम आवरण में 1×10^{-7} सेमी/सेकंड से कम के पारगम्यता गुणांक सहित 60 सेमी चिकनी मिट्टी या शोधित मिट्टी से युक्त अवरोधक मिट्टी की परत होगी।
- (b) अवरोधक मिट्टी की परत के ऊपर 15 सेमी की जल निकासी परत होगी।
- (c) जल निकास परत के ऊपर, प्रकृति जन्य पादपों की वृद्धि में सहायता करने और अपरदन को कम करने के लिए 45 सेमी की वनस्पति परत होगी।

(घ) प्रदूषण निवारण के मानदंड:- भूमिभरण प्रचालनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे, अर्थात्:-

- (i) तूफान जल नाले को इस तरीके से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा कि सतही अपवाह जल को भूमिभरण से विपथित हो जाए और ठोस अपशिष्ट स्थानों से निक्षालक, सतही जल बहावमें मिश्रित न हो। निक्षालन उत्पत्ति को कम करने और सतही जल के प्रदूषण को रोकने तथा बाढ़ और दलदली स्थितियों से बचने के लिए तूफान जल प्रवाह नालियों के विपथन का प्रावधान किया जाएगा।
- (i) अपशिष्ट निस्तारण क्षेत्र के आधार और दीवारों पर गैर-पारगम्य लाइनिंग प्रणाली का निर्माण। ऐसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के अपशिष्ट या मिश्रित अपशिष्ट या परिसंकटमय सामग्रियों (जैसे एरोसोल, ब्लीच, पॉलिश, बैटरी, अपशिष्ट तेल, पेंट उत्पाद और कीटनाशक) से संदूषित अपशिष्ट के अवशेषों को प्राप्त करने वाले भूमिभरण के लिए 1.5 मिमी मोटी उच्च घनत्व वाली पॉलीईथाइलीन (एचडीपीई) जियो-मेम्ब्रेन या जियो-सिंथेटिक लाइनर, या उसके समतुल्य होगा तथा जो 90 सेमी मिट्टी (चिकनी या शोधित) के ऊपर हो, जिसका पारगम्यता गुणांक 1×10^{-7} सेमी / सेकंड से अधिक न हो। जल सारणी का अधिकतम स्तर भूमिभरण स्थलों के निचले भाग पर उपलब्ध कराई गई चिकनी अथवा शोधित मिट्टी के अवरोधक परत के आधार से कम से कम दो मीटर नीचे होना चाहिए।
- (ii) निक्षालकों के संग्रहण और शोधन सहित इनके प्रबंधन के लिए प्रावधान किए जाएंगे। शोधक निक्षालक, अनुसूची-II में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के बाद पुनर्चक्रित या उपयोग किया जाएगा। अन्यथा इन्हें मलनिर्यास लाइन में विमुक्त। किसी भी हाल में निक्षालक को खुले वातावरण में विमुक्त नहीं किया जाएगा।
- (iii) संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूरे मिश्रित पानी का शोधन किया जाएगा।

(ङ) जल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानदंड:-

- (i) किसी भी भूमिभरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व, क्षेत्र में भूजल गुणवत्ता के मूलाधार आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और उन्हें भविष्य के संदर्भ के लिए रिकॉर्ड में रखा जाएगा। भूमिभरण स्थल की परिधि के 50 मीटर के भीतर भूजल गुणवत्ता को वर्ष की विभिन्न ऋतुओं अर्थात् ग्रीष्म, मानसून और मानसून पश्चात् अवधि के दौरान आवधिक रूप से मॉनीटर किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूजल स्वीकार्य सीमा से अधिक संदूषित न हो।
- (ii) किसी भी प्रयोजन (पेयजल और सिंचाई सहित) के लिए भूमिभरण स्थलों में और उनके आसपास भूजल के उपयोग पर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा। मॉनीटरी प्रयोजन के लिए पेयजल गुणवत्ता हेतु निम्नलिखित विनिर्देश लागू होंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	पैरामीटर	आईएस 10500:2012, संस्करण 2.2(2003-09) वांछनीय सीमा (मिलीग्राम/लीपीएच को छोड़कर)
(1)	(2)	(3)
	आर्सेनिक	0.01
	कैडमियम	0.01

क्रोमियम(Cr 6+रूप में)	0.05
ताँबा	0.05
साइनाइड	0.05
शीशा	0.05
पारा	0.001
निकल	-
नाइट्रेट (NO ₃ के रूप में)	45.0
पीएच(pH)	6.5-8.5
लोहा	0.3
कुल कठोरता(CaCO ₃ के रूप में)	300.0
क्लोराइड	250
घुलितठोस	500
फेनोलिक यौगिक(C ₆ H ₅ OHके रूप में)	0.001
जस्ता	5.0
सल्फेट (SO ₄ के रूप में)	200

(i) परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए मानदंड:-

- (i) भूमिभरण स्थल पर गंध को कम करने, गैसों को अपस्थलीय फैलने से रोकने, पुनर्वासित भूमिभरण स्थल सतह पर उगाई, गैस संग्रहण प्रणाली सहित भूमि भरण गैस नियंत्रण प्रणाली संस्थापित की जाएगी। भूमिभरण गैस पुनर्प्राप्ति को बढ़ाने के लिए गैस संग्रहण कुओं के साथ आच्छादन प्रणालियों में जियो मेम्ब्रेन के प्रयोग पर विचार किया जाएगा।
- (i) भूमिभरण स्थल पर निकलने वाली मीथेन गैस की सांद्रता निम्न विस्फोटक सीमा (एलईएल) के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (ii) भूमिभरण स्थल पर संग्रह सुविधा से भूमिभरण गैस का उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार प्रत्यक्ष तापीय अनुप्रयोगों या बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। अन्यथा, भूमिभरण गैस को जला(प्रदीप्त) दिया जाएगा और इसे सीधे वायुमंडल में या अवैध रूप से निकासी के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। यदि इसका उपयोग या प्रदीप्तसंभव नहीं है तो निष्क्रिय निकासी की अनुमति दी जाएगी।
- (i) भूमिभरण स्थल पर इसके आस-पास परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी। परिवेशी वायु की गुणवत्ता औद्योगिक क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों के अनुरूप होगी।

भूमिभरण स्थल पर पौधरोपण के लिए मानदंड:- तैयार किये गये स्थल पर निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार वनस्पति आवरण उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात्:-

- (a) स्थानीय रूप से अंगीकृत अखाद्य बारहमासी पौधों, जो सूखे और अत्यधिक तापमान के प्रतिरोधी हों, लगाए जाएंगे;
- (b) पौधे ऐसी प्रजाति के होंगे कि उनकी जड़ें 30 सेमी से अधिक गहरी न हों। यह शर्त भूमिभरण के स्थिर होने तक लागू रहेगी;
- (a) चयनित पौधों में न्यूनतम पोषक तत्व के साथ न्यून-पोषक तत्व वाली मिट्टी पर पनपने की क्षमता होनी चाहिए;
- (b) मृदा अपरदन को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त घनत्व में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।
- (c) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के परामर्श से भूमिभरण स्थल की सीमा के चारों ओर हरित पट्टी विकसित की जाएगी।

भूमिभरणस्थल पर पश्चात्तर्तीदेखरेख के लिएमानदंड.- (1) भूमिभरण स्थल की बंदी-पश्च देखरेख कम से कम पंद्रह वर्षों तक की जाएगी और दीर्घकालिक निगरानी या देखभाल योजना निम्नलिखित से युक्त होगी , अर्थात :-'

- (a) सबसे ऊपरी परत की अखंडता और प्रभाविता को बनाए रखना, मरम्मत करना और रन-ऑन और रन-ऑफ को अंतिम परत को नष्ट करने या अन्यथा नुकसान पहुंचाने से रोकना;
- (a) आवश्यकता के अनुसार निक्षालन संग्रहण प्रणाली की निगरानी करना;
- (b) भूमिभरण स्थल में ओर उसके आसपास भूजल की निगरानी करना;
- (c) मानकों के अनुरूप भूमिभरण गैस संग्रहण प्रणाली का अनुरक्षण और प्रचालन करना।

(2) पंद्रह वर्षों तक बंद-पश्च निगरानी करने के बाद बंद पड़े भूमिभरण स्थलों के उपयोग पर मानव बस्ती या अन्यथाप्रयोग किए जाने के बारे में यह सुनिश्चित करने के बाद ही विचार किया जाएगा कि गैसीय उत्सर्जन और निक्षालन गुणवत्ता विश्लेषण विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है और मृदा स्थिरता सुनिश्चित की गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों हेतु मानदंड.- पहाड़ियों पर स्थित शहरों और कस्बों में स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुमोदन से ठोस अपशिष्ट के अंतिमनिस्तारण के लिएविकसित की गई स्थान-विशिष्ट पद्धतियां अपनाई जाएंगी। स्थानीय निकाय उपयोग के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करेगा। जैवनिम्नीकरणीय जैविक अपशिष्ट का। गैर-जैवनिम्नीकरणीय पुनर्चक्रणीय सामग्रियों को आवधिक रूप में संग्रहित और पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा। निष्क्रिय और गैर-जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का उपयोग सड़कों के निर्माण या पहाड़ियों पर उपयुक्त क्षेत्रों को भरने के लिए किया जाएगा। पहाड़ीक्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के कारण सड़क बिछाने या भरने के लिए उपयुक्त नहीं होने वाले अपशिष्ट का निस्तारण मैदानी क्षेत्रों में भूमिभरण स्थलों मेंकिया जाएगा।

पुराने मलवा स्थलों को बंद और बहाल करना- ठोस अपशिष्ट मलवा स्थल जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच गए हैं या जो नए और उचित रूप से डिजाइन किए गए भूमिभरण की स्थापना के बाद जिनमें अतिरिक्त अपशिष्ट नहीं डाले जाते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और निम्नलिखित विकल्पों की जांच करके उनकी बहाली की जानी चाहिए:

- (i) जैव खनन और अपशिष्ट प्रसंस्करण द्वारा अपशिष्ट को कम करनाजिसके बाद नए भूमिभरण स्थलों में अवशिष्टों को रखा जाएगा।
- (ii) स्वीकार्य स्तर तक पर्यावरणीय प्रभावको कम करने के लिए उपयुक्त कोई अन्य पद्धति।

अनुसूची II

[अध्याय II, नियम (3)(ख) देखें]

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और उपचार के मानक

क. कम्पोस्टिंग के मानक.-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में जैव अपघटनीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए कम्पोस्टिंग को एक तकनीक के रूप में शामिल किया जाएगा। खाद संयंत्र से प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा:-

क. स्थल पर आने वाले जैविक अपशिष्ट को आगे की प्रक्रिया से पहले उचित तरीके से संग्रहित किया जाएगा। जहां तक संभव हो, अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र को ढक कर रखा जाए। यदि यह भंडारण खुले क्षेत्र में किया जाता है, तो इसे पारगम्य आधार पर किया जाए, जिसमें लीचेट और सतही जल के बहाव को एकत्र करने के लिए उपयुक्त नालियों के माध्यम से लीचेट उपचार और निपटान सुविधा तक ले जाने की व्यवस्था हो।

क. दुर्गंध, मक्खियों, चूहों, पक्षियों के खतरे और आग के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाएं;

ख.संयंत्र के खराब होने या रखरखाव के मामले में, अपशिष्ट का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और अपशिष्ट को अस्थायी प्रसंस्करण स्थल या अस्थायी लैंडफिल साइटों पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी। यह अपशिष्ट तब पुनः प्रसंस्करण के लिए भेजा जाएगा जब संयंत्र सही स्थिति में होगा;

ग. प्रसंस्करण से पहले और बाद में उत्पन्न अपशिष्ट को नियमित रूप से प्रसंस्करण सुविधा से हटा दिया जाएगा और इसे स्थल पर जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को उपयुक्त विक्रेताओं के माध्यम से भेजा जाएगा। गैर-पुनर्चक्रण योग्य उच्च कैलोरी सामग्री को अलग किया जाएगा और अपशिष्ट से ऊर्जा या आरडीएफ उत्पादन, सीमेंट संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण या थर्मल पावरप्लांट में भेजा जाएगा। सभी प्रक्रियाओं से केवल बचे हुए अपशिष्ट को ही स्वच्छता/परिचालन लैंडफिल साइटों के लिए भेजा जाएगा।

घ. विंडरो क्षेत्र को अपारगम्य आधार प्रदान किया जाएगा। यह आधार 50 सेमी मोटी कंक्रीट या सघन मिट्टी से बना होगा, जिसमें पारगम्यता गुणांक 10^{-7} सेमी/सेकंड से कम होगा। इस आधार को 1 से 2 प्रतिशत ढलान प्रदान किया जाएगा और इसे लीचेट या सतही अपवाह का संग्रहण करनेके लिए पंक्तिबद्ध नालियों द्वारा घेरा जाएगा;

क. परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी। प्रसंस्करण संयंत्र की सीमा पर डाउन-विंड दिशा में दुर्गंध की भी नियमित जांच की जाएगी।

क. नमी बनाए रखने के लिए लीचेट को खाद संयंत्र में पुनः परिचालित किया जाएगा।

ख. अंतिम उत्पाद कम्पोस्ट समय-समय पर अधिसूचित उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करेगी।

ख. कम्पोस्ट के सुरक्षित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कम्पोस्ट की गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित विनिर्देशों को पूरा करना अनिवार्य होगा, अर्थात्: -

पैरामीटर	जैविक कम्पोस्ट (एफसीओ2009)	फॉस्फेट युक्त जैविक कम्पोस्ट (एफसीओ 2013)
(1)	(2)	(3)
आर्सेनिक(मिलीग्राम/किग्रा)	10.00	10.00
कैडमियम(मिलीग्राम/किग्रा)	5.00	5.00
क्रोमियम(मिलीग्राम/किग्रा)	50.00	50.00
कॉपर(मिलीग्राम/किग्रा)	300.00	300.00
लेड(मिलीग्राम/किग्रा)	100.00	100.00
पारा(मिलीग्राम/किग्रा)	0.15	0.15
निकेल(मिलीग्राम/किग्रा)	50.00	50.00
जिंक(मिलीग्राम/किग्रा)	1000.00	1000.00
कार्बन/नाइट्रोजन अनुपात	<20	20:1से कम
पीएच	6.5-7.5	(1:5सॉल्यूशन)अधिकतम6.7
नमी, भार के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम	15.0-25.0	25.0
थोक घनत्व (ग्राम/सेमी ³)	<1.0	1.6 से कम
कुल कार्बनिक कार्बन, भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	12.0	7.9
कुल नाइट्रोजन (N), भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	0.8	0.4
कुल फॉस्फेट (P205) भार के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	0.4	10.4
कुल पोटेशियम (K20), भार के	0.4	-

अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम		
रंग	गहरा भूरा से काला	-
गंध	गंध का अभाव	-
कण का आकार	न्यूनतम 90% सामग्री 4.0 मिमी आईएस छलनी से गुजरनी चाहिए	न्यूनतम 90% सामग्री 4.0 मिमी आईएस छलनी से गुजरनी चाहिए
चालकता (डीएसएम-1 के रूप में), इससे अधिक नहीं	4.0	8.2

*उपर्युक्त सांद्रता सीमा से अधिक कम्पोस्ट (अंतिम उत्पाद) का उपयोग खाद्य फसलों के लिए नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसका उपयोग खाद्य फसलों को उगाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

बी. उपचारित लीचेट के लिए मानक - उपचारित लीचेट के निपटान के लिए निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करना होगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	पैरामीटर	मानक (निपटान का तरीका)		
		आंतरिक सतही जल	सार्वजनिक सीवर	भूमि निपटान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निलंबित ठोस, मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	100	600	200
2.	घुलित ठोस (अकार्बनिक) मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	2100	2100	2100
3	पीएच मान	5.5to9.0	5.5to9.0	5.5to9.0
4	अमोनियाकल नाइट्रोजन (N), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	50	50	-
5	कुल केजेलडाहल नाइट्रोजन (N), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम।	100	-	-
6	जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (3 दिन @ 27°C) अधिकतम। (मिलीग्राम/लीटर)	30	350	100
7	रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम।	250	-	-
8	आर्सेनिक (As), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	0.2	0.2	0.2

9	पारा (Hg), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	0.01	0.01	-
10	लेड (Pb), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	0.1	1.0	-
11	कैडमियम (Cd), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	2.0	1.0	-
12	कुल क्रोमियम (Cr), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	2.0	2.0	-
13	कॉपर (Cu), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	3.0	3.0	-
14	जिंक (Zn), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	5.0	15	-
15	निकल (Ni), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	3.0	3.0	-
16	साइनाइड (CN), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	0.2	2.0	0.2
17	क्लोराइड (Cl), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम.	1000	1000	600
18	फ्लोराइड (F), मिलीग्राम/लीटर, अधिकतम	2.0	1.5	-

नोट: उपचारित लीचेट्स को अंतर्देशीय सतही जल में छोड़ते समय, छोड़े जाने वाले लीचेट्स की मात्रा और प्राप्त करने वाले जलाशय में उपलब्ध तनु जल की मात्रा पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

सी. भस्मीकरण के लिए मानक: ठोस अपशिष्ट उपचार/निपटान सुविधा में भस्मक/तापीय प्रौद्योगिकियों से उत्सर्जन निम्नलिखित मानकों को पूरा करेगा, अर्थात्:-

पैरामीटर	उत्सर्जन मानक	
(1)	(2)	(3)
पार्टिकुलेट्स	50मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
HCl	50मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
SO ₂	200मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
CO	100मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
	50मिलीग्राम/एनएम ³	मानक दैनिक औसत मूल्य को संदर्भित करता है
कुल कार्बनिक कार्बन	20मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है

HF	4मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
NO _x (NO तथा NO ₂ को NO ₂ के रूप में व्यक्त किया गया है)	400मिलीग्राम/एनएम ³	मानक आधे घंटे के औसत मूल्य को संदर्भित करता है
कुल डाइऑक्सीजन और फ्रयूरान	0.1एनजी टीईक्यू/एनएम ³	मानक 6-8 घंटे के नमूने को संदर्भित करता है। कुल विषाक्त तुल्यता पर पहुंचने के लिए कृपया विषाक्त तुल्यता मूल्यों के लिए 17 संबंधित समकक्षों के लिए दिशानिर्देश देखें।
Cd+Th+ उनके यौगिक	0.05मिलीग्राम/एनएम ³	मानक 30 मिनट से 8 घंटे के बीच नमूना लेने के समय को संदर्भित करता है
Hg और इसके यौगिक	0.05मिलीग्राम/एनएम ³	मानक 30 मिनट से 8 घंटे के बीच नमूना लेने के समय को संदर्भित करता है
Sb+As+ Pb+Cr +Co+Cu+Mn+Ni+V+ उनके यौगिक	0.5मिलीग्राम/एनएम ³	मानक 30 मिनट से 8 घंटे के बीच नमूना लेने के समय को संदर्भित करता है।
नोट: सभी मान 11% ऑक्सीजन पर शुष्क आधार पर संसोधित किए गए हैं।		

फॉर्म - I

[अध्याय VII, नियम 20(i) देखें]

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार और निपटान के लिए

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति,

महोदय,

मैं/हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, उपचार और निस्तारण के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन करते हैं।

1	स्थानीय निकाय/उनके द्वारा नियुक्त एजेंसी/सुविधा के संचालक का नाम	
2	पत्राचार का पता टेलीफोन नं. फैक्स नं., ई-मेल:	
3	नोडल अधिकारी और पदनाम (प्रसंस्करण/उपचार या निपटान सुविधा के संचालन के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकाय या एजेंसी द्वारा अधिकृत अधिकारी)	

4.	सुविधा की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक प्राधिकरण (कृपया टिक मार्क करें)	अपशिष्ट प्रसंस्करण पुनर्चक्रण उपचार लैंडफिल पर निपटान
5.	दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें स्थान मंजूरी (स्थानीय निकाय) पर्यावरण क्लियरेंस का प्रमाण स्थापना के लिए सहमति नगरपालिका प्राधिकरण और संचालन एजेंसी के बीच समझौता परियोजना पर निवेश और अपेक्षित प्रतिफल	
6.	ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार i. प्रतिदिन संसाधित किए जाने वाले अपशिष्ट की कुल मात्रा पुनर्चक्रण किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा उपचारित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा लैंडफिल में निपटाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा ii. संसाधित अपशिष्ट के लिए उपयोग कार्यक्रम (उत्पाद उपयोग) iii. निपटान की पद्धति (विवरण संलग्न करें) लीचेट की मात्रा लीचेट के लिए उपचार तकनीक iv. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले उपाय v. संयंत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय vi. ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार/निपटान सुविधा का विवरण (संलग्न करें)	
7.	ठोस अपशिष्ट का निपटान पहचानी गई साइटों की संख्या प्रतिदिन निपटाए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा साइट चयन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली या मानदंड का विवरण (संलग्न करें) संचालन के तहत मौजूदा साइट का विवरण लैंडफिलिंग की कार्यप्रणाली और परिचालन विवरण पर्यावरण प्रदूषण की जाँच के लिए किए गए उपाय	
8.	अन्य जानकारी	

दिनांक:

हस्ताक्षर:

समय:

पदनाम:

फॉर्म- II

[अध्याय VII, नियम 20(v) देखें]

प्राधिकरण जारी करने का प्रारूप

फ़ाइल संख्या: _____

दिनांक: _____

प्राधिकरण संख्या _____

सेवा में,

संदर्भ: आपका आवेदन क्रमांक _____ दिनांक _____

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात

_____ को, जिसका प्रशासनिक कार्यालय _____ पर

स्थित है, को _____ पर अपशिष्ट प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण/उपचार/निपटान सुविधा
स्थापित करने और संचालित करने के लिए अधिकृत करती है।

ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान के लिए सुविधा संचालित करने के लिए प्राधिकरण प्रदान किया जाता है।

प्राधिकरण नीचे वर्णित नियमों और शर्तों तथा इन नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट की गई शर्तों और इन नियमों के तहत अनुसूची I और II में
निर्धारित मानकों के अधीन है।_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समितियां किसी भी समय प्राधिकरण के तहत
लागू किसी भी शर्त को रद्द कर सकती हैं और लिखित रूप में इसकी सूचना देंगी।ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम
संख्या 29) के दंडात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा।

(सदस्य सचिव)

संघ राज्य क्षेत्र की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

(हस्ताक्षर और पदनाम)

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म-III

[अध्याय II, नियम 3(सी) देखें]

सुविधा के संचालक द्वारा स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

1.	शहर/कस्बे और राज्य का नाम	
2.	जनसंख्या	
3.	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	
4.	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन नं. फैक्स नं. ई-मेल:	

5.	सुविधा के संचालक का नाम और पता	
6.	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम फ़ोन नंबर: फ़ैक्स नंबर: ई-मेल:	
7	शहर/कस्बे में घरों की संख्या शहर में गैर-आवासीय परिसरों की संख्या शहर/कस्बे में निर्वाचन/प्रशासनिक वार्डों की संख्या	
8	ठोस अपशिष्ट की मात्रा स्थानीय निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा मीट्रिक टन में प्रतिदिन एकत्रित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एकत्रित अपशिष्ट (/ग्राम/दिन) प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी) लैंडफिल में निपटाए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी)	
9	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सेवा की स्थिति	
10	स्रोत पर कचरे का पृथक्करण और भंडारण क्या ठोस कचरे को घरेलू/वाणिज्यिक/संस्थागत कूड़ेदानों में स्रोत पर संग्रहित किया जाता है कितने प्रतिशत घर घरेलू कूड़ेदानों में स्रोत पर कचरे का भंडारण करते हैं कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर वाणिज्यिक/संस्थागत कूड़ेदानों में स्रोत पर कचरे का भंडारण करते हैं कितने प्रतिशत घर सड़कों पर ठोस कचरे का निपटान करते हैं कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर सड़कों पर ठोस कचरे का निपटान करते हैं क्या ठोस कचरे को स्रोत पर पृथक रूप में संग्रहित किया जाता है यदि हाँ, तो स्रोत पर कचरे को अलग करने वाले परिसरों का प्रतिशत ठोस कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह	
11	क्या शहर/कस्बों में ठोस अपशिष्ट का डोर टू डोर संग्रहण (डी2डी) किया जा रहा है?	
12	यदि हाँ डी2डी कचरा संग्रहण में शामिल वार्डों की संख्या कवर किए गए घरों की संख्या कवर किए गए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थानों/कार्यालयों आदि सहित गैर-आवासीय परिसरों की संख्या डोर टू डोर संग्रहण के माध्यम से कवर किए गए आवासीय और गैर-आवासीय परिसरों का प्रतिशत : मोटर चालित वाहन कंटेनरयुक्त तिपहिया/हाथगाड़ी	

	अन्य उपकरण	
13	यदि नहीं, तो अपनाई गई प्राथमिक संग्रहण पद्धति सड़कों की सफाई शहर में सड़कों, गलियों, मार्गों, उपमार्गों की लंबाई जिन्हें साफ करने की आवश्यकता है	
14	सड़क की सफाई की आवृत्ति और कवर की गई आबादी का प्रतिशत उपयोग किए गए उपकरण मैन्युअल सफाई (%) मैकेनिकल सफाई (%) क्या सफाई कर्मचारियों द्वारा लंबे हैंडल वाली झाड़ू का उपयोग किया जाता है (हाँ/नहीं) क्या प्रत्येक सफाई कर्मचारी को कचरा संग्रह करने के लिए हाथगाड़ी/ट्राईसाइकिल दी जाती है (हाँ/नहीं) क्या हाथगाड़ी/ट्राईसाइकिल कंटेनरीकृत है (हाँ/नहीं) क्या संग्रह उपकरण उपयोग किए गए संग्रह/कचरा भंडारण कंटेनरों के साथ समन्वयित होता है (हाँ/नहीं)	आवृत्ति प्रतिदिन/प्रत्येक दूसरे दिन/सप्ताह में दो बार/कभी-कभार जनसंख्या का %
15	द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण सुविधाएं शहर/कस्बे में अपशिष्ट भंडारण डिपो की संख्या और प्रकार खुले अपशिष्ट भंडारण स्थल पत्थर के बने डिब्बे सीमेंट कंक्रीट सिलेंडर डिब्बे ढालाओ/ढके हुए कमरे/स्थान ढके हुए धातु/प्लास्टिक के कंटेनर 1.1 m ³ तक के डिब्बे 2 से 5 m ³ के डिब्बे 5m ³ से अधिक के कंटेनर डिब्बा रहित शहर सं. क्षमता m ³ में डिब्बा/जनसंख्या अनुपात कचरा भंडारण डिपो का वार्डवार विवरण (संग्रह करें): वार्ड क्रमांक: क्षेत्र: जनसंख्या: रखे गए कूड़ेदानों की संख्या रखे गए कूड़ेदानों की कुल मात्रा	

	अपशिष्ट भंडारण सुविधाओं की कुल भंडारण क्षमता घन मीटर में	
16	कचरा संग्रहण डिपो पर प्रतिदिन वास्तव में संग्रहित कुल कचरा डिपो से कचरा एकत्र करने की आवृत्ति साफ़ किए गए डिब्बों की संख्या	आवृत्ति डिब्बों की संख्या प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
17	क्या भंडारण डिपो में हरे, नीले और काले डिब्बों में अलग-अलग कचरे के भंडारण की सुविधा है	हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण जोड़ें) हरे डिब्बों की संख्या: नीले डिब्बों की संख्या: काले डिब्बों की संख्या:
18	भंडारण डिपो से ठोस अपशिष्ट का उठाव मैनुअल है या मशीनी। प्रतिशत बताएँ	ठोस अपशिष्ट को मैनुअल तरीके से उठाने का प्रतिशत यांत्रिक तरीके से उठाने का प्रतिशत
19	यदि यांत्रिक है - तो प्रयुक्त विधि निर्दिष्ट करें क्या ठोस अपशिष्ट को घर-घर से उठाकर अलग-अलग रूप में सीधे उपचार संयंत्र में ले जाया जाता है	फ्रंट-एंड लोडर/टॉप लोडर हां/नहीं (यदि हां, तो बताएं)
20	प्रतिदिन अपशिष्ट परिवहन प्रयुक्त वाहनों का प्रकार और संख्या (कृपया टिक करें या जोड़ें) पशु गाड़ी ट्रैक्टर नॉन टिपिंग ट्रक टिपिंग ट्रक डम्पर प्लेसर कचरा संग्रहकर्ता कॉम्पैक्टर अन्य जेसीबी/लोडर अपशिष्ट के परिवहन की आवृत्ति	यात्राएँ की संख्या परिवहन किया गया कचरा परिवहन किए गए कचरे की आवृत्ति (%) प्रतिदिन प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
21	प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले कचरे की मात्रा प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले कुल कचरे का प्रतिशत	/टीपीडी

	प्रयुक्त अपशिष्ट उपचार तकनीकें क्या ठोस कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है	
22	यदि हाँ, तो प्रतिदिन प्रसंस्करण किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए वर्तमान में उपयोग की जाने वाली भूमि संचालन में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ	/टीपीडी
23	निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ शहर/कस्बों की सीमा से प्रसंस्करण सुविधाओं की दूरी अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का विवरण कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड अवशिष्ट कचरे की मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड अवशिष्ट कचरे की मात्रा
23	बायो-मीथेनेशन अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की तकनीक जैसे भस्मीकरण, गैसीकरण, पायरोलिसिस या कोई अन्य प्रौद्योगिकी (विवरण दें) सह-प्रसंस्करण	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड अवशिष्ट कचरे की मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा अवशिष्ट कचरे की बेची गई मात्रा लैंडफिल्ड प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा

		बेची गई मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा
24	सीमेंट संयंत्र को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्रों को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट अन्य	
25	ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएं स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध डंपसाइट साइटों की संख्या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध स्वच्छता/परिचालन लैंडफिल साइटों की संख्या अपशिष्ट निपटान के लिए उपलब्ध प्रत्येक साइट का क्षेत्रफल	
26	वर्तमान में अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल शहर/कस्बे से डंपसाइट/लैंडफिल सुविधा की दूरी (किमी) निकटतम आवास से दूरी (किमी) जल निकाय से दूरी (किमी) राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी हवाई अड्डे से दूरी किमी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों या ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी किमी क्या यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है	
27	क्या यह भूकंप प्रवण रेखा क्षेत्र में आता है हाँ/नहीं प्रतिदिन लैंडफिल किए गए कचरे की मात्रा टीपीडी क्या लैंडफिल साइट पर बाड़ लगाई गई है	
28	क्या साइट पर लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध है हाँ/नहीं क्या वेट ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है हाँ/नहीं लैंडफिल में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन और उपकरण (निर्दिष्ट करें) बुलडोजर, कॉम्पैक्टर आदि उपलब्ध हैं लैंडफिल साइट पर तैनात जनशक्ति	
29	क्या लैंडफिल में डाले गए कचरे को दैनिक आधार पर ढका जाता है? हां/नहीं यदि नहीं, तो लैंडफिल पर जमा कचरे को ढकने की आवृत्ति ढकने के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री	
30	क्या पर्याप्त कवरिंग सामग्री उपलब्ध है हाँ/नहीं गैस वेंटिंग के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं हाँ/नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें) लीचेट संग्रह के लिए प्रावधान	हां/नहीं हां/नहीं, (यदि हां, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें) हां/नहीं, (यदि हां, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें)

31	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है	हां/नहीं (यदि हां तो कार्य योजना का विवरण संलग्न करें)
32	किनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं: डेयरी से संबंधित गतिविधियाँ: बूचड़खानों का कचरा: सी एंड डी अपशिष्ट (निर्माण मलबा):	प्रस्तावों पर विवरण संलग्न करें, उठाए गए कदम, हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं
33	पोस्ट क्लोजर योजना का विवरण	योजना संलग्न करें
34	कितनी झुगियों की पहचान की गई है और क्या उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं:	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो विवरण संलग्न करें)
35	सड़कों की सफाई, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट के निपटान सहित संग्रहण के लिए तैनात जनशक्ति का विवरण दें	
36	इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का संक्षेप में उल्लेख करें।	
37	संक्षेप में बताएं कि क्या ठोस अपशिष्ट से संबंधित समस्या से निपटने के लिए कोई नवीन विचार लागू किया गया है, जिसे अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दोहराया जा सकता है।	

दिनांक:

ऑपरेटर का हस्ताक्षर

स्थान:

फॉर्म – IV

[अध्याय VII, नियम 18(30) और नियम 19 (xiv) देखें]

स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

कैलेंडर वर्ष:

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख:

1	शहर/कस्बे और राज्य का नाम	
2.	जनसंख्या	
3.	क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में	
4.	स्थानीय निकाय का नाम और पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ई-मेल:	
5.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस अपशिष्ट) से संबंधित प्रभारी अधिकारी का नाम फोन नं.:	

	फैक्स नं.: ई-मेल: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रकोष्ठ का विवरण कर्मचारियों की संख्या:	
6.	शहर/कस्बे में घरों की संख्या, शहर में गैर-आवासीय परिसरों की संख्या शहर/कस्बे में चुनाव/प्रशासनिक वार्डों की संख्या	
7.	ठोस अपशिष्ट की मात्रा स्थानीय निकाय क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा मीट्रिक टन में प्रतिदिन एकत्रित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी) प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एकत्रित अपशिष्ट (/ग्राम/दिन) प्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी) डंपसाइट/लैंडफिल में निपटाए गए ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी)	
8.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) सेवा की स्थिति अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और भंडारण क्या ठोस अपशिष्ट को घरेलू/वाणिज्यिक/संस्थागत डिब्बों में स्रोत पर संग्रहित किया जाता है कितने प्रतिशत परिवार घरेलू डिब्बों में स्रोत पर अपशिष्ट का भंडारण करते हैं कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर वाणिज्यिक/संस्थागत डिब्बों में स्रोत पर अपशिष्ट का भंडारण करते हैं कितने प्रतिशत परिवार सड़कों पर ठोस अपशिष्ट फेंकते हैं कितने प्रतिशत गैर-आवासीय परिसर सड़कों पर ठोस अपशिष्ट फेंकते हैं क्या ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक रूप में संग्रहित किया जाता है यदि हाँ, तो स्रोत पर अपशिष्ट को पृथक करने वाले परिसरों का प्रतिशत ठोस अपशिष्ट का डोर टू डोर संग्रहण	
9.	क्या शहर/कस्बे में ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण (डी2डी) किया जा रहा है	
10	यदि हाँ डी2डी अपशिष्ट संग्रहण में शामिल वार्डों की संख्या कवर किए गए घरों की संख्या कवर किए गए गैर-आवासीय परिसरों की संख्या जिसमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थान/कार्यालय आदि शामिल हैं घर-घर जाकर संग्रहण में शामिल आवासीय और गैर-आवासीय परिसरों का प्रतिशत मोटर चालित वाहन कंटेनरयुक्त तिपहिया/हाथगाड़ी	

	अन्य उपकरण	
11	यदि नहीं, तो प्राथमिक संग्रहण की अपनाई गई विधि सड़कों की सफाई शहर में सड़कों, गलियों, लेन, उपमार्गों की लंबाई जिन्हें साफ करने की आवश्यकता है	
12	सड़कों की सफाई की आवृत्ति और कवर की गई आबादी का प्रतिशत उपयोग किए गए उपकरण मैन्युअल सफाई (%) यांत्रिक सफाई (%) क्या सफाई कर्मचारियों द्वारा लंबे हैंडल वाली झाड़ू का उपयोग किया जाता है (हाँ/नहीं) क्या प्रत्येक सफाई कर्मचारी को कचरा संग्रह करने के लिए हाथगाड़ी/ट्राईसाइकिल दी जाती है (हाँ/नहीं) क्या हाथगाड़ी/ट्राईसाइकिल कंटेनरीकृत है (हाँ/नहीं) क्या संग्रह उपकरण उपयोग किए गए संग्रह/कचरा भंडारण कंटेनरों के साथ समन्वयित होता है (हाँ/नहीं)	सफाई की आवृत्ति रोज़ाना / प्रत्येक दूसरे दिन / सप्ताह में दो बार / कभी-कभार जनसंख्या का प्रतिशत:
13	द्वितीयक अपशिष्ट भंडारण सुविधाएँ शहर/कस्बे में अपशिष्ट भंडारण डिपो की संख्या और प्रकार खुले अपशिष्ट भंडारण स्थल पत्थर के बने डिब्बे सीमेंट कंक्रीट सिलेंडर डिब्बे ढालाओ/ढके हुए कमरे/स्थान ढके हुए धातु/प्लास्टिक के कंटेनर 1.1 m³ तक के डिब्बे 2 से 5 m³ के डिब्बे 5m³ से अधिक के कंटेनर डिब्बे-रहित शहर m³ में क्षमता की संख्या डिब्बा/जनसंख्या अनुपात कचरा भंडारण डिपो का वार्डवार विवरण (संलग्न) : वार्ड संख्या: क्षेत्र: जनसंख्या: रखे गए डिब्बों की संख्या	

	रखे गए डिब्बों की कुल आयतन कचरा भंडारण सुविधाओं की कुल भंडारण क्षमता घन मीटर में	
14	कचरा संग्रहण डिपो पर प्रतिदिन वास्तव में संग्रहित कुल कचरा डिपो से कचरे के संग्रह की आवृत्ति साफ़ किए गए डिब्बों की संख्या	आवृत्ति डिब्बों की संख्या प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
15	क्या भंडारण डिपो में हरे, नीले और काले डिब्बों में अलग-अलग कचरे के भंडारण की सुविधा है	हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण जोड़ें) हरे डिब्बों की संख्या: नीले डिब्बों की संख्या: काले डिब्बों की संख्या:
16	भंडारण डिपो से ठोस अपशिष्ट का उठाव मैनुअल है या मशीनी। प्रतिशत बताएँ	ठोस अपशिष्ट की मैनुअल लिफ्टिंग का (%) मैकेनिकल लिफ्टिंग का (%)
17	यदि यांत्रिक है - तो प्रयुक्त विधि निर्दिष्ट करें क्या ठोस अपशिष्ट को घर-घर से उठाकर अलग-अलग रूप में सीधे उपचार संयंत्र में ले जाया जाता है	फ्रंट-एंड लोडर/टॉप लोडर हां/नहीं (यदि हां, तो बताएं)
18	प्रतिदिन अपशिष्ट परिवहन प्रयुक्त वाहनों का प्रकार और संख्या (कृपया टिक करें या जोड़ें) पशु गाड़ी ट्रैक्टर नॉन टिपिंग ट्रक टिपिंग ट्रक डम्पर प्लेसर कचरा संग्रहकर्ता कॉम्पैक्टर अन्य जेसीबी/लोडर कचरे के परिवहन की आवृत्ति	सं. की गई यात्राएँ अपशिष्ट परिवहन किया गया परिवहन किए गए कचरे की आवृत्ति (%) प्रतिदिन प्रत्येक दूसरे दिन सप्ताह में दो बार सप्ताह में एक बार कभी-कभार
19	प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले कचरे की मात्रा प्रतिदिन परिवहन किए जाने वाले कुल कचरे का प्रतिशत	/टीपीडी

	प्रयुक्त अपशिष्ट उपचार तकनीकें क्या ठोस कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है	
20	यदि हां, तो प्रतिदिन संसाधित किए जाने वाले कचरे की मात्रा अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध भूमि (हेक्टेयर में) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए वर्तमान में उपयोग की जाने वाली भूमि संचालन में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं यांत्रिक एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और क्षमता सं. क्षमता (एमटी) अपशिष्ट पृथक किया गया (एमटी) मैन्युअल एमआरएफ सुविधाओं की संख्या और क्षमता सं. क्षमता (एमटी) अपशिष्ट पृथक किया गया (एमटी)	/टीपीडी
21	निर्माणाधीन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ शहर/कस्बों की सीमा से प्रसंस्करण सुविधाओं की दूरी अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का विवरण कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग	प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ल अवशिष्ट कचरे की मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ल अवशिष्ट कचरे की मात्रा
22	बायो-मीथेनेशन अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की तकनीक जैसे भस्मीकरण, गैसीकरण, पायरोलिसिस या कोई अन्य तकनीक (विवरण दें)	संसाधित कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा लैंडफिल्ल अवशिष्ट कचरे की मात्रा संसाधित कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की

	ऊर्जा बनाने के लिए परिचालन संयंत्रों की संख्या और क्षमता ईपीआर पंजीकरण संख्या के साथ नाम और पता, क्षमता (एमटी), संसाधित प्लास्टिक अपशिष्ट (एमटी), उत्पादित ऊर्जा तेल इकाइयों के लिए परिचालन अपशिष्ट की संख्या और क्षमता ईपीआर पंजीकरण संख्या के साथ नाम और पता, क्षमता (एमटी), संसाधित अपशिष्ट (एमटी), उत्पन्न तेल	मात्रा बेचा गया अवशिष्ट अपशिष्ट की मात्रा लैंडफिल्ड प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा उत्पादित अंतिम उत्पाद की मात्रा बेची गई मात्रा प्रसंस्कृत कच्चे माल की मात्रा
23	सीमेंट संयंत्र को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्रों को आपूर्ति किया जाने वाला दहनशील अपशिष्ट अन्य	
24	ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएं स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध डंपसाइट साइटों की संख्या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध स्वच्छता/परिचालन लैंडफिल साइटों की संख्या अपशिष्ट निपटान के लिए उपलब्ध प्रत्येक साइट का क्षेत्रफल स्वच्छता/परिचालन लैंडफिल में रिसाइकलर और अन्य अपशिष्ट प्रोसेसर से निपटाए गए निष्क्रिय पदार्थ की मात्रा (एमटी)	
25	वर्तमान में अपशिष्ट निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल शहर/कस्बे से डंपसाइट/लैंडफिल सुविधा की दूरी (किमी) निकटतम आवास से दूरी (किमी) जल निकाय से दूरी (किमी) राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी एयरपोर्ट से दूरी कि.मी. महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों या ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी कि.मी. क्या यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र में आता है	
26	क्या यह भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है हाँ/नहीं प्रतिदिन लैंडफिल किए गए कचरे की मात्रा टीपीडी क्या लैंडफिल साइट पर बाड़ लगाई गई है वैज्ञानिक लैंडफिल साइट (संख्या और क्षमता) एन. क्षमता (मीट्रिक टन) प्राप्त कचरा (मीट्रिक टन)	
27	पुराने अपशिष्ट स्थल (पुराने अपशिष्ट की संख्या और मात्रा) उपलब्ध अपशिष्ट की संख्या	

	(मीट्रिक टन)आरडीएफ के लिए प्रसंस्कृत कचरे का प्रतिशत (मीट्रिक टन) आरडीएफ में ठोस अपशिष्ट (%) शेष अपशिष्ट (मीट्रिक टन)	
28	क्या साइट पर लाइटिंग की सुविधा उपलब्ध है हाँ/नहीं क्या वेट ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है हाँ/नहीं लैंडफिल में इस्तेमाल होने वाले वाहन और उपकरण (निर्दिष्ट करें) बुलडोजर, कॉम्पैक्टर आदि उपलब्ध हैं लैंडफिल साइट पर तैनात जनशक्ति	
29	क्या लैंडफिल में डाले गए कचरे को दैनिक आधार पर ढका जाता है? हां/नहीं यदि नहीं, तो कचरे को ढकने की आवृत्ति ढकने के लिए इस्तेमाल हुई सामग्री	
30	क्या पर्याप्त कवरिंग सामग्री उपलब्ध है हाँ/नहीं गैस वेंटिंग के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं हाँ/नहीं, (यदि हाँ, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें) लीचेट संग्रह के लिए प्रावधान	हां/नहीं हां/नहीं, (यदि हां, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें) हां/नहीं, (यदि हां, तो तकनीकी डेटा शीट संलग्न करें)
31	क्या शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है	हां/नहीं (यदि हां तो कार्य योजना का विवरण संलग्न करें)
32	किनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं: डेयरी से संबंधित गतिविधियाँ: बूचड़खानों का कचरा: सी एंड डी अपशिष्ट (निर्माण मलबा):	प्रस्तावों, उठाए गए कदमों का विवरण संलग्न करें, हां/नहीं हां/नहीं हां/नहीं
33	पोस्ट-क्लोजर योजना का विवरण:	योजना संलग्न करें
34	कितनी झुगियों की पहचान की गई है और क्या उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं:	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो विवरण संलग्न करें)
35	सड़कों की सफाई, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट के निपटान सहित संग्रह के लिए तैनात जनशक्ति का विवरण दें	
36	विवरण दें: ठेकेदार/कन्सेशनियर द्वारा तैनात जनशक्ति सड़क सफाई, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अपशिष्ट के निपटान सहित संग्रह के लिए अनौपचारिक क्षेत्र में अपशिष्ट बीनने वालों सहित मानव संसाधन का विवरण	

	(कन्सेशनियर या स्वयं का संसाधन) जो निम्न के लिए तैनात हैं क. संग्रह ख. सड़क सफाई ग. परिवहन घ. पृथक्करण इ. प्रसंस्करण च. निपटान (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे अपशिष्ट बीनने वालों का विवरण (वार्डवार) कचरा बीनने वालों की संख्या	
37	इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का संक्षेप में उल्लेख करें।	
38	संक्षेप में बताएं कि क्या ठोस अपशिष्ट से संबंधित समस्या से निपटने के लिए कोई नवीन विचार लागू किया गया है, जिसे अन्य स्थानीय निकायों द्वारा दोहराया जा सकता है।	
39	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रवर्तन	
40	कृपया पुष्टि करें कि क्या उपनियम बनाए गए हैं (हां/नहीं)	
41	एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर उल्लंघनों की संख्या और की गई कार्रवाई	
42	कुल उल्लंघनों की संख्या (जैसे कचरे को जलाना/कूड़ा फेंकना)	
43	की गई कार्रवाई (लगाए गए जुर्माने/दंड रु.)	
44	जल निकायों में बिखरे हुए ठोस अपशिष्ट के प्रवेश का डेटा नाली और जल निकाय में ठोस अपशिष्ट के प्रवेश बिंदु प्रवेश बिंदुओं की संख्या ठोस अपशिष्ट के प्रवेश को रोकने के लिए किए गए उपाय नदी क्षेत्रों सहित सतही जल निकाय सतही जल निकायों की संख्या एकत्रित अपशिष्ट की मात्रा ठोस अपशिष्ट से साफ किए गए नालों की संख्या नालियों की कुल लंबाई ठोस अपशिष्ट से साफ किए गए नालों की कुल लंबाई एकत्रित ठोस अपशिष्ट (मीट्रिक टन) एकत्रित गाद	

सीईओ/नगर आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/

मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म-V

[अध्याय VI, नियम 4 देखें]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

भाग क

सेवा में,

अध्यक्ष

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर

दिल्ली- 110 0032

1	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	
2	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम और पता	
3	इन नियमों के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकायों की संख्या	
4	प्राप्त प्राधिकरण आवेदनों की संख्या	
5	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण (राज्य स्तर) संग्रहण पृथक्करण प्रसंस्करण निस्तारण	
6	आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए लागू किए गए तंत्र का सारांश तथा शामिल एजेंसियों का विवरण (कृपया विवरण संलग्न करें)	
7	कृपया आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थापित अवसंरचना का विवरण संलग्न करें	
8	एमआरएफ सुविधाओं की कुल संख्या क्षमता सहित मैकेनिकल एमआरएफ सुविधाओं की संख्या क्षमता सहित मैनुअल एमआरएफ सुविधाओं की संख्या	
9		
10	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण	कृपया अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न करें
11	अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा की गई प्रगति पर एक सारांश विवरण	कृपया अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न करें
12	अनुसूची II के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा की गई प्रगति पर एक संक्षिप्त विवरण	कृपया अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न करें
i	दिनांक: स्थान:	अध्यक्ष या सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति

क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की कुल संख्या			
वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले यूएलबी की संख्या			
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल ग्राम पंचायतों (जीपी) की संख्या			
जिला स्तर पर पंचायत राज संस्थानों की कुल संख्या			
जिला स्तर पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली पंचायत राज संस्थाओं की संख्या			
कृपया पुष्टि करें कि सभी जीपी/यूएलबी ने सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्धारित समय में पूरी जानकारी प्रदान की है (हां/नहीं)			
ऐसे यूएलबी/जीपी की संख्या जिसने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं किया है			
कृपया जिला स्तर/यूएलबी पर पीआरआई पर लगाए गए ईसी की कुल राशि प्रदान करें, जिन्होंने नियमों के तहत निर्धारित समयसीमा के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट जमा नहीं की है।			
उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन)			
एकत्रित ठोस अपशिष्ट की मात्रा (टन)			
ठोस अपशिष्ट पृथक्करण (टन)			
कृपया पुष्टि करें कि सभी स्थानीय निकायों/ग्राम पंचायतों ने सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार ठोस अपशिष्ट उत्पादन और उसके लक्षणों का आकलन किया है (हां/नहीं)			
कृपया सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार ठोस अपशिष्ट लक्षण वर्णन रिपोर्ट अपलोड करें			
कृपया पुष्टि करें कि जिला स्तर पर यूएलबी और पीआरआई के लिए डेटा सत्यापन और सुलह सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार किया गया है (हां/नहीं)			
ईपीआर कार्यान्वयन			
ईपीआर पर पंजीकृत एलबी की कुल संख्या (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त की जाएगी)			
अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का विवरण (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त की जाएगी)			
नाम	प्रकार पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करणकर्ता/अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल	पंजीकरण संख्या	प्रसंस्करण क्षमता (टीपीए)

डब्ल्यूपी (टीपीए) से अपशिष्ट प्रसंस्करण					
प्रकार पुनर्चक्रणकर्ता/सह-प्रसंस्करणकर्ता/अपशिष्ट से ऊर्जा/अपशिष्ट से तेल					
पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) का ऑडिट और अधिरोपण (ईपीआर पोर्टल से स्वतः प्राप्त किया जाएगा)					
ऑडिट की गई संस्थाओं (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) की संख्या					
उल्लंघन में पाई गई संस्थाओं (पीआईबीओ/पीडब्ल्यूपी) की संख्या					
उल्लंघन करने वाली संस्थाओं (पीआईबीओ/डब्ल्यूपी) पर अधिरोपित ईसी					
एसडब्ल्यूएम नियमों का प्रवर्तन					
उपनियम तैयार करने वाली एलबी की संख्या					
एसडब्ल्यूएम नियम, 2016, संशोधित, 2018 (नियम 12) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर उल्लंघनों और की गई कार्रवाई की संख्या					
उल्लंघनों की कुल संख्या (कचरा जलाना/कूड़ा फेंकना/पंजीकरण न कराना और अन्य गैर-अनुपालन)					
की गई कार्रवाई (जुर्माना लगाया गया/बंद करने का आदेश जारी किया गया)					

भाग ख

कस्बा/शहर

कस्बों/शहरों की कुल संख्या

एलबी की कुल संख्या

श्रेणी I और श्रेणी II के शहरों/कस्बों की संख्या

प्राधिकरण की स्थिति (नाम/संख्या)

प्राप्त आवेदनों की संख्या

प्रदान किए गए प्राधिकरणों की संख्या

संवीक्षा के अधीन प्राधिकरण

ठोस अपशिष्ट उत्पादन की स्थिति

राज्य में ठोस अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी)

एकत्रित

उपचारित

लैंडफिल्ड

एस.डब्ल्यू. नियमों की अनुसूची I का अनुपालन (शहरों की संख्या/नाम/क्षमता)

शहरों/कस्बों में अच्छी प्रथाएं

घर-घर जाकर संग्रहण

पृथक्करण

भंडारण

कवर परिवहन

एस.डब्ल्यू. का प्रसंस्करण (शहरों की संख्या/नाम/क्षमता)

ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना:

क्रम संख्या	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	बायोगैस	आरडीएफ/पैलेटाइजेशन	बायोमीथनेशन
-------------	-------------	-------------------	---------	--------------------	-------------

प्रसंस्करण सुविधाएं चालू:

क्रम संख्या	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	बायोगैस	आरडीएफ/पैलेटाइजेशन	बायोमीथनेशन
-------------	-------------	-------------------	---------	--------------------	-------------

स्थापना/योजना के अंतर्गत प्रसंस्करण सुविधाएं:

क्रम संख्या	कम्पोस्टिंग	वर्मी-कम्पोस्टिंग	बायोगैस	आरडीएफ/पैलेटाइजेशन	बायोमीथनेशन
-------------	-------------	-------------------	---------	--------------------	-------------

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र: (संख्या/ कस्बों के नाम/क्षमता)

क्रम संख्या	संयंत्र स्थल	संचालन की स्थिति	विद्युत उत्पादन (मेगावाट)	टिप्पणी
-------------	--------------	------------------	---------------------------	---------

ठोस अपशिष्ट का निपटान (शहरों की संख्या/नाम/क्षमता):

पहचान किए गए लैंडफिल साइट्स

निर्मित लैंडफिल

निर्माणाधीन लैंडफिल

संचालित लैंडफिल

बंद लैंडफिल

कैप किए गए लैंडफिल

ठोस अपशिष्ट डंपसाइट (संख्या/ कस्बों के नाम/क्षमता):

मौजूदा डंपसाइटों की कुल संख्या

पुनः प्राप्त/कैप किए गए डंपसाइट्स

सेनेटरी/ऑपरेशनल लैंडफिल में परिवर्तित डंपसाइट्स

अपशिष्ट प्रसंस्करण/लैंडफिल साइट्स पर निगरानी

क्रम संख्या	सुविधा का नाम	पर्यावरणीय वायु	भूमिगत जल	लीचेट गुणवत्ता	कम्पोस्ट की गुणवत्ता	बीओसी
-------------	---------------	-----------------	-----------	----------------	----------------------	-------

नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की स्थिति

नगर पालिकाओं की कुल संख्या:

प्रस्तुत की गई कार्य योजना की संख्या

फॉर्म – VI

[अध्याय VI, नियम 6 देखें]

दुर्घटना रिपोर्टिंग

1	दुर्घटना की तारीख और समय	
2	दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं का क्रम	
3	दुर्घटना में शामिल अपशिष्ट	
4	मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन	
5	आपातकालीन उपाय किए गए	
6	दुर्घटना के प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदम	
7	ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम	
i	दिनांक: स्थान:	हस्ताक्षर: पदनाम:

[फा. सं. 18/3/2022-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2024

S.O. 5369(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)

Whereas the Government proposes to introduce following draft rules in order to address the adverse effects of unmanaged solid waste; implement principles of circular economy; further strengthen monitoring, reporting and enforcement of rules covering both urban and rural areas; for improving quality of environment across the country;

Whereas it is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft notification shall be taken in to consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the gazette of India are made available to public;

Objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification, if any may be addressed, within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi- 110 003 or electronically at e-mail addressed: sohsmnd-mef@gov.in

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

Draft Rules**Chapter I**

1. Short title and commencement:- (1) These rules shall be called Solid Waste Management Rules, 2024;

(2) They shall come into force from 01 October, 2025.

2. Application.- These shall apply to every urban body as well as rural local body, including all entities within their jurisdictions whether being controlled and managed by the government, private sector or in Public Private Partnership (PPP) viz. special notified areas including industrial areas/townships, special economic zones SEZs, food parks, and areas under the control of Indian Railways including railway stations, railway tracks and land parcels adjacent to railway tracks, airports, airbases, Ports and harbours, defence establishments, public and private establishments, State and Central government organizations, places of pilgrims, religious and historical importance, all land owners public or private, individual or body corporate, in possession of land parcels, and to every domestic, institutional, commercial and any other non-residential solid waste generator situated in the areas except hazardous chemicals, bio medical wastes, and radio-active waste, that are covered under separate rules framed under the Environment(Protection) Act,1986.

3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- a. **“aerobic composting”** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in the presence of oxygen;
- b. **“agri-residue”** means crop residue or crop waste material generated from agricultural/ horticultural crop fields or orchard, after harvest of crops e.g. straw, husk etc.
- c. **“anaerobic digestion”** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in absence of oxygen;
- d. **“authorisation”** means the permission given by the State/UT Government through its Department, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee or the Local Body, as the case may be, to the operator of a facility or the local body and/or authority, or any other agency/ third party engaged in collection, segregation, sorting, transporting, recycling/ processing/disposal of solid waste as well as to those engaged in establishment, operation, and management of sanitary/ operational landfill;
- e. **“biodegradable waste”** means any organic material that can be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;
- f. **“bio-methanation”** means a process which entails enzymatic decomposition of the organic matter by microbial action to produce methane rich biogas;
- g. **“brand owner”** means a person or company who sells any commodity under a registered brand label.
- h. **“buffer zone”** means zone of no development to be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding 5 TPD of installed capacity. This will be maintained within total area allotted for the solid waste processing and disposal facility.
- i. **“bulk waste generator”** covers the following-
 - (i) entities, given below, if they satisfy at least one of the following criterion (i) buildings with floor area of 20, 000 sq.m. or above (ii) water consumption of 5000 litres per day (iii) solid waste generation of 100 kg per day
 - (a) Institutional users including buildings occupied by the
 - Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings,
 - local bodies,
 - public sector undertakings or private companies,
 - schools, colleges, universities, other educational institutions
 - (b) Commercial users including
 - commercial establishments including railways, bus stations/deposits, airports, ports,
 - malls, multiplexes ,
 - hotels ,

- hospitals, nursing homes,
- hostels,
- wholesale markets, including “Mandis”, for agricultural and horticultural produce, , fish and meat
- stadia, sports complexes,

(c) Residential societies

- j. **"bye-laws"** means regulatory framework notified by local body, including census towns and notified area townships for facilitating the implementation of these rules effectively in their jurisdiction.
- k. **"census town"** means an urban area as defined by the Registrar General and Census Commissioner of India;
- l. **"combustible waste"** means non-biodegradable, non-recyclable, non-reusable, non hazardous solid waste having minimum calorific value exceeding 1500 kcal/kg and excluding chlorinated materials like plastic, wood pulp, etc;
- m. **"composting"** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;
- n. **"contractor"** means a person or firm that undertakes a contract to provide materials or labour to perform a service or do a job for service providing authority;
- o. **"co-processing"** means use of non-biodegradable and non-recyclable solid waste having calorific value exceeding 1500kcal/kg as raw material or as a source of energy or both to replace or supplement the natural mineral resources and fossil fuels in industrial processes;
- p. **"decentralised processing"** means establishment of dispersed facilities for maximizing the processing of wet waste and/ or horticulture waste as well as segregation and sorting of dry waste, sanitary waste, and special care waste; closest to the source of generation so as to optimize transportation of waste for recycling/ processing or disposal;
- q. **"disposal"** means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains in sanitary/ operational landfills as specified in Schedule I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;
- r. **"door to door collection"** means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments , offices , institutional or any other non residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing ociety , multi storied building or apartments , large residential, commercial or institutional complex or premises;
- s. **"dry waste"** means waste other than wet waste, sanitary waste, special care waste and includes recyclable waste and non-recyclable waste;
- t. **"dump sites"** means a land utilised by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;
- u. **"facility"** means any establishment wherein the solid waste management processes namely segregation, recovery, storage, collection, recycling, processing, treatment or safe disposal are carried out;
- v. **"fine"** means penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these rules and/or bye- laws
- w. **"form"** means a form appended to these rules;
- x. **"handling"** includes all activities relating to sorting, segregation, material recovery, collection, secondary storage, shredding, baling, crushing, loading, unloading, transportation, processing and disposal of solid wastes;
- y. **"horticultural waste"** means bulk waste from parks, gardens, traffic islands, road medians etc. including grass & wood clippings, weeds, woody 'brown' carbon-rich material such as pruning, branches, twigs, wood chipping, straw or dead leaves and tree trimmings, which cannot be accommodated in the daily collection system for wet waste;
- z. **"inerts"** means wastes which are non bio-degradable, non recyclable or non combustible street sweeping or dust and silt removed from the surface drains;

- aa. **“incineration”** means an engineered process involving burning or combustion of solid waste to thermally degrade waste materials at high temperatures;
- bb. **“informal waste collector”** includes individuals, associations or waste traders who are involved in collection, segregation, sorting, sale and purchase of waste materials including recyclable materials;
- cc. **“leachate”** means the liquid that seeps through solid waste or other medium and has extracts of dissolved or suspended material from it;
- dd. **“local body”** includes the municipal corporation, nagar nigam, municipal council, nagarpalika, municipal board, nagar panchayat and town panchayat, census towns, notified areas and notified industrial townships, Panchayati Raj Institutions ;
- ee. **“materials recovery facility”** (MRF) means a facility where solid waste other than wet waste and horticulture waste , can be temporarily stored by the local body or any entity authorized by local body to facilitate segregation and sorting of collected waste including biodegradable plastic as well as compostable plastic , and transfer of recyclables and non recyclables to authorized recyclers or waste processors from various components of waste ;
- ff. **“non-biodegradable waste”** means any waste that cannot be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;
- gg. **“operator of a facility”** means a person or entity, who owns or operates a facility for handling solid waste which includes the local body and any other entity or agency appointed by the local body;
- hh. **“primary collection”** means collection of segregated solid waste from source of its generation including households, shops, offices and any other non-residential premises or from any collection points or any other location specified by the local body;
- ii. **“processing”** means any scientific process by which segregated solid waste is handled for the purpose of reuse, recycling or transformation into new products;
- jj. **“recycling”** means the process of transforming segregated non-biodegradable solid waste into new material or product or as raw material for producing new products which may or may not be similar to the original products;
- kk. **“redevelopment”** means rebuilding of old residential or commercial buildings at the same site, where the existing buildings and other infrastructures have become dilapidated;
- ll. **“refused derived fuel”(RDF)** means fuel derived from combustible waste fraction of solid waste like plastic, wood, pulp or inorganic waste, other than chlorinated materials, in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding, dehydrating and compacting of solid waste ;
- mm. **“residual solid waste”** means and includes the waste and rejects from the solid waste processing facilities which are not suitable for recycling or further processing;
- nn. **“sanitary land filling”** means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion;
- oo. **“sanitary waste”** means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;
- pp. **“sanitary products”** means products comprising of diapers, sanitary towels or napkins, tampons, incontinence sheets;
- qq. **“schedule”** means the Schedule appended to these rules;
- rr. **“secondary storage”** means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or material recovery facilitates or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;
- ss. **“segregation”** means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agriculture and dairy waste, non biodegradable wastes including recyclable waste, non- recyclable combustible waste, sanitary waste and non recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;
- tt. **“service provider”** means an authority providing public utility services like water, sewerage handling , electricity, telephone, roads, drainage, etc;

- uu. **"solid waste"** means and includes solid or semi-solid domestic waste, sanitary waste, commercial waste, institutional waste, catering and market waste and other non residential wastes, street sweepings, silt removed or collected from the surface drains, horticulture waste, agriculture and dairy waste, treated bio-medical waste excluding liquid waste, bio-medical waste and e-waste, battery waste, radio-active waste generated in the area under the local authorities and other entities mentioned in rule 2;
- vv. **"sorting"** means separating various components and categories of recyclables and non recyclables such as paper including paperboard, plastic, metal, glass, etc., from waste as may be appropriate to facilitate recycling/processing/disposal;
- ww. **"special care waste"** means discarded paint drums, pesticide cans or containers or bottles, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, waste batteries, used/waste needles and syringes and contaminated gauge, or any other waste notified by CPCB from time to time generated at the household level;
- xx. **"stabilising"** means the biological decomposition of biodegradable wastes to a stable state where it generates no leachate or offensive odours and is fit for application to farm land ,soil erosion control and soil remediation;
- yy. **"State Pollution Control Board"** means the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee;
- zz. **"street vendor"** means any person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous terms which may be local or region specific; and the words "street vending" with their grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly;
- aaa. **"tipping fee"** means a fee or support price determined by the local bodies/authorities or any state agency authorised by the State/UT government to be paid to the concessionaire and operator of waste processing facility or for disposal of residual solid waste at the landfill;
- bbb. **"transfer station"** means a facility created to receive solid waste from collection areas and transport in bulk in covered vehicles or containers to waste processing and, or, disposal facilities;
- ccc. **"transportation"** means conveyance of solid waste, either treated, partly treated or untreated from a location to another location in an environmentally sound manner through specially designed and covered transport system so as to prevent the foul odour, littering and unsightly conditions;
- ddd. **"treatment"** means the method, technique or process designed to modify physical, chemical or biological characteristics or composition of any waste so as to reduce its volume and potential to cause harm;
- eee. **"user fee"** means a fee imposed by the local body on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services.
- fff. **"vermi composting"** means the process of conversion of bio-degradable waste into compost using earth worms;
- ggg. **"waste generator"** means and includes every person or group of persons, every residential premises and non residential establishments including Indian Railways, defense establishments, which generate solid waste;
- hhh. **"waste hierarchy"** means the priority order in which the solid waste is to should be managed by giving emphasis to prevention, reduction, reuse, recycling, recovery and disposal, with prevention being the most preferred option and the disposal at the landfill being the least;
- iii. **"waste picker"** means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood.
- jjj. **"wet waste"** means organic waste including kitchen waste, food waste, vegetable waste , meat waste, fruits waste, flower waste, and such similar waste.

(2) Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981,

as amended from time to time, shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts.

4. Solid Waste Management. - (1) The solid waste management by local authorities, in their respective jurisdiction, shall inter alia include environmentally sound management of solid waste such as dry waste, wet waste, special care waste, sanitary waste, horticultural waste and agri-residue as well as of sanitary / operational landfill management and existing/ legacy waste dumpsite remediation.

Chapter II

Environmentally sound management of solid waste

1. Duties of waste generator. - (1) Every waste generator shall, -

- (a) adopt measures to prevent or reduce environmental pollution caused by solid waste;
- (b) segregate and store the waste generated by them in four separate streams at source namely wet waste, dry waste, sanitary waste and special care waste; and handover segregated waste to authorized waste pickers or waste collectors;
- (c) wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads etc., in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material as instructed by the local bodies/authorities and shall place the same in the sanitary waste bin separate from bins meant for dry waste/wet waste or special care waste;
- (d) store separately construction and demolition waste, as and when generated, in their own premises and shall dispose off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016;
- (e) store horticulture waste or garden waste generated from their premises or land separately in their own premises and dispose of as per the directions of local bodies authorities from time to time;
- (f) not throw, burn or bury the solid waste generated by them, on streets, open public spaces outside his premises or dispose in the drain or waterbodies;
- (g) pay such user fee for solid waste management, as specified in the bye-laws of the local bodies;
- (h) keep suitable containers for storage of waste generated viz. wet waste such as food waste, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, and dry waste such as disposable plates, cups, cans, wrappers, etc., and shall handover segregated waste to authorized waste collectors or through waste collection vehicles as notified by the local body;
- (i) not organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the local body, at least three working days in advance; and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the local body. Local bodies shall give these licenses. The waste generated shall be disposed off in the manner prescribed under these rules.
- (j) It shall be the responsibility of all users/consumers,-
 - i. to discard solid waste separately ;
 - ii. to ensure that solid waste is recycled/ processed/disposed off in an environment sound manner by giving it to the local body or an entity engaged by local body for collection/treatment/ reuse.
- (k) shall not mix biomedical waste covered under Biomedical Waste Management Rules, 2016 with solid waste provided it is identified as an occupier under Biomedical Waste Management Rules, 2016.

(2) All hotels, restaurants, resident welfare, market associations and gated communities and institutions with more than 5,000 sqm area shall, within one year from the date of notification of these rules and in partnership with the local body ensure segregation of waste at source by the generators as prescribed in these rules, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the local body.

2. Duties of bulk waste generator. – (1) Every bulk waste generator,

- (a) shall register themselves with the concerned local body through the centralized online portal. The certificate of registration shall specify conditions required to be fulfilled for registration to remain valid. Any change in the information provided during registration and the conditions specified in the registration shall be notified to the local body;
- (b) shall make necessary arrangements for collecting and handing over of dry waste, sanitary waste, special care

waste, to the local body or agency authorized by it;

(c) shall make necessary arrangements to collect and process wet waste and/or horticulture waste if applicable, generated by them, in a decentralized manner through composting or biomethanation or any other approved technology;

(d) shall set up and operate decentralized wet waste including horticulture waste processing facilities of adequate capacity to ensure processing of complete wet waste generated by them, in case of all new bulk waste generators. In case of existing bulk waste generators, who are not able to set up and operate decentralized wet waste processing, such bulk waste generators shall procure Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) Certificates from local body concerned for processing of wet waste equivalent to complete wet waste generated by them;

(e) shall have the decentralized composting and /or biomethanation facility as per the guidelines prescribed by CPCB. Each of these decentralized composting facilities shall register with the local body via centralized online portal. In case of existing bulk waste generators where it may not be possible to have composting and /or biomethanation facilities within their premises or under their control and management, they shall get the exemption from the local body and shall engage with a third party or concessionaire engaged by the local body for composting and/or biomethanation of wet waste;

(f) shall fulfill Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) on the solid waste generated for (i) processing of wet waste and (ii) handing over of collected dry waste, special care waste, sanitary waste to local body or agency authorized by local body for transportation to registered waste processors. The calculation for EBWGR obligation for total solid waste generated by bulk waste generator shall be estimated based upon norms issued by CPCB in consultation with MOHUA and DDWS from time to time.

(g) shall procure Extended Bulk Waste Generator Responsibility Certificates from local body for environmentally sound collection and transportation of dry waste, special care waste, sanitary waste sent to registered waste processing facility for further processing and treatment;

(h) shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules;

(i) shall submit annual returns by 30th June every year on the centralized online portal in respect of the EBWGR obligation including procurement of EBWGR certificate for total calculated solid waste generated by them. The annual returns shall be through local bodies and forwarded to Urban Development Department of the concerned State/UT Government for further processing. The annual returns shall be made available in public domain on the website of local body on a yearly basis;

(j) encouraged to provide information by 30th June every year on the centralized online portal in respect of quantity of wet waste, dry waste, sanitary waste, special care waste, horticulture waste generated by them. The information may be made available in public domain on the website of local body on a yearly basis;

(k) shall give the residual solid waste generated during waste processing to the registered waste processors including waste collectors/ pickers or third party or the concessionaire, in case of decentralized waste processing facilities, ;

(l) shall have the solid waste generated by them, left in the course of construction, promptly cleaned up and moved away, and have it utilized or treated in compliance with the provisions under these rules, in case of construction units;

(m) shall ensure that solid waste is not littered during the transportation and the solid waste generated during journey and at bus stations and railway station is managed as per the provisions of these rules, in case of entities engaged in public transport including roadways and railways;

(n) shall, in accordance with the relevant rules, develop and operate facilities for collecting and processing/disposal of various category of solid waste in case of entities engaged in construction projects including development and redevelopment of residential, institutional areas, community facilities, infrastructure such as roads, transmission lines or engaged in the operation and management of public facilities including such as airports, bus stops or railway stations, shopping malls;

(o) shall not mix biomedical waste covered under Biomedical Waste Management Rules, 2016 with solid waste provided it is identified as an occupier under Biomedical Waste Management Rules, 2016. In such cases, the BWG shall provide information, while filing annual returns, on the quantity of biomedical waste generated and handed over to authorized BMWTF entities for collection, treatment/disposal under BMWMR 2016.

(p) shall ensure that the provisions listed to under this rule, are adhered to as per the timelines in Schedule X.

3. Duties of operator of solid waste processing facilities.- (1) Operator of every waste processing facilities,

(a) shall register themselves on the centralized online portal in case of wet waste, dry waste, sanitary waste, special care waste, horticulture waste processing facilities including WtE, CBG, composting, incinerators, common biomedical waste facilities;

(b) shall ensure treatment standards such that no damage to human health and environment occurs and shall meet

the standards laid down in Schedule II;

(c) shall file quarterly returns by 15th of the first month of the next quarter and annual returns by 30th June every year to the concerned local body in Form III, and the local body shall validate the returns filed before further onward processing, in respect of the quantity/ volume of wet waste, dry waste, special care waste, sanitary waste, horticulture waste received for processing, as applicable; quantity of solid waste processed; details of non-recyclable and non-energy recoverable dry waste and inerts sent to sanitary/operational landfills; availability, quality and sale/ use of organic manure/ compost produced from processing of wet waste and horticulture waste; and other relevant details. Such data shall also made available in the public domain and published on the website;

(d) shall give the residual solid waste generated during waste processing to the registered waste processors including waste collectors or third party or the concessionaire, in case of decentralized waste processing facilities;

(e) shall design and set up the facility as per the technical guidelines issued by the Central Pollution Control Board in this regard from time to time and the manual on solid waste management prepared by CPHEEO, Ministry of Housing and Urban Affairs/ DDWS;

(f) shall obtain necessary approvals from the State Pollution Control Board;

(g) shall be responsible for the safe and environmentally sound operations of the solid waste processing and/or treatment facilities as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time and the Manual on Municipal Solid Waste Management published by CPHEEO, Ministry of Housing and Urban Affairs/ DDWS and updated from time to time.

(h) shall be the responsibility of the entity to: -

- a. ensure that a facility is in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board;
- b. ensure that it carries out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board;
- c. ensure that hazardous waste generated from any activity of the entity is managed as per the provisions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;
- d. shall ensure that the solid waste is processed as per the guidelines issued by CPCB.

(i) shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.

(j) ensure engagement of trained manpower for operation of waste processing facilities.

4. Duties of local body and/or the concessionaire/ third party authorized by local body involved in collection, segregation and transportation of solid waste.- (1) Every local body or the concessionaire/ third party authorized by local body involved in collection, segregation and transportation of solid waste,

(a) shall register themselves on the centralized online portal;

(b) shall ensure that the collection, segregation, transportation and/or processing of solid waste is done in an environmentally sound manner, in accordance with the manual on Municipal Solid Waste Management by CPHEEO, Ministry of Housing and Urban Affairs, the guidelines of CPCB and DDWS;

(c) shall be responsible for handing over the collected solid waste to the registered waste processing facility or recyclers in;

(d) shall generate Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates for procurement by bulk waste generators against the quarterly return filed by the local body or the concessionaire on the quantity of waste (dry, wet, sanitary and special waste) handed over to the registered waste processors/ recyclers, in accordance with the guidelines laid down by CPCB in this regard;

(e) shall generate the Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates against the wet waste and horticulture waste only after the registered and/ or authorized wet waste treatment/ processing/ recycling facilities to whom the wet waste is given for processing/ treatment submits report providing details regarding quantity of wet waste/ horticulture waste received and processed, on the centralized online portal;

(f) shall ensure that any facility which form part of their waste collection, sorting, transportation, processing and disposal follow standards and guidelines of CPCB as applicable such that no damage to human health and environment occurs;

(g) shall on their own or through registered third party ensure transportation of wet waste to registered wet waste processing facility, dry waste to registered Material Recovery Facility/ processing facility, to sanitary waste and special care waste to registered recycler/processor/ incinerator or common Biomedical Waste Treatment Facility;

(h) shall file quarterly by 15th of the first month of the next quarter and annual returns by 30th June every year to

the concerned local body and the local body shall validate the return filed before onward processing, in respect of the quantity/ volume of wet waste, dry waste, special care waste, sanitary waste received from the waste generator/ bulk waste generator; details of each of the waste generator/ bulk waste generator from whom the wet waste, dry waste, special category waste, sanitary waste, horticulture waste is collected; details of registered and/ or authorized waste treatment/ processing/ recycling facilities to whom the wet waste, dry waste, special care waste, sanitary waste, horticulture waste is given for processing; and other relevant details. Such data shall also made available in the public domain and published on the website.

(i) shall be responsible for:-

- i. discharging its duties in accordance with the manual on Municipal Solid Waste Management by CPHEEO, Ministry of Housing and Urban Affairs, the guidelines of CPCB and DDWS;
- ii. taking measures to prevent scattering, running off and spilling of solid waste, or other measures to prevent pollution of the environment;
- iii. ensuring that the collection of solid waste from waste generators is carried out as per the frequency directed by the local body;
- iv. ensuring that the vehicles used for the collection and transportation of solid waste are equipped with appropriate size and capacity to provide separate compartments for wet waste and dry waste and provide necessary arrangements for separate collection of sanitary waste, special care waste, and horticultural/agricultural waste;
- v. ensuring that no intermixing of waste streams during collection & transportation occurs during transportation;
- vi. ensuring that waste stream remains segregated until it reached the designated waste processing facility;
- vii. ensuring that the person involved in the collection & transportation are provided with appropriate PPE and are trained properly;
- viii. ensuring that the vehicles used in collection and transportation are maintained well and serviced periodically;
- ix. ensuring that all vehicles must have pollution certificate;
- x. ensuring that the fleet engaged in collection and transportation are equipped with tracking devices at least for cities having population more than 50,000. Depending on requirement, same may be extended to local bodies having population less than 50,000 also.

5. Duties of entity involved in sorting of recyclable/ non-recyclable waste at Material Recovery Facility MRFs.— (1) Each entity involved in sorting of recyclable/ non-recyclable waste, preferably dry waste, shall be registered with the local body.

(2) It shall be the responsibility of the entity to: -

- (a) ensure that a facility is in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board;
- (b) ensure that it carries out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board;
- (c) ensure that hazardous waste generated from any activity of the entity is managed as per the provisions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(3) The sorted of recyclable/non-recyclable waste shall be channelized to the registered waste processing entities/ recycling entities.

(4) The entity shall report to the concerned local body through the online portal regarding the quantity of solid waste received, quantity of solid waste sorted and channelized to registered waste processors or sanitary landfills on a quarterly basis by 15th of first month of next quarter.

(5) Facility/ entity shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.

(6) Ensure engagement of trained personnel for operation of MRFs.

6. Extended Generator Responsibility (EGR) Certificate for treatment of waste:-

- (1) Only local body or registered third party/ concessionaire engaged by the local body is mandated to generate EBWGR certificate for fulfilment of EBWGR obligation of bulk waste generator against the solid waste handed over to registered waste processing facilities /recyclers .
- (2) The local body, or third party or the concessionaire, authorized by it, shall register themselves on the centralized online portal prior to generation of EBWGR certificates for solid waste collected from bulk waste generator and handed over to the registered waste processing facilities /recyclers.
- (3) SPCB shall authorize generation of EBWGR certificates by the local body or the registered third party or the concessionaire on the centralized online portal.
- (4) The following formula shall be used to estimate the EBWGR certificates:
 Extended Bulk Waste Generator Responsibility certificates (kilograms) = Quantity of solid waste collected, transported and sent to registered processors/recyclers by local body or registered third party or the concessionaire (kgs)
- (5) EBWGR certificates generated against the wet waste shall be generated by the local body or the registered third party or the concessionaire, only after the corresponding registered wet waste treatment/processing facilities to whom the waste was handed over submit reports providing details of quantity of wet waste received and processed, on the centralized online portal.
- (6) All such transactions shall be recorded and submitted by local body or the registered third party or the concessionaire on the centralized online portal at the time of filing annual returns.
- (7) EBWGR certificates generated by the local body or the registered third party or the concessionaire in a particular year shall be valid for meeting the obligations of bulk waste generators for the same year.
- (8) Fee to be levied for EBWGR certificate by local body shall be finalized as per guidelines issued by MoHUA in consultation with CPCB in this regard.
- (9) Local body shall collect the fee for issuance of EBWGR certificates from bulk waste generators for fulfillment of their EBWGR obligations.
- (10) Fee charged by local body for issuance of each EGR certificate(s) to be shared with the concerned concessionaire or the third party as well as with the SPCB or could be used by local body towards development and maintenance of solid waste collection, transportation, processing infrastructure, or audit of concessionaire or the third party by SPCB in accordance with the guidelines issued by CPCB in this regard.
- (11) In case of non-compliance of the obligation by the obligated entity, there shall be environmental compensation.

7. Duties of industrial units and waste to energy plants located within specified distance from refuse derived fuel plants based on solid waste.-

- (1) Industrial units utilizing solid fuel shall use RDF and/or SCF and/or agri-residue as per table given below. The industrial units using solid fuel and located within specified distance from a solid waste based refused derived fuel plant shall make arrangements to replace their solid fuel requirement with combustible fraction produced from solid waste conforming with standards prescribed by CPCB.

TABLE

S. No.	Combustible Fraction of solid waste	Calorific value	Intended use	Specified distance	Fuel Substitution Schedule
1	SCF or agri-residue	> 1500 Kcal / kg net	Waste to energy plants or industries with boilers of heating requirements	100 km	- At least 6 % of fuel intake from the date rules come into effect - At least 10 % of fuel intake after 3 years from the date rules come into effect - At least 15 % of fuel intake after
2	RDF Grade I	> 4500 Kcal / kg net	For direct co-processing in cement kilns	400 km	
3	RDF Grade II	> 3750 Kcal / kg net	For direct co-processing in cement kilns	400 km	

4	RDF Grade III	> 3000 Kcal / kg net	For co-processing directly or after processing with other waste materials in cement kilns	400 km	6 years from the date rules come into effect
---	---------------	----------------------	---	--------	--

(2) All such industrial units shall register with the concerned SPCB and shall file annual returns on use of RDF/SCF/agri residue through centralized online portal by 30th June every year.

(3) All RDF plants shall register and report availability of RDF along with quality report of the available RDF/SCF as per guidelines issued by MoHUA, on the centralized online portal on a monthly basis.

(4) RDF plants to report real time on the availability and off take of RDF through centralized online portal.

8. Criteria and actions to be taken for solid waste management in hilly areas.- (1) In the hilly areas, the duties and responsibilities of the local authorities shall be as under:

- Construction of landfill on hilly areas shall be avoided. A transfer station at a suitable enclosed location shall be setup to collect residual waste from the processing facility and inert waste. A suitable land shall be identified in the plain areas down the hill within 25 kilometers for setting up sanitary / operational landfill. The residual waste from the transfer station shall be disposed of at this sanitary/ operational landfill.
- In case of non-availability of such land, efforts shall be made to set up regional sanitary/ operational landfill for the inert and residual waste.
- Local body shall frame bye-laws and prohibit citizens from littering solid waste on the streets and give directions to the tourists not to dispose any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink cans, tetra packs, any other plastic or paper waste in the hilly areas or down the hills and instead direct to deposit such solid waste in litter bins that shall be placed by the local body at all tourist destinations.
- Local body shall arrange to convey the provisions of solid waste management under the bye-laws to all tourists visiting the hilly areas at the entry point in the town as well as through the hotels, guest houses or like where they reside and by putting suitable hoardings at tourist destinations.
- Local body may levy solid waste management charge from the tourist at the entry point to make the solid waste management services sustainable.
- The department in- charge of the allocation of land assignment shall identify and allot suitable space on the hills for setting up decentralised waste processing facilities. Local body shall set up such facilities. Step garden system may be adopted for optimum utilisation of hill space.
- Hospitality units in hilly areas may have Swachhata Green Leaf Rating to encourage responsible tourism and sustainability.

9. Criteria for waste to energy process.- (1) Non-recyclable waste having calorific value of 1500 Kcal/kg or more shall not be disposed of on landfills and shall only be utilised for generating energy either or through refuse derived fuel or by giving away as feedstock for preparing refuse derived fuel as per standards prescribed by CPCB.

(2) High calorific wastes shall be used for co-processing in cement or thermal power plants or other furnaces.

(3) The local body or an operator of facility or an agency designated by them proposing to set up waste to energy plant of more than ten tones per day processing capacity shall submit an application in Form-I to the State Pollution Control Board, as the case may be, for authorisation. The State Pollution Control Board, on receiving such application for setting up waste to energy facility, shall examine the same and grant permission within sixty days.

(4) Establishment, operation and maintenance of waste to energy facilities shall be authorized by concerned State Pollution Control Board, in accordance with the guidelines issued by CPCB in this regard.

Chapter III

Sanitary/ operational landfills

1. Establishment, Operation and Maintenance of Sanitary/Operational Landfill.-

(1) Urban Development Department or the Department in charge of Municipal Administration or Local Self Government, as well as Rural Development Department or the Department in charge of solid waste management in rural areas of State / UT Government or the Panchayati Raj Department shall identify land for the establishment of sanitary/operational landfill, in accordance with regional/ cluster approach as per State Solid Waste Management Policy and Strategy in urban areas as well as rural areas.

(2) The department in- charge of the allocation of land assignment at district level shall be responsible for making available the land parcel to the concessionaire identified by State / UT Urban Development Department or the Department in charge of solid waste management in rural areas, in the concerned urban local body or the rural local body under whose jurisdiction the land parcel is present.

(3) The concerned local body shall identify eligible agencies for establishment, construction, operation and maintenance of sanitary/operational landfill as per Schedule 1 following time line prescribed in Schedule X;

(4) Only non-recyclable and non-energy recoverable dry waste and inerts shall be disposed off in the sanitary/ operational landfill. No wet waste or construction and demolition waste shall be dumped in the sanitary/ operational landfill.

(5) The concerned department shall determine and notify sanitary/operational landfill user fee, on weight basis, to be levied on concerned urban local body or rural local body or the third party/ concessionaire engaged by urban/ rural local body, on the quantum of unsegregated waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed wet waste or construction and demolition waste sent to sanitary/operational landfill till the time adequate waste processing facilities are in place. Landfill fee shall be levied by the operator for any unsegregated /mixed waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed wet waste or construction and demolition waste deposited by on the local body or the third party/ concessionaire authorized by it.

(6) The sanitary/operational landfill user fee levied for unsegregated waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed biodegradable waste or construction and demolition waste shall be higher than the collection, transportation and waste processing costs. The user fee so collected shall be deposited in a separate account operated by the local body and shall be used towards processing of unsegregated waste or recyclable or energy recoverable waste or unprocessed biodegradable waste at the sanitary/operational landfill and further development solid waste management infrastructure of the local body.

(7) Agencies identified for operating the sanitary/operational landfill shall charge fees for inerts and other allowed wastes dumped at sanitary/ operational landfill by local body and/or third party/ concessionaire authorized by it, in accordance with guidelines of CPCB and recommendations of SPCB in this regard. Such sanitary/operational landfill user fees to be levied shall be determined by the UDD/concerned department of State / UT Government, based upon guidelines of CPCB.

(8) The concerned State Pollution Control Board shall undertake audit on the operation of sanitary/operational landfill for environmentally sound disposal of non-recyclable and non-energy recoverable dry waste and inerts as per guidelines prescribed by CPCB. The audit report for a particular financial year shall be uploaded on the centralized online portal by 31 December of the next financial year.

(9) Operator of sanitary/operational landfill shall register under these rules and shall file annual returns in prescribed proforma regarding quantum of waste deposited on centralized online portal by 30th June every year.

(10) Sanitary/ operational landfill shall be operated in an environmentally sound manner as per the guidelines prescribed by CPCB.

(11) The operator of the sanitary/operational landfill shall submit quarterly report on details of operation of sanitary/ operational landfill to the District Magistrate .

(12) The concerned District Magistrate shall ensure that the sanitary/operational landfill is operated as per provisions of these rules.

2. Environmentally sound management of existing dumpsites including solid waste dumped on land under the jurisdiction of entities . – (1) All existing dumpsites/garbage vulnerable points to be geographically mapped and assessed for accumulation of solid waste by 31 March 2026 in urban areas and by 31 October 2026 in rural areas. This shall be done by the local body in their jurisdiction. This information shall be made available on the centralized online portal as well as the website of the local body.

(2) All legacy waste dumpsites to be biomined and bioremediated, as practicable and update the progress of the same on centralised online portal as well as on the website of the local body every quarter by 30th of the first month of next quarter.

(3) The concerned local body shall mandate compulsory disclosure by project executing agency of the proposed destination / processes to be used for different fractions of biomined solid waste from legacy waste dumpsites such as fine soil, RDF and C&D waste. Any fine soil to be sent for use in agricultural fields will be tested for environmental safety as per standard prescribed by CPCB. RDF to be channelized for energy recovery, C&D waste to be sent for processing as per the standards prescribed by CPCB.

(4) The concerned local body shall ensure, through a third party authorized by SPCB, that biomining or bioremediation of legacy waste is done in an environmentally sound manner and shall file quarterly returns by 30th of subsequent month on centralised online portal as well as on the website of the local body.

(5) The concerned SPCB shall enforce prescribed environmental norms for biomining or bioremediation or closure as prescribed by CPCB.

(6) The concerned State Pollution Control Board shall undertake annual audit on the progress made in bio-mining and bio-remediation of existing dumpsites or closing of dumpsite, as applicable. The audit report for a particular financial year shall be uploaded on the centralized online portal as well as on the website of the local body by 31 December of the next financial year.

(7) The concerned State Government or land owning agency may consider using the vacant land of dumpsite after clearing waste/ legacy waste, for establishment of solid waste management infrastructure, subject to applicable regulations.

3. Environmental sound management of solid waste in Treatment, Storage, Disposal Facility (TSDF).- (1) Operator of each TSDF;

(a) shall register on the centralized online portal ;

(b) shall ensure a manifest system which will document the solid waste arriving at the facility, nature of solid waste, source and final destination of the solid waste;

(c) shall ensure that records of solid waste generated, transported, treated and disposed for at least 5/10 years;

(d) shall ensure that solid waste is received through registered transporters. The vehicle used for transportation must meet the necessary safety standards, including proper containment systems to prevent leaks or accidents, as per guidelines of CPCB;

(e) shall follow all applicable guidelines for the storage, treatment, and disposal of solid waste;

(f) shall ensure that personnel handling waste should be trained safe on safe handling practices, emergency procedures, and the use of personal protective equipment (PPE);

(g) shall regularly monitor emissions, leachates, and other potential contaminants from waste treatment and disposal processes as per guidelines prescribed by CPCB;

(h) shall ensure that solid waste that cannot be treated or recycled should be disposed of at a TSDF following the regulatory guidelines of CPCB for landfill or incineration;

(i) must implement a post-closure care plan, including monitoring, maintenance, and remediation of the site, for a defined period after closure;

(j) shall submit annual returns on waste received, stored, treated and disposed including waste quantity, types, and treatment/disposal methods, to CPCB.

Chapter IV

Environmentally sound management of a horticultural waste and agri-residue

1. Role of local body in environmentally sound management of horticultural waste and agri-residue.-

(1) The local body shall facilitate in the establishment of collection and storage agri-residue in its jurisdiction for its utilization.

(2) The local body shall file annual returns by 30th June of every year regarding the agri-residue generated, agri-residue utilized in-situ, agri-residue transported for ex-situ utilization within its jurisdiction on the centralized online portal. Such information shall also be made available in the public domain on the website of local body.

(3) The local body shall compile annual returns on the units established within its jurisdiction for ex-situ utilization of agri-residue including the details about capacity of units/ established and its operation. The same shall be reported annually by 30th June of every year on the centralized online portal. Such information shall also be made available in the public domain on the website of local body.

(4) The local body shall establish composting pits in large parks within its jurisdiction for in-situ management of horticulture waste. The local body or the third party involved in the collection and transportation of horticulture waste shall transport it to composting pits in the large parks or to waste processing facilities involved in making compost, biomethanation/ biogas.

(5) The local body or the concessionaire shall file annual returns by 30th June of every year on the centralized portal in regard to the horticulture waste collected and transported to waste processing facilities. Such information shall also be made available in the public domain on the website of local body.

(6) SPCB shall file annual return on the centralized online portal regarding all the industrial units that use solid fuels along with the details regarding use of agri-residue/ RDF based fuel by them.

(7) The local body shall ensure there are no instances of burning of agriculture & horticulture waste and levy heavy penalty on persons involved in open burning of agriculture & horticulture waste.

Chapter V

Industrial Solid Waste

1. Duties of generator of Industrial Solid Waste.- (1) Industries/ industrial area generating solid waste other than industrial waste as per the following criterion (i) buildings with floor area of 20, 000 sq.m. or above (ii) water consumption of 5000 litres per day or (iii) solid waste generation of 100 kg per day;

(a) shall have to register on the centralized online portal. The certificate of registration shall specify conditions required to be fulfilled for registration to remain valid. Any change in the information provided during registration and the conditions specified in the registration shall be notified to the local body;

(b) shall set up and operate decentralized wet waste including horticulture waste processing facilities of adequate capacity to ensure processing of complete wet waste generated by them. In case they are not able to set up and operate decentralized wet waste processing, they shall procure Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) Certificates from local body concerned for processing of wet waste equivalent to complete wet waste generated by them;

(c) shall provide and keep record of information about the types, quantity, storage, collection, transportation and processing of solid waste generated in industrial areas ;

(d) shall provide by 30th June of every year, quantitative data on the centralized online portal in respect of:

(i) Operation of decentralized wet waste facility including details of wet waste as well as horticulture waste generated, processed, usage/ sale of organic manure/ biogas/ other products generated from processing, and other relevant details. In case where the industry, is not able to set up on site decentralized wet waste treatment facility, it shall obtain exemption for corresponding quantity from the local body or concerned authority, and shall provide details of wet waste as well as horticulture waste generated and given to local body or third party/ concessionaire authorized by the local body;

(ii) Waste generated and given to local body or third party authorized by the local body; and hazardous waste and non-hazardous industrial waste generated and given to third party authorized by SPCB.

(d) encouraged to provide information by 30th June every year on the centralized online portal in respect of quantity of wet waste, dry waste, sanitary waste, special care waste, horticulture waste generated by them. The information may be made available in public domain on the website of local body on a yearly basis;

(e) shall procure Extended Bulk Waste Generator Responsibility (EBWGR) certificate from local body or third party authorized by the local body against the quantity of solid waste handed over to them, in accordance with the manual on solid waste management prepared by CPHEEO, Ministry of Housing and Urban Affairs/ DDWS and guidelines laid down by CPCB in this regard;

(f) In case decentralized treatment/ processing of all of the solid waste generated in industrial area is undertaken given which there is no requirement of handing over the waste to the local body or the third party authorized by the local body; in such cases the industrial area shall not have EBWGR obligations;

(g) shall file annual returns to SPCB in respect of EBWGR obligation on the centralized online portal. The details of the local body or registered third party authorized by the local body from whom the Extended User Responsibility certificates have been procured shall be provided;

(h) shall comply with the guidelines for prevention and control of solid waste generated in industrial area issued by CPCB, and may adopt advanced processing techniques/ equipment for prevention and control of environmental pollution by solid waste generated in industrial area;

(i) shall ensure that the facilities and grounds for storage or treatment/ processing of solid waste generated in industrial area shall be built in conformity with the national standards for environmental protection;

Chapter VI

Implementation Framework

1. Centralised Online Portal. – (1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration as well as for filing annual returns of all obligated entities under these rules within six months of commencement of these rules. The system shall also ensure registration as well as for filing annual returns by local bodies and concerned entities for solid waste management within six months of commencement of these rules.

(2) The dashboard of centralized online portal shall provide details of solid waste management including solid waste generated, collected, processed and landfilled at national, state and district level including data for urban local bodies

and rural local bodies. Such data shall be made available in public domain.

(3) The portal shall provide details of sanitary/ operational landfills and legacy waste dumping sites, as applicable. Such data shall be made available in public domain.

(4) The State Pollution Control Board and local bodies/ authorities shall use centralized online portal for registration of obligated entities. The portal shall have separate modules for obligated entities for specific solid waste management activities.

(5) The Centralized online portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of these rules.

(6) Centralized online portal shall reflect the details of the solid waste received, sorted and sent to processors and to SLFs/ operational landfills.

(7) Centralized online portal shall also reflect the details regarding the audit of the producers and entities involved in collection, treatment/ processing/ recycling .

(8) The CPCB may charge fees from obligated entities for the use of the portal as per the guidelines prepared by CPCB.

(9) Ministry of Housing and Urban Affairs, Department of Drinking Water and Sanitation and Department for Promotion of Industry and Internal Trade may assist CPCB in the development of centralized online portal

2. Imposition of Environmental Compensation:- (1)The Environmental Compensation shall also be levied based upon polluter pays principle on persons who are not complying with the provisions of these rules, including the following activities:-

- (a) Entities carrying out activities without registration as mandated under these rules;
- (b) Providing false information /wilful concealment of material facts by the entities registered under these rules;
- (c) Submission of forged/manipulated documents by the entities registered under these rules;
- (d) Entities engaged in collection, treatment and reuse in respect to not following sound handling of solid waste/ processed waste.

(2) Implementation Committee constituted by Central Pollution Control Board under rule shall prepare guidelines for imposition and collection of environment compensation from entities involved in collection, sorting, transportation and treatment/ processing of solid waste in case of violation or non compliance under these rules.

(3) The environment compensation shall be levied by SPCB/District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner/Sub-Divisional Officer/ Sub Divisional Magistrate on entities such as bulk waste generators, producers, importers, brand owners operating for non-compliance of their responsibilities and obligations set out under these rules, as per guidelines of CPCB.

(4) The environment compensation shall be levied by respective State Pollution Control Board on entities involved in collection, sorting, transportation and treatment/ processing of solid waste with respect to non-fulfillment of their responsibilities and obligations set out under these rules. In case, the State Pollution Control Board does not take action in reasonable time, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board.

(5) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate account by State Pollution Control Board. The funds collected shall be utilized in collection, segregation, transportation and treatment/ processing of solid waste against which the environmental compensation is levied. Modalities for utilization of the funds for solid waste management would be recommended by the Implementation Committee and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(6) (a) In case any person, provides incorrect information required under the rules for obtaining extended generator/ producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended generator/ producer responsibility certificates in any manner, willfully violates the directions given under these rules or fails to cooperate in the verification and audit proceedings; action under Sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15Eand 15F of the Environment (Protection) Act, 1986 may be taken.

(b) In case, obligated entity does not fulfil their extended generator/ producer responsibility obligation even three years after the year of obligation, action under Sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15Eand 15F of the Environment (Protection) Act, 1986 may be taken

(c) Action under Sections 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15Eand 15F of the Environment (Protection) Act, 1986 may also be taken for violation of any other provisions of these rules.

(d) This action shall be in addition to the environmental compensation levied under these rules. Besides,

action under relevant provisions of any other applicable law, shall also be taken.

3. Committee for Effective Implementation at Central level:— (1) A committee shall be constituted by the Central Pollution Control Board under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules and also take such measures as required for removal of difficulties.

(3) The committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the development and operation of the online centralised portal.

(4) The committee shall comprise of representatives from concerned Central Ministries/Departments, all SPCBs, expert institutions such as National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as associations representing obligated entities, treatment facility providers and any other stakeholders as invited by the chair of the committee.

4. Committee for Effective Implementation at State level:— (1) A committee shall be constituted by the State Pollution Control Board under chairpersonship of Chairman, State Pollution Control Board to recommend measures to CPCB for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules and also take such measures as required for removal of difficulties at the state level.

(3) The committee shall comprise of representatives from concerned State Departments, all SPCBs, expert institutions such as National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as obligated entities, treatment facility providers and any other stakeholders as invited by the chair of the committee.

5. Annual report.—

(1) Every registered bulk waste generator (Form __), operator of waste treatment facility (quarterly report as per Form __) shall prepare and submit online an annual report to the local body concerned and the State Pollution Control Board concerned by the 30th June of every year.

(2) Every urban local body and Panchayat/ PRI at District Level shall prepare and submit an annual report through the centralized online portal to the Urban Development Department and to Rural Development Department, respectively, and also to the State Pollution Control Board concerned by the 30th June every year.

(3) The State Pollution Control Board concerned shall cause the report submitted by the urban local body and District level PRI to be audited by itself or through a designated agency and copy of the report of such audit and the annual report shall be made available on website of State Pollution Control Board concerned.

(4) The State Pollution Control Board shall prepare and submit online an annual report through the centralized online portal to the Central Pollution Control Board on the implementation of these rules and action taken against non-complying local body by the 31st day of July of each year in Form V.

(5) The Central Pollution Control Board shall prepare a consolidated annual report on the implementation of these rules and submit to the Central Government (MoEFCC, MoHUA and DDWS) along with its recommendations on or before the 31st August of every year. The annual report shall be reviewed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change during the meeting of Central Monitoring Committee.

6. Accident reporting. — (1) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the Officer- in- charge of the facility shall report to the local body in Form VI and the local body shall review and issue instructions if any, to the in- charge of the facility.

Chapter VII

Roles and Responsibilities

1. Duties of Ministry of Environment, Forest and Climate Change.- (1) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be responsible for overall monitoring of the implementation of these rules in the country. It shall constitute a Central Monitoring Committee under the Chairpersonship of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change comprising officer not below the rank of Joint Secretary from the following namely,-

- (a) Ministry of Housing and Urban Affairs
- (b) Department of Drinking Water and Sanitation
- (c) Department of Rural Development
- (d) Ministry of Panchayati Raj
- (e) Department of Fertilizers

- (f) Department of Agriculture and Farmers Welfare
- (g) Department of Agricultural Research and Education
- (h) Central Pollution Control Board
- (i) Three State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees by rotation
- (j) Urban Development Department of three State Governments by rotation
- (k) Rural Development Departments from two State Governments by rotation
- (l) Department dealing with local self-government in urban areas of three State Governments by rotation
- (m) Department dealing with local self-government in rural areas of three State Governments by rotation
- (n) Three Urban Local bodies by rotation
- (o) Three district level panchayat raj institutions by rotation
- (p) Two industry associations
- (q) Two subject experts

(2) This Central Monitoring Committee shall meet at least once a year to monitor and review the implementation of these rules. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change may co-opt other members, if needed. The Committee shall be reconstituted every three years.

2. Duties of Ministry of Housing and Urban Affairs.- (1) The Ministry of Housing and Urban Affairs shall coordinate with State Governments and Union Territory Administrations to,-

- (i) take periodic review of the measures taken by the states/UTs and local bodies for improving solid waste management as well as implementation of solid waste management projects funded by the Ministry and external agencies at least once in a year and give advice on taking corrective measures;
- (ii) facilitate preparation of action plans, through State / UT Urban Development Department or Department dealing with local self government in urban areas, by all the local bodies in urban areas to comply with the provisions under these rules for urban areas;
- (iii) facilitate filing of annual reports, through State / UT Urban Development Department or Department dealing with local self government in urban areas, by all local bodies regarding compliance of the provisions under these rules by 30th June of the next financial year;
- (iv) Develop guidelines for solid waste management in urban areas including projection of waste generation in all urban areas, assessment of waste management infrastructure in all urban areas, policy on waste to energy in consultation with stakeholders by 30 June 2025, and shall undertake this exercise every 5 years;
- (v) shall upload the guidelines on the centralised online portal by 30 June 2025 and upload the revised/updated guidelines thereafter;
- (vi) facilitate States and Union Territories in formulation of state policy and strategy on solid management in urban areas including projection of waste generation in all urban areas, assessment of waste management infrastructure in all urban areas, policy on waste to energy in consultation with stakeholders taking into account guidelines on solid waste management by 31 March 2026, and shall undertake this exercise every 5 years;
- (vii) promote research and development in solid waste management sector and disseminate information to States and local bodies;
- (viii) assist and facilitate training and capacity building of local bodies and other stakeholders by respective states/UTs;
- (ix) provide and/or facilitate access to technical guidelines and project finance to states, Union Territories and/or local bodies for solid waste management to facilitate compliance of provisions under these rules including meeting of timelines and standards;
- (x) Assist States/ UTs in facilitating integration of informal sector of waste processors including waste pickers by local bodies ;
- (xi) Develop overall implementation guidelines i.e. Manual on Solid Waste Management and other required Advisories including model bid documents and concession document/ RFP.

- (xii) Facilitate provision of coverage of adequate coverage with WtE plants to be provided across the country for environmentally sound management of solid waste which is non biodegradable or non recyclable by 31st March 2028.
- (xiii) develop effective strategy for awareness generation on use of by-products out of solid waste;
- (xiv) conduct suitable capacity building and training of personnel engaged in solid waste management at State/ Panchayati Raj Institution level;
- (xv) disseminate national and international successful models to urban local bodies;
- (xvi) development of guidance/best practices for waste management, particularly on segregation, to be used as reference by local bodies.
- (xvii) Material Recovery Facilities (MRFs) to be set up covering all million plus cities by 31 March 2025, in cities with population of 5-10 lakh by 31 March, 2026, in cities with population of 1-5 lakh by 31 March 2027 and in case of all urban areas by 31 March 2028 by local bodies. Financial assistance to setup waste processing plants (like WtE, CBG and MRF etc.) across the country for environmentally sound management of solid waste to be provided by MoHUA through available programs like Swachh Bharat Mission
- (xviii) Facilitate the inclusion of the provisions of these rules in bye-laws of urban local bodies.
- (xix) Prepare guidelines for user fees including the Extended Bulk Waste Generator Responsibility Certificate charge to be paid by bulk waste generator in consultation with Central Pollution Board taking into consideration establishment, operation and maintenance of solid waste management infrastructure and associated activities for solid waste management.
- (xx) review technologies including new technologies related to treatment of solid waste for techno-economic viability.
- (xxi) issue guidelines about technologies and standards with regard to recycling/recovery/treatment/processing of solid waste,
- (xxii) prepare/update guidelines from time to time for composting for different sizes of facilities in residential and gated communities
- (xxiii) drive circular economy initiatives across all solid waste components and value chain through effective implementation of this rules.

3. Duties of Department of Drinking Water and Sanitation.- (1) Department of Drinking Water and Sanitation shall; -

- i. take periodic review of the measures taken by the states/UTs and local bodies for improving solid waste management as well as implementation of solid waste management projects funded by the Ministry and external agencies at least once in a year and give advice on taking corrective measures;
- ii. facilitate States and Union Territories in formulation of state policy and strategy on solid waste management in rural areas taking into account the provisions under these rules including rural perspective and urban-rural linkages to achieve scale of economy;
- iii. ensure that States and Union Territories prepare and upload state policy and strategy on solid waste management in rural areas based on provisions under these rules by 31 March 2025;
- iv. promote research and development in solid waste management in rural areas and disseminate information to States and local bodies;
- v. undertake training and capacity building of rural local bodies and other stakeholders;
- vi. provide technical guidelines and project finance to states, Union Territories and rural local bodies on solid waste management to facilitate meeting timelines and standards;
- vii. develop effective strategy for awareness generation on use of by-products out of solid waste;
- viii. conduct suitable capacity building and training of personnel engaged in solid waste management at State/ Panchayati Raj Institution level;
- ix. disseminate national and international successful models to Panchayati Raj Institutions/Gram Panchayats.
- x. Material Recovery Facilities (MRFs) to be set up covering all rural areas by 31st March 2028.
- xi. Prepare guidelines for user fees including the Extended Bulk Waste Generator Responsibility Certificate charge to be paid by bulk waste generator in consultation with Central Pollution Board taking into

consideration establishment, operation and maintenance of solid waste management infrastructure and associated activities for solid waste management.

4. Duties of Department of Fertiliser, Ministry of Chemicals and Fertilisers.- (1) The Department of Fertiliser through appropriate mechanisms shall , -

- i. incentivize by-products;
- ii. ensure promotion of co-marketing of compost with chemical fertilisers in the ratio of 3 to 4 bags: 6 to 7 bags by the fertiliser companies to the extent compost is made available for marketing to the companies.
- iii. promote home composting through incentives;
- iv. ensure reporting of offtake of organic manure by fertilizer companies by 30th June 2024 on the centralized online portal.
- v. develop guidelines for grading of organic manure for differential pricing.

(2) may link release of subsidy to the mandatory uptake of organic fertilizer by fertilizer companies;

(3) may link sale of organic manure with chemical fertilizers by the fertilizer companies to the extent organic manure/compost is available to the fertilizer companies;

(4) may extend market development assistance for organic manure and city compost. Information about any such assistance every year shall be uploaded on its website by 30 June of the next financial year including quantity of organic manure that got such assistance.

5. Duties of Department of Agriculture and Farmers Welfare.- (1) The Department of Agriculture and Farmers Welfare, through appropriate mechanisms shall,-

- (i) develop/update standards under FCO for the use of organic manure produced by composting or biogas/biomethanation facilities and upload on the centralised online portal by 31 March 2025;
- (ii) prepare guidelines for application of organic manure generated out of biodegradable waste i.e. the ratio of use of organic manure vis-a-vis chemical fertilizers on agricultural land and upload on the centralised online portal by 31 March 2025;
- (iii) develop/update guidelines for quality checks of organic manure produced by composting or biogas/biomethanation facilities and upload on the centralised online portal by 31 March 2025;
- (iv) develop/update guidelines for preparation of organic manure from biodegradable waste and upload on the centralised online portal by 31 March 2025;
- (v) promote developing compost testing facilities;
- (vi) set up laboratories/ empanel third party by engagement with State Agriculture departments in all districts by 31 March 2025 to test quality of organic manure produced by local authorities or their authorised agencies or any entity.
- (vii) prepare guidelines for home composting, both urban and rural areas;

(2) Develop SOPs for all types of organic manure making units for meeting FCO standards.

(3) Develop guidelines for grading of organic manure of all types.

6. Duties of the Ministry of Power.- (1) The Ministry of Power through appropriate mechanisms shall,-

- (i) decide tariff or charges for the power generated from the waste to energy plants based on solid waste and regular revision thereafter;
- (ii) compulsory purchase power generated from such waste to energy plants by distribution company.

7. Duties of Ministry of New and Renewable Energy.- (1) The Ministry of New and Renewable Energy Sources, through appropriate mechanisms, shall,-

- (i) promote innovative ways of recycling/environmentally sound disposal of different kinds of solid waste;

8. Duties of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.- (1) Development of certification and operate skill development programmes including recognition of prior learning programmes and training manuals for manpower engaged in waste management sector such as operating MRFs and other waste processing facilities.

9. Duties of Ministry of Petroleum and Natural Gas.- (1) Ministry of Petroleum and Natural Gas shall,-

- (i) incentivize biogas plants; buy out biogas and prepare/publish annual reports on such measures;
- (ii) converge with stakeholder Ministries for promoting biomethanation and prepare/publish annual reports on

such measures.

(iii) ensure pipeline connectivity for CBG plants for off-take of CBG.

10. Duties of Department of Revenue Ministry of Finance.- (1) Ministry of Finance may,-

- (i) give duty incentives for import of machinery/equipment of waste processing plants;
- (ii) give tax incentives for waste processing plants;

11. Duties of Department for Promotion of Industry and Internal Trade.- (1) Department for Promotion of Industry and Internal Trade shall,-

- (i) provide single window clearance and publish annual reports on such measures;

12. Duties of Ministry of Education and Education Department in State and UT Governments. – (1) Ensure inclusion of solid waste management in school curriculum appropriately

13. Ministry of Panchayati Raj. – (1) Ensure the provisions of these rules are included bye-laws of rural local bodies.

14. Duties of Department of Urban Development and Department responsible for municipal administration / local self-government in urban areas in the States and Union Territories. - (1) Department of Urban Development or the Department responsible for municipal administration / local self-government in urban areas in the State or Union Territory shall,-

- (i) prepare a state policy and strategy on solid management for urban areas in convergence with State / UT Rural Development Department for rural areas in order to ensure implementation of these rules covering projection of waste generation in all urban areas, assessment of waste management infrastructure in all urban areas - requirement of collection and transportation solid waste, establishment of Material Recovery facilities, requirement of biomethanation plants for wet waste processing and waste to energy plants, establishment of collection centres for special care waste, establishment of incinerators and linkages with common biomedical waste processing facilities for sanitary waste management, establishment and operation and maintenance of sanitary/ operational landfills, use of IT enabled governance for effective monitoring and tracking, incentives for private developers for waste processing especially for biomethanation, establishment of compost testing facilities, levy of user fee and sanitary / operational landfill fee, integration of waste pickers, self-help groups and similar groups working in the field of solid waste management consistent with these rules taking into account national guidelines on solid waste management of the Ministry of Housing and Urban Affairs within one year of date of notification of these rules and upload it on the centralised online portal, and shall undertake this exercise every 5 year;
 - (ii) emphasize on waste reduction, reuse, recycling, recovery and optimum utilisation of various components of solid waste to ensure inerts and non biodegradable and non-recyclable, non-energy recoverable waste going to the landfill to minimise impact of solid waste on human health and environment;
 - (iii) integrate in state policies and strategies the informal sector of waste processors including waste pickers, waste collectors and recycling industry in reducing waste and provide broad guidelines in this regard
- (2) Department of Urban Development and Department responsible for municipal administration / local self-government in urban areas in the States and Union Territories shall,-
- (i) take measures for viability gap funding in case of collection, segregation, sorting, transportation, processing/treatment and disposal facilities;
 - (ii) plan activities for improving acceptability of organic manure— prepare and disseminate guidelines and framework for Information, Education and Communication (IEC) activities;
 - (iii) ensure that the fee collected shall be used in installation, operation and maintenance of infrastructure and activities related to solid waste management;
 - (iv) ensure the implementation/ upgradation of solid waste management and improve coverage of solid waste management infrastructure to meet the 100% segregation, collection, sorting, transportation treatment/processing and disposal capacity;
 - (v) set up a State Level Steering Committee on circular economy in solid waste processing/recycling & reuse;
 - (vi) provide incentives (such as tax benefits) for residential societies and other bulk waste generators for having in-situ biodegradable waste treatment facilities;
 - (vii) ensure that all local bodies onboard online centralised portal regarding all solid waste management infrastructure and activities including collection, sorting, transportation, processing and disposal by 31 March 2025 and get it annually updated by 30 June of the next financial year;

- (viii) give recognition awards acknowledging the best performing urban local body in the State/UT;
- (ix) shall engage with District Magistrates along with Municipal Commissioners/Chief Executive Officers of each ULB to organize one week campaign to review the status and operational conditions of solid waste management infrastructure facilities as well as activities in all the urban areas in fourth week of June each year;
- (x) encourage PPP mode models for solid waste management.
- (xi) ensure implementation of these rules by all local authorities;
- (xii) direct the town planning department of the State/UT to ensure that master plan of every city in the State or Union Territory provisions for setting up of solid waste processing and disposal facilities except for the cities who are members of common waste processing facility or regional sanitary / operational landfill for a group of cities; to upload all the master plans by 31 March 2026;
- (xiii) ensure identification and allocation of suitable land for setting up solid waste management infrastructure to local authorities in order to implement provision of these rules and incorporate them in the master plans (land use plan) of the State or as the case may be, cities through metropolitan and district planning committees or town and country planning department;
- (xiv) direct the town planning department of the State and local bodies to ensure that a separate space for segregation, storage, decentralised processing of solid waste is demarcated in the development plan for group housing or commercial, institutional or any other non-residential complex which are bulk waste generators exceeding 200 dwelling or having a plot area exceeding 5,000 square meters and ensure the uploading of such information on the centralised online portal;
- (xv) direct the new as well as existing developers of Special Economic Zone, Industrial Estate, Industrial Park to comply with all the provisions relating to bulk waste generators;
- (xvi) facilitate establishment of common regional sanitary / operational landfill for a group of cities and towns falling within a distance of 50 km (or more) from the regional facility on a cost sharing basis and ensure professional management of such sanitary / operational landfills and upload all information on the centralised online portal;
- (xvii) arrange for capacity building of local bodies in solid waste management including segregation, collection, sorting, transportation or processing of such waste;
- (xviii) notify buffer zone for the solid waste processing and disposal facilities of more than five tons per day in consultation with the State Pollution Control Board and upload the information on the centralised online portal in respect of all such facilities;
- (xix) ensure registration of waste pickers working with the local authority or authorized third party/ concessionaire agency including self help groups and upload information on the centralised online portal by 30th June every year;
- (xx) empower safai karmacharis to levy fines/penalty on unsegregated waste and to refuse collection;
- (xxi) focus on zero waste to landfill approach through the community participation including RWAs, market associations and concessionaire;
- (xxii) carry out regular circularity based assessments at State level with ranking system;
- (xxiii) create effective strategy for awareness creation on use of by-products out of wet waste processing to public.
- (xxiv) Get competitions organized for the recognition of best schools, hostipals, institutions in terms of solid waste management at the state as well as district level

The department in-charge of the allocation of land assignment shall be responsible for providing suitable land for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites by the State Government or Union territory Administration.

15. Duties of Department of Rural Development and Department responsible for local self-government in rural areas in the States and Union Territories.- (1) The Department of Rural Development and or the Department responsible for sanitation and solid waste management in rural areas in the State or Union Territory shall

- i. prepare a state policy and strategy on solid management in rural areas in convergence with the Urban Development Department or the Department dealing with municipal administration or local self government covering projection of waste generation, assessment of waste management infrastructure viz.

vehicles for collection and transportation, collection and segregation centres, compost pits and biogas units for wet waste, gap analysis, linkage with waste processing infrastructure in urban areas, integration of waste pickers, self-help groups and similar groups working in the field of solid waste management consistent with these rules taking into account guidelines on solid waste management issued by Department of Drinking Water and Sanitation by 31 March 2026 and upload it on the centralised online portal, and shall undertake this exercise every 5 years.

(2) Department of Rural Development be designated as nodal department and department dealing with panchayat raj institutions/local self-government in rural areas as co-nodal department for ensuring implementation of provisions under these rules in rural areas.

(3) Department of Rural Development and Department responsible for sanitation and solid waste management in rural areas in the States and Union Territories shall, -

- i. take measures for viability gap funding in case of collection and/or treatment facilities;
- ii. plan activities for improving acceptability of organic manure – prepare and disseminate guidelines and framework for Information, Education and Communication (IEC) activities;
- iii. ensure that the fee collected shall be used in installation, operation and maintenance of infrastructure related to solid waste management;
- iv. ensure the implementation/ upgradation of solid waste management and improve coverage of solid waste management infrastructure to meet the 100% segregation, collection, sorting, transportation treatment/processing and disposal capacity;
- v. set up a State Level Steering Committee on circular economy in solid waste processing/recycling & reuse;
- vi. provide incentives (such as tax benefits) for residential societies and other bulk waste generators for having in-situ wet waste /horticulture waste treatment facilities;
- vii. shall ensure that all local bodies onboard online centralised portal regarding all solid waste management infrastructure including collection, sorting, transportation, processing and disposal by 31 March 2026 and get it annually updated by 30 June of the next financial year;
- viii. give recognition awards acknowledging the best performing rural local body in the State/UT;
- ix. shall organise one-week campaign to review the status and operational conditions of solid waste management infrastructure facilities as well as activities in all the rural areas in fourth week of June each year;
- x. create PPP mode models for solid waste management infrastructure;
- xi. set the way forward for biogas economy by drawing up a policy and strategy for implementation;
- xii. provide incentives to private developers to invest in the biogas/biomethanation and composting economy;
- xiii. empower safai karamcharis to levy fines/penalty on unsegregated waste and to refuse collection;
- xiv. impose fines/taxes on indiscriminate dumping of waste;
- xv. develop district level waste processing parks, under the District Collector for enabling LBs to meet statutory requirements;
- xvi. monitor dry waste processing and rejects at the local body level to reduce landfilling;
- xvii. mandate and enforce segregation, integration of informal sector and capacity building initiatives through inclusion in contracts;
- xviii. impose penalties in case of non-compliance;
- xix. set up material recovery facilities, connected to waste processing facilities;
- xx. engage with District level PRI for developing dashboards for digitally capturing waste collection and management records.

(4) Suitable State department may be designated as Nodal department to coordinate with other departments through a high-level committee for required infrastructural and policy needs.

(5) The specific measures for preventing and controlling environmental pollution by rural household waste shall be formulated in local regulations.

16. Duties of District Magistrate or District Collector or Deputy Commissioner.- (1) The District Magistrate or District Collector or as the case may be, the Deputy Commissioner shall, -

- (i) facilitate identification and allocation of suitable land for setting up solid waste processing and disposal

facilities to local authorities in his district in close coordination with State Urban Development Department/State Rural development Department in line with Schedule X and upload on centralised online portal by 30 June of the next financial year;

- (ii) review the performance of local bodies, at least once in a quarter on waste segregation, collection, sorting, processing, treatment and disposal and take corrective measures in consultation with Department of Urban Development and Department responsible for local self-government in urban areas as well as Department of Rural Development and Department responsible for solid waste management in rural areas and upload the minutes of review meeting on the portal of local body;
- (iii) include the prevention and control of environmental pollution by solid waste in their plans for economic and social development and adopt economic and technical policies and measures that facilitate the prevention and control of environmental pollution by solid waste.
- (iv) District Collector/Sub Divisional Magistrate may undertake inspection/ audit of solid waste processing/recycling facilities falling under their jurisdiction and impose environmental compensation as per the guidelines prescribed by CPCB for non-compliance of the provisions of these rules.

District Collector shall ensure that the sanitary/ operational landfill is operated as per provisions of these rules.

17. Duties of Central Pollution Control Board.- (1) The Central Pollution Control Board shall,-

- (i) co-ordinate with the State Pollution Control Boards and the Pollution Control Committees for implementation of these rules and adherence to the prescribed standards by all stakeholders;
- (ii) formulate the standards for ground water, ambient air, noise pollution, leachate in respect of all solid waste processing and disposal facilities;
- (iii) review environmental standards and norms prescribed for solid waste processing facilities or treatment technologies and update them as and when required;
- (iv) review through State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees, at least once in a year, the implementation of prescribed environmental standards for solid waste processing facilities or treatment technologies and compile the data monitored by them;
- (v) review the proposals received from State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees or stakeholders on use of any new technologies for processing, recycling and treatment of solid waste and prescribe performance standards, emission norms for the same within 6 months;
- (vi) monitor through State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees the implementation of these rules by local bodies;
- (vii) prepare an annual report on implementation of these rules on the basis of reports received from State Pollution Control Boards and Committees and submit to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the report shall also be put in public domain by 30 Sep every year;
- (viii) publish guidelines for maintaining buffer zone restricting any residential, commercial or any other construction activity from the outer boundary of the waste processing and disposal facilities for different sizes of facilities handling more than five tons per day of solid waste;
- (ix) publish guidelines, from time to time, on environmental aspects of processing and disposal of solid waste to enable local bodies as well as other entities to comply with the provisions of these rules; and
- (x) provide guidance to States or Union Territories on inter-state movement of waste.

(2) MoHUA/DDWS shall issue guideline for environmentally sound procedures of segregation, collection, sorting, transportation, processing and disposal of solid waste by 31st March 2025.

(3) Central Pollution Control Board shall compile and publish the data received every year from the State Pollution Control Boards on the centralized online portal by 30 Sep.

(4) Central Pollution Control Board shall develop mechanism for exchange of certificates on the centralized online portal as provided under these rules.

(5) Central Pollution Control Board shall constitute an implementation committee under the chairmanship of Chairman, CPCB for the effective implementation of these rules and make recommendations for making it robust. The committee shall meet at least once in six months to submit its report and recommendations to Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(6) Central Pollution Control Board shall validate technologies related to treatment of solid waste for environmental safeguard perspective.

- (7) Central Pollution Control Board shall issue guidelines about technologies and standards based on environmental norms with regard to recycling/recovery/treatment/processing of solid waste.
- (8) Central Pollution Control Board shall develop and upload on online centralised portal training materials and standard operating procedures from environmental safeguard perspective.
- (9) Central Pollution Control Board shall develop guidelines for regular monitoring framework and testing protocol for organic manure.
- (10) Central Pollution Control Board shall develop the reporting modules regarding the quantity of solid waste in water bodies as well as on lands to be reported by concerned stakeholders having the jurisdiction over such water bodies or lands.
- (11) The Central Pollution Control Board shall issue guidelines for authorisation of agencies for establishment of electronic platform for trade of certificates, mandated under these rules, between obligated entities, after approval of Central Government.
- (12) Central Pollution Control Board shall prepare forms and issue guidelines in respect of all such provisions which have been mentioned under these rules by 31 March 2025.
- (13) Central Pollution Control Board shall drive and monitor the circular economy initiatives across all waste components and value chain through effective implementation of all the provisions of various waste management rules.
- (14) Registration of all biomethanation/CBG/biogas plants shall be done on the GOBARDHAN portal and shall be linked with centralized online portal by 30 June of the next financial year, annual reporting.
- (15) Central Pollution Control Board through SPCB/PCC shall conduct third party audit of all the waste processing facilities by 31st December every year and upload the same on centralized online portal.

(16) Registration of all cement kilns and all industries shall be done on the centralized online portal by 30 June of the next financial year.

(17) Development of standard environmental norms for Waste to Energy plants and CBG plants to be developed by CPCB by 31st March 2025.

(19) Central Pollution Control Board may coordinate with DPIIT in the development of single window clearance.

18. Duties of urban local bodies .-

- (1) All local bodies are responsible for undertaking solid waste management as provided under these rules in order to protect and improve quality of environment in the area under their jurisdiction.
- (2) Urban local body shall prepare solid waste action plan in prescribed pro forma guided by state policy and strategy on solid waste management within one year from the date of notification of state policy and strategy inter alia covering the following elements:
 - (i) total waste generation in the area under jurisdiction with ward wise break up;
 - (ii) Five-year projection for waste generation;
 - (iii) ward-wise collection (including for special care waste) and transportation plan;
 - (iv) ward-wise mapping of solid waste management infrastructure;
 - (v) ward-wise mapping of market places, community service infrastructure such as bus stands, railway stations, places of religious significance ;
 - (vi) mapping of occupiers identified along with quantity of biomedical waste under Biomedical Waste Management Rules, 2016 obligated to hand over biomedical waste generated from their premises to registered BMWTFs.
 - (vii) plan for collection and transportation of waste from garbage vulnerable points and hot spots for littering;
 - (viii) mapping of solid waste ingress points in water bodies and plan for stopping ingress of solid waste in water bodies through placement of appropriate barriers;
 - (ix) schedule for cleaning surface water bodies and drains from floating solid waste;
 - (x) schedule for street sweeping and placement of waste bins as per prescribed norms;
 - (xi) mapping of vacant plots of land under public or private ownership vulnerable for open dumping of solid waste including railway land and land with public authorities;

- (xii) plan for environmentally sound management of sanitary waste including sanitary pads, diapers, through the use dedicated incinerators designed for the purpose or common biomedical waste treatment facilities as per guidelines prescribed by CPCB;
 - (xiii) plan for collection and environmentally sound management of Special care waste;
 - (xiv) requirement for solid waste management infrastructure including for collection, transportation, segregation, storage, as required including for Special care waste and sanitary waste, before processing and recycling (including both wet and dry waste) and environmentally sound disposal of waste in sanitary/ operational landfills.
- (3) All local bodies shall register with SPCB/PCC concerned on the centralized online portal and upload the city solid waste action plan on centralized online portal developed by CPCB.
- (4) All local bodies shall arrange for door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises, multi-storey buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., on their own or through designated third party agency as per time lines given in **schedule X**.
- (5) All local bodies shall frame bye-laws incorporating the provisions of these rules by 31st March 2026.
- (6) prescribe from time to time user fee as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorised agency;
- (7) All local bodies shall direct waste generators not to litter i.e throw or dispose of any waste such as paper, water bottles, liquor bottles, soft drink cans, tetra packs, fruit peel, wrappers, etc., or burn or bury waste on streets, open public spaces, drains, waste bodies and to segregate the waste at source as prescribed under these rules and hand over the segregated waste to third party/waste collectors authorised by the local body
- (8) It shall be the responsibility of the local bodies to develop and set up infrastructure for segregation, collection, storage, transportation, processing and disposal of the solid waste either on its own or by engaging agencies and ensure geo-tagging of solid waste management infrastructure as well as facilities.
- (9) All local bodies shall arrange for door to door collection of segregated solid waste from all households, commercial, institutional and other non-residential premises, multi-storey buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc., on their own or through designated third party agency to Plastic Waste Management Unit as per time lines given in **schedule X**.
- (10) All local bodies shall take measures for 100% coverage of solid waste management within their jurisdiction in a centralised or decentralised manner in an effective and efficient manner.
- (11) All local bodies shall undertake assessment of solid waste generated, including legacy solid waste, in a year by 30th June of next financial year and also develop projection of quantity of plastic waste to be generated in accordance with the guidelines issued by CPCB.
- (12) All local bodies shall assess the solid waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and report it on their websites by 30th June of next financial year.
- (13) All local bodies shall appoint the nodal officer for solid waste management within their jurisdiction. This information shall be uploaded on the centralised online portal by 30 April every year.
- (14) All local bodies shall ensure that waste from public places is collected based on the schedule prepared by the local body which shall be uploaded on the centralised online portal.
- (15) Management and maintenance of facilities, equipment and infrastructure for collection, storage, transportation and treatment of solid waste shall be reported on the centralized online portal in respect of all the urban local bodies by 31 March 2025 and file annual returns by 30 June of the following financial year on the centralised online portal.
- (16) Local bodies shall direct street sweepers not to burn tree leaves collected from street sweeping and store them separately and handover to the waste collectors or agency authorised by local body.
- (17) All local bodies shall ensure that the waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily is collected separately, or on alternate days or twice a week or as prescribed by the local body depending on the density of population, commercial activity and local situation.
- (18) All local bodies shall ensure that dry waste is transported to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility as per time line prescribed in Schedule X.
- (19) All local bodies shall ensure that the construction and demolition waste is transported as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

- (20) All local bodies shall phase out the use of chemical fertilizer and use compost in all parks, gardens maintained by the local body and wherever possible in other places under its jurisdiction as per time line prescribed in Schedule X.
- (21) All local bodies shall ensure that the waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market is collected on day to day basis, and shall promote setting up of decentralised compost plant or biomethanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions.
- (22) Local Bodies shall prepare inventory of all registered biomethanation plants and waste to energy plants, sanitary / operational landfills, solid waste processing facilities within their jurisdictions and upload on the centralised online portal by 31 March 2025, update annually by 31 March every year.
- (23) All local bodies shall set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains in cases where direct collection of such waste into transport vehicles is not convenient. Waste so collected shall be collected and disposed of at regular intervals as decided by the local body and upload the details on the centralised online portal by 30 June every year as per time line prescribed in Schedule X
- (24) All local bodies shall ensure that the horticulture, parks and garden waste is collected separately and composted in the parks and gardens, as far as possible or processed using prescribed technologies and upload and update on the centralised online portal by 30 June every year.
- (25) All local bodies shall ensure that segregated bio-degradable waste is transported to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such biodegradable waste processing facility; preference shall be given for onsite processing of such waste.
- (26) All local bodies shall involve communities in waste management and promotion of home composting, bio- gas generation, decentralised processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.
- (27) make adequate provision of funds for capital investments as well as operation and maintenance of solid waste management services in the annual budget ensuring that funds for discretionary functions of the local body have been allocated only after meeting the requirement of necessary funds for solid waste management and other obligatory functions of the local body as per these rules;
- (28) make an application in Form I for grant of authorisation for setting up waste processing, treatment or disposal facility, if the volume of waste is exceeding **ten** metric tones per day including sanitary / operational landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be;
- (29) submit application for renewal of authorisation at least sixty days before the expiry of the validity of authorisation;
- (30) prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th June of the succeeding year on the centralized online portal with copy endorsed to State Urban Development Department or rural development department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee inter alia covering
- (i) solid waste generated in a year, including legacy solid waste;
 - (ii) solid waste management infrastructure available for collection, segregation, processing;
 - (iii) projection of solid waste to be generated; and
 - (iv) status on framing and implementation on byelaws
 - (v) management of waste by bulk waste generators in a centralised or decentralised manner.
- (31) educate workers including contract workers and supervisors for door to door collection of segregated waste and transporting the unmixed waste during primary and secondary transportation to processing or disposal facility and file annual returns in this regard;
- (32) ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce and file annual returns in this regard;
- (33) ensure that provisions for setting up of centers for collection, segregation and storage of segregated wastes, are incorporated in building plan while granting approval of building plan of a group housing society or market complex and file annual returns in this regard;
- (34) frame bye-laws and prescribe criteria for levying of spot fine for persons who litters or fails to comply with the provisions of these rules and delegate powers to officers or local bodies to levy spot fines as per the bye laws framed and file annual returns in this regard;
- (35) create public awareness through information, education and communication campaign and educate the waste generators on the following, namely: -

- (a) not to litter;
- (b) minimise generation of waste;
- (c) reuse the waste to the extent possible;
- (d) practice segregation of waste into wet, dry (recyclable, non recyclable), sanitary waste and Special care wastes;
- (e) practice home composting, vermi-composting, bio-gas generation or community level composting;
- (f) wrap securely used sanitary waste as and when generated in the pouches provided by the brand owners or a suitable wrapping as prescribed by the local body;
- (g) storage of segregated waste at source in different bins;
- (h) handover segregated waste to waste pickers, waste collectors, recyclers or waste collection agencies; and
- (i) pay monthly user fee or charges to waste collectors or local bodies or any other person authorised by the local body for sustainability of solid waste management.

(36). Local bodies shall file annual returns about the inerts removed and its disposal in environmentally sound manner.

(37) Local bodies shall prohibit mixing of road sweeping dust with wet waste. The road sweeping dust collected and deposited at landfill shall be reported by the landfill operator on the centralized online portal.

(38) Urban local bodies of cities having population of more than ten lakhs shall establish central control rooms in order to undertake monitoring of solid waste management activities using digital and information technology for tracking of collection vehicles using geographical positioning system, mapping of solid waste management infrastructure, within eighteen months from date notification coming into effect.

(39) Urban Local bodies of cities having population of more than five lakhs shall establish central control rooms in order to undertake monitoring of solid waste management activities using digital and information technology for tracking of collection vehicles using geographical positioning system, mapping of solid waste management infrastructure, within thirty months from date notification coming into effect.

(40) Urban Local bodies shall establish a grievance redressal mechanism for solid waste management by 31 March 2025. All local bodies shall file annual returns by 30 June of the succeeding financial year on the centralised online portal regarding the status of grievances.

(41) Urban Local bodies to identify bulk waste generator through detailed survey within a period of one year from date of notification of these rules. The identified bulk waste generators are to be geo-tagged. Local bodies shall map all bulk waste generators, hotels, roadside eateries, commercial or institutional premises generating organic and bulk waste as per time lines prescribed in Schedule X.

(42) Urban Local bodies shall notify bulk user EBWGR certificate fees taking into consideration operation and maintenance of solid waste management that shall be levied on bulk waste generators ensuring long term sustainability and assured service delivery. Along with bulk waste generator fees, local bodies shall also notify suitable fine provisions in bye-laws.

(43) Urban local body or the agency authorized by local body shall for issue EBWGR certificate to bulk waste generator after validation of concerned SPCB/PCC as per scheme given below,-

- (i) issue a single EBWGR certificate to the bulk waste generator for total solid waste (wet waste, dry waste, sanitary waste, special care waste) calculated on a normative basis against payment of a fee by bulk waste generator,
- (ii) shall notify the fee for EBWGR certificate in the byelaws or appropriate regulation of the local body after approval of State / Union Territory Government, based upon the norms issued by CPCB,
- (iii) the EBWGR certificate issued to bulk waste generator may further specify the calculated break up of solid waste for such bulk waste generator and in case of wet waste, sanitary waste include details of registered waste processors to whom the waste has been handed over for processing, in case of dry waste, the details of registered recyclers to whom dry waste has been handed over shall be provided;
- (iv) shall on a periodic basis undertake audit of the actual waste generated by different types of bulk waste generators on an annual basis, the details of the actual waste generated as against norms fixed by CPCB shall be submitted to SPCB for collation, synthesis and submission of appropriate recommendation from the State/UT to CPCB

(44) Urban Local bodies shall divide the jurisdiction of wards into smaller units or join the wards to bigger unit for the purpose of solid waste collection that fall within the jurisdiction except for the collection from industrial units as

well as bulk solid waste generators.

(45) Urban Local bodies shall undertake and report the generation of solid waste in each ward in urban or rural area on online portal on annual basis based on average waste generation by different establishments.

(46) Urban Local bodies shall reflect the solid waste generation and collection on a monthly basis on a centralised online portal developed by CPCB as per time line prescribed in Schedule X.

(47) Urban Local bodies shall set up zone-wise centralized composting units, through community participation, segregated wet waste from individual community/units should be collected and disposed into these decentralized composting units as per time line prescribed in Schedule X.

(48) Urban Local bodies shall have adequate number of dustbins in and around premises such as bus stops, railway stations, metro stations and public areas

(49) Urban Local bodies shall establish MRFs based on quantum of waste generation either on its own or in PPP mode as per time line prescribed in Schedule X and upload and update on the centralised online portal by 30 June every year

(50) All such MRFs shall reflect the waste received, availability and transportation of segregated waste to recyclers / end of life disposal entities including incinerators, TSDF and sanitary/ operational landfill sites on the centralized online portal on monthly basis.

(51) Management and maintenance of facilities, equipment and infrastructure for collection, storage, transportation and treatment of solid waste shall be reported on the centralized online portal in respect of all the urban local bodies by 31 March 2025 and file annual returns by 30 June of the following financial year on the centralised online portal.

(52) Urban Local bodies shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology and adhering to the guidelines and standards issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs and Central Pollution Control Board from time to time. Preference shall be given to decentralised processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as-

(a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilization of biodegradable wastes;

(b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns or other furnaces;

(53) Urban Local bodies shall collect and transport dry waste, wet waste and Special care waste, sanitary waste from households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other nonresidential premises, multi-storey buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes and the like in compartmentalised and covered vehicle to the respective processing facility on its own or through third party.

(54) Urban Local bodies shall set up material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for storing of recyclables and to enable collection of sorted recyclables such as paper, plastic, metal, glass, textile from material recovery facilities to authorized recyclers as per time line prescribed in Schedule X.

(55) Urban Local bodies shall by itself or through third party shall provide for services for collection of solid waste particularly the special care wastes along with setting up of deposition centres in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of five square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving special care waste at such centres and give directions for waste generators to deposit special care wastes at these centres for their safe disposal as per time line prescribed in Schedule X

(56) Urban Local bodies shall set up one deposition centre for the area of twenty square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving Special care waste at such centres.

(57) Urban Local bodies shall ensure safe storage and transportation of the special care waste to the processing/disposal facility or as may be directed by the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee.

(58) Urban Local bodies shall establish, operate and maintain sanitary/ operational landfill and associated infrastructure as provided under these rules;

(59) Urban local bodies make an application in Form .. for grant of authorisation for setting up waste processing, treatment or disposal facility, if the volume of waste is exceeding **ten** metric tones per day including sanitary/ operational landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be;

(60) Urban local bodies submit application for renewal of authorisation at least sixty days before the expiry of the

validity of authorisation;

(61) Urban Local bodies shall allow only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non- reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary/ operational landfill and the sanitary/ operational landfill sites shall meet the specifications as given in Schedule-I, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

(62) Urban Local bodies shall prohibit mixing of road sweeping dust with wet waste. The road sweeping dust collected and deposited at landfill shall be reported by the landfill operator on the centralized online portal.

(63) Urban Local bodies shall ensure separate collection and processing of horticulture waste. The quantity horticulture waste collected daily and sent for processing shall be reported on the centralized online portal.

(64) The tipping fee paid shall be reported in the annual return filed by waste processing unit operator and landfill operator.

(65) Urban Local Bodies shall ensure that the bins at public location for storage of wet waste shall be painted green, those for storage of dry wastes shall be printed blue and those for storage of special care waste shall be printed black, sanitary waste red

(66) Urban Local bodies along with concerned departments of State/UT governments shall map RDF plants ULB-wise with production capacity and utilization / offtake by industries.

(67) Urban Local Bodies shall prepare wardwise database and upload on the centralized online portal of all personnel including in informal sector such as waste pickers/collectors involved in collection, segregation, sorting, transportation and processing/recycling/disposal activities of solid waste.

(68) Local bodies shall integrate waste pickers or informal waste collectors by establishing a system to recognize them or organizations representing them, promoting their participation in solid waste management including door-door collection of waste, reflecting it on the centralized portal as per timelines given in Schedule X.

19. Duties of local bodies in rural areas :-(1) The District Panchayat shall,-

(i) prepare solid waste action plan in prescribed pro forma guided by state policy and strategy on solid waste management within one year from the date of notification of state policy and strategy inter alia covering the following elements:

- (a) total waste generation in the area under jurisdiction with gram panchayat's ward wise break up;
- (b) Five-year projection for waste generation;
- (c) collection (including for special care waste) and transportation plan;
- (d) mapping of solid waste management infrastructure;
- (e) mapping of market places, community service infrastructure such as bus stands, railway stations, places of religious significance;
- (f) plan for collection and transportation of waste from garbage vulnerable points to plastic waste management unit and hot spots for littering;
- (g) mapping of solid waste ingress points in water bodies and plan for stopping ingress of solid waste in water bodies through placement of appropriate barriers;
- (h) schedule for cleaning surface water bodies and drains from floating solid waste;
- (i) schedule for street sweeping and placement of waste bins as per prescribed norms;
- (j) mapping of vacant plots of land under public or private ownership vulnerable for open dumping of solid waste including railway land and land with public authorities;
- (k) requirement for solid waste management infrastructure including for collection, transportation, segregation, storage, as required before processing and recycling (including both wet and dry waste) and environmentally sound disposal of waste.

(ii) register with SPCB/PCC concerned on the centralized online portal and upload the city solid waste action plan on centralized online portal developed by CPCB.

(iii) encouraged to establish systems to undertake monitoring of solid waste management activities using digital and information technology for tracking of collection vehicles using geographical positioning system, mapping of solid waste management infrastructure, within twelve months from date of notification coming into effect.

- (iv) file annual returns to SPCB on the centralized online portal regarding solid waste management infrastructure/facilities/units under its jurisdiction by 30th June every year.
- (v) assess the solid waste management infrastructure available for collection, segregation and processing and report on their websites by 30th June of next financial year.
- (vi) set up gram panchayat wise/zone wise centralized composting units, through community participation, segregated wet waste from individual community/units should be collected and disposed into these decentralized composting units as per time line prescribed in Schedule X.
- (vii) material recovery facilities or secondary storage facilities with sufficient space for storing of recyclables and to enable collection of sorted recyclables such as paper, plastic, metal, glass, textile from material recovery facilities to authorized recyclers as per time line prescribed in Schedule X. District Panchayats shall establish MRFs based on quantum of waste generation either on its own or in PPP mode as per time line prescribed in Schedule X and upload and update on the centralised online portal by 30 June every year
- (viii) All such MRFs shall reflect the waste received availability and transportation of segregated waste to recyclers / end of life disposal entities including incinerators /cement kilns on the centralized online portal on quarterly basis.
- (ix) Management and maintenance of facilities, equipment and infrastructure for collection, storage, transportation and treatment of solid waste shall be reported on the centralized online portal in respect of all district level PRIs and file annual returns by 30 June of the following financial year on the centralised online portal.
- (x) facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology and adhering to the guidelines and standards issued by the DDWS and Central Pollution Control Board from time to time. Preference shall be given to decentralised processing to minimize transportation cost and environmental impacts such as-
- (a) bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilization of biodegradable wastes;
 - (b) waste to energy processes including refused derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns or other furnaces;
- (xi) facilitate collection and transportation of solid waste from households including commercial, institutional and other nonresidential premises, buildings, in compartmentalised and covered vehicle to the respective processing facility.
- (xii) provide services for collection of solid waste particularly the special care wastes along with setting up of deposition centres in a city or town in a manner that one centre is set up for the area of five square kilometers or part thereof and notify the timings of receiving special care waste at such centres and give directions for waste generators to deposit special care wastes at these centres for their safe disposal as per time line prescribed in Schedule X
- (xiii) facilitate that dry waste is transported to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility/shed as per time line prescribed in Schedule X.
- (xiv) prepare and submit annual report in Form IV on or before the 30th April of the succeeding year on the centralized online portal with copy endorsed to State Rural Development Department and to the respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee inter alia covering
- (a) solid waste generated in a year, including legacy solid waste;
 - (b) solid waste management infrastructure available for collection, segregation, processing;
 - (c) projection of solid waste to be generated; and
 - (d) status on framing and implementation on byelaws
- (xv) submit annual report in Form-IV through the centralized online portal developed by CPCB to State Pollution Control Board or Pollution Control Committee before the 30th day of June every year
- (xvi) establish a grievance redressal mechanism for solid waste management by 31 March 2025. All local bodies shall file annual returns by 30 June of the succeeding financial year on the centralized online portal regarding the status of grievances.
- (xvii) shall engage with second tier panchayat for ensuring with regard solid waste management in villages
- (xviii) shall prepare wardwise database and upload on the centralized online portal of all personnel including in informal sector such as waste pickers/collectors involved in collection, segregation, sorting, transportation and processing/recycling/disposal activities of solid waste.

(xxi) shall integrate waste pickers or informal waste collectors by establishing a system to recognize them or organizations representing them, promoting their participation in solid waste management including door-door collection of waste, reflecting it on the centralized portal as per timelines given in Schedule X.

(2) The Gram Panchayat shall:-

- (i) ensure solid waste management at the village level as per the provisions of these rules,
- (ii) plan and implement solid waste management for village area under their jurisdiction after development Gram Panchayat level action plan for solid waste management,
- (iii) either on its own or by engaging agencies shall set up, operationalize and coordinate solid waste management in rural areas and for performing the associated functions, namely,-
 - (a) ensure segregation, collection, storage, transportation of solid waste and channelization of recyclable solid waste fraction to recyclers having valid registration, ensuring that no damage is caused to the environment during the process;
 - (b) establish, operate and maintain solid waste management infrastructure as required;
 - (c) create awareness among stakeholders about their responsibilities;
 - (d) ensuring that open dumping and burning of solid waste does not take place;
 - (e) engage with civil society groups working with waste pickers.

(iii) submit data to District Panchayat on solid waste management for filing of annual report under the rules.

20. Duties of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee. - (1) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall, -

- (i) enforce these rules in their State and review implementation of these rules at least twice a year in close coordination with concerned Department dealing with Municipal Administration or the local self government or Secretary-in-charge of State Urban Development Department as well as Department of Rural Development or the Department dealing with solid waste management in rural areas;
- (ii) monitor environmental standards and adherence to conditions as specified under the Schedule I and Schedule II for waste processing and disposal sites;
- (iii) examine the proposal for authorisation and registration of waste processing facilities after the receipt of the application for the same in Form I from the local body or any other agency authorised by the local body and make such inquiries as deemed fit,
- (iv) while examining the proposal for authorisation, the requirement of consents under respective enactments and views of other agencies like the State Urban Development Department, the Town and Country Planning Department, District Planning Committee or Metropolitan Area Planning Committee, as may be applicable, Airport or Airbase Authority, the Ground Water Board, Railways, power distribution companies, highway department and other relevant agencies shall be taken into consideration and they shall be given four weeks time to give their views, if any;
- (v) issue authorisation within a period of sixty days in Form II to the local body or an operator of a facility or any other agency authorised by local body stipulating compliance criteria and environmental standards as specified in Schedules I and II including other conditions, as may be necessary;
- (vi) synchronise the validity of said authorisation with the validity of the consents;
- (vii) suspend or cancel the authorization issued under clause (a) any time, if the local body or operator of the facility fails to operate the facility as per the conditions stipulated;

provided that no such authorization shall be suspended or cancelled without giving notice to the local body or operator, as the case may be; and

(viii) on receipt of application for renewal, renew the authorisation for next five years, after examining every application on merit and subject to the condition that the operator of the facility has fulfilled all the provisions of the rules, standards or conditions specified in the authorisation, consents or environment clearance.

(ix) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall, after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant and for reasons thereof to be recorded in writing, refuse to grant or renew an authorisation.

(x) In case of new technologies, where no standards have been prescribed by the Central Pollution Control Board, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall approach Central Pollution Control Board for getting standards specified.

- (xi) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be, shall monitor the compliance of the standards as prescribed or laid down and treatment technology as approved and the conditions stipulated in the authorisation and the standards specified in Schedules I and II under these rules as and when deemed appropriate but not less than once in a year.
- (xii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee may give directions to local bodies for safe handling and disposal of special care waste deposited by the waste generators at hazardous waste deposition facilities.
- (xiii) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall regulate Inter-State movement of waste as per guidelines issued by CPCB.
- (xiv) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee shall issue authorization and register waste processing/recycling and disposal facilities through centralized online portal and the district – wise, local authority-wise information will be made available on the centralised online portal by 30 June every year;
- (xv) The State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee may charge registration fee for processing of applications for registration as well as an annual fee for processing of returns filed under the rules as per guidelines issued by CPCB, a part of the fee charged will be shared with CPCB for operation and maintenance on centralized online portal ;
- (xvi) SPCB/PCC shall ensure compliance of these rules by registered entities.
- (xvii) SPCB/PCC or through a designated agency shall verify compliance by registered entities through inspection and periodic audit.
- (xviii) SPCB/PCC shall carry out audit of data, including using information from Goods and Services Tax Network portal, by itself or a designated agency, of the registered entity under these rules.
- (xix) The State Pollution Control Board shall compile and forward the quarterly reports submitted by entities involved in recycling of solid waste to Central Pollution Control Board and publish online.
- (xx) SPCB/PCC will ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of obligations under these rules.
- (xxi) SPCB/PCC shall monitor the all the solid waste processing and treatment facilities for their compliance of emissions and discharge norms and get the facilities audited once every year.
- (xxii) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned shall cause the report submitted by the urban local body and Panchayat at District level to be audited by itself or through a designated agency and copy of the report of such audit and the annual report shall be made available on website of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned.
- (2) SPCB/PCC may facilitate tie-up of local bodies with cement kilns or waste to energy plants for RDF use.
- (3) SPCB/PCC, as required, may by itself or through third party agency undertake physical verification and audit of waste processing entities and solid waste management activities undertaken by local authorities and obligated entities in rural and urban areas.
- (4) SPCB/PCC shall impose Environmental Compensation based upon polluter pays principle, on persons who are not complying with the provisions of these rules, as per guidelines notified by the Central Pollution Control Board including for indiscriminate dumping of solid waste by local authorities.
- (5) SPCB/PCC shall by itself or through a third party agency undertake audit of solid waste processing facilities authorized under the rules every year by 30 September.
- (6) SPCB/PCC shall publish the audit reports of solid waste processing facilities by 31 December every year on online centralised portal.
- (7) SPCB/PCC shall ensure that solid waste processing facilities are maintained by skilled/semi-skilled professionals, and also certified professionals.
- (8) SPCB/PCC shall ensure geo-tagging of solid waste infrastructure and processing facilities.
- (9) SPCB/PCC shall work out technical policies regarding the prevention and control of industrial solid waste, and take charge of disseminating advanced production techniques and equipment for prevention and control of environmental pollution by industrial solid waste.
- (10) SPCB/PCC shall take charge of research in, development of and promotion of the wide use of, the production techniques and equipment that will serve to reduce the quantity of industrial solid waste generated and its harmfulness, and publish the catalogs of the outdated production techniques and equipment that generate industrial solid waste which causes serious environmental pollution and that should be eliminated within a time limit.

- (11) SPCBs/PCCs shall ensure compliance by industries on the use of RDF.
- (12) State Pollution Control Board by itself or through third party ensure testing of organic manure produced solid waste management facility to ensure quality of organic manure.
- (13) State Pollution Control Board through State shall ensure the test reports to be uploaded on the online portal in respect of organic manure on monthly basis by the facility operators.
- (14) State Pollution Control Board shall prepare inventory of all registered biomethanation plants and waste to energy plants, sanitary/ operational landfills, solid waste processing facilities and upload on the centralised online portal by 31 March 2025, update annually by 31 March.

SCHEDULE X

S. No.	Population	Time line
	Urban areas	
1	Million plus cities	Six months from date rules coming into effect
2	5-10 lakh	Twelve months from date rules coming into effect
3	All urban areas	Eighteen months from date rules coming into effect
4		
	Rural areas	
1	With a population of 20000 and above	From 1 st October 2025.
2	10000-20000	From 1 st October 2027
3	Upto -10000	From 1 st October 2028

SCHEDULE I

[see Chapter III, Rule (1)(3)]

Specifications for Sanitary/ Operational Landfills

(A) Criteria for site selection.-

- (i) The department in the business allocation of land assignment shall provide suitable site for setting up of the solid waste processing and treatment facilities and notify such sites.
- (ii) The sanitary/ operational landfill site shall be planned, designed and developed with proper documentation of construction plan as well as a closure plan in a phased manner. In case a new landfill facility is being established adjoining an existing landfill site, the closure plan of existing landfill should form a part of the proposal of such new landfill.
- (iii) The landfill sites shall be selected to make use of nearby wastes processing facilities. Otherwise, wastes processing facility shall be planned as an integral part of the landfill site.
- (iv) Landfill sites shall be set up as per the guidelines of the Ministry of Urban Development, Government of India and Central Pollution Control Board.
- (v) The existing landfill sites which are in use for more than five years shall be improved in accordance with the specifications given in this Schedule.
- (vi) The landfill site shall be large enough to last for at least 20-25 years and shall develop 'landfill cells' in a phased manner to avoid water logging and misuse.
- (vii) The landfill site shall be 100 meter away from river, 200 meter from a pond, 200 meter from Highways, Habitations, Public Parks and water supply wells and 20 km away from Airports or Airbase. However in a special case, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 km away from the Airport/Airbase after obtaining no objection certificate from the civil aviation authority/ Air force as the case may be. The Landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, Critical habitat areas, sensitive eco-fragile areas.
- (viii) The sites for landfill and processing and disposal of solid waste shall be incorporated in the Town Planning Department's land-use plans.

- (ix) A buffer zone of no development shall be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five Tonnes per day of installed capacity. This will be maintained within the total area of the solid waste processing and disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case to case basis by the local body in consultation with concerned State Pollution Control Board.
- (x) The biomedical waste shall be disposed of in accordance with the Bio-medical Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time. The hazardous waste shall be managed in accordance with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time. The E-waste shall be managed in accordance with the e-Waste (Management) Rules, 2016 as amended from time to time.
- (xi) Temporary storage facility for solid waste shall be established in each landfill site to accommodate the waste in case of non-operation of waste processing and during emergency or natural calamities.

(B) Criteria for development of facilities at the sanitary/ operational landfills. -

- (i) Landfill site shall be fenced or hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicles, to prevent entry of unauthorized persons and stray animals.
- (ii) The approach and / internal roads shall be concreted or paved so as to avoid generation of dust particles due to vehicular movement and shall be so designed to ensure free movement of vehicles and other machinery.
- (iii) The landfill site shall have waste inspection facility to monitor waste brought in for landfilling, office facility for record keeping and shelter for keeping equipment and machinery including pollution monitoring equipment. The operator of the facility shall maintain record of waste received, processed and disposed.
- (iv) Provisions like weigh bridge to measure quantity of waste brought at landfill site, fire protection equipment and other facilities as may be required shall be provided.
- (v) Utilities such as drinking water and sanitary facilities (preferably washing/bathing facilities for workers) and lighting arrangements for easy landfill operations during night hours shall be provided.
- (vi) Safety provisions including health inspections of workers at landfill sites shall be carried out.
- (vii) Provisions for parking, cleaning, washing of transport vehicles carrying solid waste shall be provided. The wastewater so generated shall be treated to meet the prescribed standards.

(C) Criteria for specifications for landfilling operations and closure on completion of landfilling.-

- (i) Waste for land filling shall be compacted in thin layers using heavy compactors to achieve high density of the waste. In high rainfall areas where heavy compactors cannot be used, alternative measures shall be adopted.
- (ii) Till the time waste processing facilities for composting or recycling or energy recovery are set up, the waste shall be sent to the sanitary/ operational landfill. The landfill cell shall be covered at the end of each working day with minimum 10 cm of soil, inert debris or construction material.
- (iii) Prior to the commencement of monsoon season, an intermediate cover of 40-65 cm thickness of soil shall be placed on the landfill with proper compaction and grading to prevent infiltration during monsoon. Proper drainage shall be constructed to divert run-off away from the active cell of the landfill.
- (iv) After completion of landfill, a final cover shall be designed to minimise infiltration and erosion. The final cover shall meet the following specifications, namely:-
 - (a) The final cover shall have a barrier soil layer comprising of 60 cm of clay or amended soil with permeability coefficient less than 1×10^{-7} cm/sec.
 - (b) On top of the barrier soil layer, there shall be a drainage layer of 15 cm.
 - (c) On top of the drainage layer, there shall be a vegetative layer of 45 cm to support natural plant growth and to minimise erosion.

(D) Criteria for pollution prevention.- In order to prevent pollution from landfill operations, the following provisions shall be made, namely:-

- (i) The storm water drain shall be designed and constructed in such a way that the surface runoff water is diverted from the land fillings and leachates from solid waste locations do not get mixed with the surface runoff water. Provisions for diversion of storm water discharge drains shall be made to minimise leachate generation and prevent pollution of surface water and also for avoiding flooding and creation of marshy conditions.
- (ii) Non-permeable lining system at the base and walls of waste disposal area. For landfill receiving residues of waste processing facilities or mixed waste or waste having contamination of hazardous materials (such as aerosols, bleaches, polishes, batteries, waste oils, paint products and pesticides) shall have liner of composite barrier of 1.5 mm thick high density polyethylene (HDPE) geo-membrane or geo-synthetic liners, or equivalent, overlying 90 cm of soil (clay or amended soil) having permeability coefficient not greater than 1×10^{-7} cm/sec. The highest level of water table shall be at least two meter below the base of clay or amended soil barrier layer provided at the bottom of landfills.

- (iii) Provisions for management of leachates including its collection and treatment shall be made. The treated leachate shall be recycled or utilized as permitted, otherwise shall be released into the sewerage line, after meeting the standards specified in Schedule-II. In no case, leachate shall be released into open environment.
- (iv) Arrangement shall be made to prevent leachate runoff from landfill area entering any drain, stream, river, lake or pond. In case of mixing of runoff water with leachate or solid waste, the entire mixed water shall be treated by the concerned authority.

(E) Criteria for water quality monitoring.-

- (i) Before establishing any landfill site, baseline data of ground water quality in the area shall be collected and kept in record for future reference. The ground water quality within 50 meter of the periphery of landfill site shall be periodically monitored covering different seasons in a year that is, summer, monsoon and post-monsoon period to ensure that the groundwater is not contaminated.
- (ii) Usage of groundwater in and around landfill sites for any purpose (including drinking and irrigation) shall be considered only after ensuring its quality. The following specifications for drinking water quality shall apply for monitoring purpose, namely:-

S.No.	Parameters	IS10500:2012, Edition 2.2 (2003-09) Desirable limit (mg/l except for pH)
(1)	(2)	(3)
	Arsenic	0.01
	Cadmium	0.01
	Chromium (as Cr ⁶⁺)	0.05
	Copper	0.05
	Cyanide	0.05
	Lead	0.05
	Mercury	0.001
	Nickel	-
	Nitrate as NO ₃	45.0
	pH	6.5-8.5
	Iron	0.3
	Total hardness (as CaCO ₃)	300.0
	Chlorides	250
	Dissolved solids	500
	Phenolic compounds (as C ₆ H ₅ OH)	0.001
	Zinc	5.0
	Sulphate (as SO ₄)	200

(F) Criteria for ambient air quality monitoring.-

- (i) Landfill gas control system including gas collection system shall be installed at landfill site to minimize odour, prevent off-site migration of gases, to protect vegetation planted on the rehabilitated landfill surface. For enhancing landfill gas recovery, use of geo membranes in cover systems along with gas collection wells should be considered.
- (ii) The concentration of methane gas generated at landfill site shall not exceed 25 per cent of the lower explosive limit (LEL).
- (iii) The landfill gas from the collection facility at a landfill site shall be utilized for either direct thermal applications or power generation, as per viability. Otherwise, landfill gas shall be burnt (flared) and shall not be allowed to escape directly to the atmosphere or for illegal tapping. Passive venting shall be allowed in case if its utilisation or flaring is not possible.
- (iv) Ambient air quality at the landfill site and at the vicinity shall be regularly monitored. Ambient air quality shall meet the standards prescribed by the Central Pollution Control Board for Industrial area.

G. Criteria for plantation at landfill Site.- A vegetative cover shall be provided over the completed site in accordance with the following specifications, namely:-

- (a) Locally adopted non-edible perennial plants that are resistant to drought and extreme temperatures shall be planted;
- (b) The selection of plants should be of such variety that their roots do not penetrate more than 30 cms. This condition shall apply till the landfill is stabilized;
- (c) Selected plants shall have ability to thrive on low-nutrient soil with minimum nutrient addition;
- (d) Plantation to be made in sufficient density to minimise soil erosion.
- (e) Green belts shall be developed all around the boundary of the landfill in consultation with State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees.

H. Criteria for post-care of landfill site.- (1) The post-closure care of landfill site shall be conducted for at least fifteen years and long term monitoring or care plan shall consist of the following, namely:-

- (a) Maintaining the integrity and effectiveness of final cover, making repairs and preventing run-on and run-off from eroding or otherwise damaging the final cover;
- (b) Monitoring leachate collection system in accordance with the requirement;
- (c) Monitoring of ground water in and around landfill;
- (d) Maintaining and operating the landfill gas collection system to meet the standards.

(2) Use of closed landfill sites after fifteen years of post-closure monitoring can be considered for human settlement or otherwise only after ensuring that gaseous emission and leachate quality analysis complies with the specified standard and the soil stability is ensured.

I. Criteria for special provisions for hilly areas.- Cities and towns located on hills shall have location-specific methods evolved for final disposal of solid waste by the local body with the approval of the concerned State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee. The local body shall set up processing facilities for utilisation of biodegradable organic waste. The non-biodegradable recyclable materials shall be stored and sent for recycling periodically. The inert and non-biodegradable waste shall be used for building roads or filling-up of appropriate areas on hills. In case of constraints in finding adequate land in hilly areas, waste not suitable for road-laying or filling up shall be disposed of in regional landfills in plain areas.

J. Closure and Rehabilitation of Old Dumps- Solid waste dumps which have reached their full capacity or those which will not receive additional waste after setting up of new and properly designed landfills should be closed and rehabilitated by examining the following options:

- (i) Reduction of waste by biomining and waste processing followed by placement of residues in new landfills
- (ii) Any other method suitable for reducing environmental impact to acceptable level.

SCHEDULE II

[see Chapter II, Rule (3) (b)]

Standards of processing and treatment of solid waste

A. Standards for composting.- The waste processing facilities shall include composting as one of the technologies for processing of bio degradable waste. In order to prevent pollution from compost plant, the following shall be complied with namely:-

- (a) The incoming organic waste at site shall be stored properly prior to further processing. To the extent possible, the waste storage area should be covered. If, such storage is done in an open area, it shall be provided within permeable base with facility for collection of leachate and surface water run-off into lined drains leading to a leachate treatment and disposal facility;
- (b) Necessary precautions shall be taken to minimise nuisance of odour, flies, rodents, bird menace and fire hazard;
- (c) In case of breakdown or maintenance of plant, waste intake shall be stopped and arrangements be worked out for diversion of waste to the temporary processing site or temporary landfill sites which will be again reprocessed when plant is in order;
- (d) Pre-process and post-process rejects shall be removed from the processing facility on regular basis and shall not be allowed to pile at the site. Recyclables shall be routed through appropriate vendors. The non-recyclable high calorific fractions to be segregated and sent to waste to energy or for RDF production, co-processing in cement plants or to thermal powerplants. Only rejects from all processes shall be sent for sanitary/ operational landfill site(s).
- (e) The windrow area shall be provided with impermeable base. Such a base shall be made of concrete or compacted clay of 50cm thick having permeability coefficient less than 10^{-7} cm/sec. The base shall be provided with 1 to 2 percent slope and circled by lined drains for collection of leachate or surface run-off;
- (f) Ambient air quality monitoring shall be regularly carried out. Odour nuisance at down-wind direction on the boundary of processing plant shall also be checked regularly.
- (g) Leachate shall be re-circulated in compost plant for moisture maintenance.
- (h) The end product compost shall meet the standards prescribed under Fertilizer Control Order notified from time to time.
- (i) In order to ensure safe application of compost, the following specifications for compost quality shall be met, namely:-

Parameters	Organic Compost (FCO 2009)	Phosphate Rich Organic Manure (FCO 2013)
(1)	(2)	(3)
Arsenic (mg/Kg)	10.00	10.00
Cadmium (mg/Kg)	5.00	5.00
Chromium (mg/Kg)	50.00	50.00
Copper (mg/Kg)	300.00	300.00
Lead (mg/Kg)	100.00	100.00
Mercury (mg/Kg)	0.15	0.15
Nickel (mg/Kg)	50.00	50.00
Zinc (mg/Kg)	1000.00	1000.00
C/N ratio	<20	Less than 20:1
pH	6.5-7.5	(1:5 solution) maximum 6.7
Moisture, percent by weight, maximum	15.0-25.0	25.0
Bulk density (g/cm ³)	<1.0	Less than 1.6

Total Organic Carbon, per cent by weight, minimum	12.0	7.9
Total Nitrogen (as N), per cent by weight, minimum	0.8	0.4
Total Phosphate (as P ₂ O ₅) percent by weight, minimum	0.4	10.4
Total Potassium (as K ₂ O), percent by weight, minimum	0.4	-
Colour	Dark brownto black	-
Odour	Absence of foul Odor	-
Particle size	Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve	Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS sieve
Conductivity (as dsm-1), not more than	4.0	8.2

*Compost (final product) exceeding the above stated concentration limits shall not be used for food crops. However, it may be utilized for purposes other than growing food crops.

B. Standards for treated leachates. –The disposal of treated leachates shall meet the following standards, namely: -

S.No	Parameter	Standards (Mode of Disposal)		
		Inland surface water	Public sewers	Land disposal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Suspended solids, mg/l, max	100	600	200
2.	Dissolved solids (inorganic) mg/l, max.	2100	2100	2100
3	pH value	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0	5.5 to 9.0
4	Ammonical nitrogen (as N), mg/l, max.	50	50	-
5	Total Kjeldahl nitrogen (as N), mg/l, max.	100	-	-
6	Biochemical oxygen demand (3 days at 27°C) max. (mg/l)	30	350	100
7	Chemical oxygen demand, mg/l, max.	250	-	-
8	Arsenic (as As), mg/l, max	0.2	0.2	0.2
9	Mercury (as Hg), mg/l, max	0.01	0.01	-
10	Lead (as Pb), mg/l, max	0.1	1.0	-

11	Cadmium (asCd),mg/l,max	2.0	1.0	-
12	Total Chromium (asCr),mg/l,max.	2.0	2.0	-
13	Copper(asCu),mg/l,max.	3.0	3.0	-
14	Zinc(asZn),mg/l,max.	5.0	15	-
15	Nickel(asNi),mg/l,max	3.0	3.0	-
16	Cyanide(asCN),mg/l,max.	0.2	2.0	0.2
17	Chloride(asCl),mg/l,max.	1000	1000	600
18	Fluoride(asF),mg/l,max	2.0	1.5	-

Note:While discharging treated leachates into inland surface waters, quantity of leachates being discharged and the quantity of dilution water available in the receiving waterbody shall be given due consideration.

C. Standards for incineration: The Emission from incinerators/thermal technologies in SolidWastetreatment/disposal facility shall meet the following standards, namely:-

Parameter	Emission standard	
(1)	(2)	(3)
Particulates	50mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
HCl	50mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
SO₂	200mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
CO	100mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
	50mg/Nm ³	Standard refers to daily average value
Total Organic Carbon	20mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
HF	4mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
NO_x(NOandNO₂expressedasNO₂)	400mg/Nm ³	Standard refers to half hourly average value
Totaldioxins and furans	0.1ngTEQ/Nm ³	Standard refers to 6-8 hours sampling. Please refer guidelines for 17 concerned congeners for toxic equivalence values to arrive at total toxic equivalence.
Cd+Th+ their compounds	0.05mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours
Hg and its compounds	0.05mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours
Sb+As+ +Co+Cu+Mn+Ni+V+ compounds	Pb+Cr their 0.5mg/Nm ³	Standard refers to sampling time anywhere between 30 minutes and 8 hours.
Note.-All values corrected to 11% oxygen on a dry basis.		

FORM - I**[See Chapter VII, Rule 20(i)]****Application for obtaining authorization under solid waste management rules****For processing/recycling/treatment and disposal of solid waste**

To,

The Member Secretary,

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee,

Of _____

Sir,

I/We hereby apply for authorization under the Solid Waste Management Rules, 2016 for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

1.	Name of the local body/agency appointed by them/operator of facility	
2.	Correspondence address Telephone No. Fax No. ,E-mail:	
3.	Nodal Officer and designation (Officer authorized by the local body or agency responsible for operation of processing/treatment or disposal facility)	
4.	Authorization required for setting up and operation of facility (Please tick mark)	Waste processing recycling treatment disposal at landfill
5.	Attach copies of the documents Site Clearance (local body) Proof of Environmental Clearance Consent for establishment Agreement between municipal authority and operating agency Investment on the project and expected return	
6.	Processing/recycling/treatment of solid waste i. Total Quantity of waste to be processed per day Quantity of waste to be recycled Quantity of waste to be treated Quantity of waste to be disposed into landfill ii. Utilization Program for waste processed (Product Utilization) iii. Methodology for disposal (attach details) Quantity of leachate Treatment technology for leachate iv. Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution v. Measures to be taken for safety of workers working in the plant vi. Details on solid waste	

	processing/recycling/treatment/disposal facility (to be attached)	
7.	Disposal of solid waste Number of sites identified Quantity of waste to be disposed per day Details of methodology or criteria followed for site selection (attach) Details of existing site under operation Methodology and operational details of landfilling Measures taken to check environmental pollution	
8.	Any other information	

Date:

Signature:

Time:

Designation:

Form- II**[see Chapter VII, Rule 20(v)]****Format for issue of authorisation**

File No.: _____

Dated: _____

Authorisation No _____

To

Ref: Your application number _____ dt. _____

The _____ State Pollution Control Board/Pollution Control Committee after examining the proposal hereby authorises _____ having administrative office at _____ to set up and operate waste processing/recycling/ treatment/disposal facility at _____

The authorisation is hereby granted to operate the facility for processing, recycling, treatment and disposal of solid waste.

The authorisation is subject to the terms and conditions stated below and such conditions as may be otherwise specified in these rules and the standards laid down in Schedules I and II under these rules.

The _____ State Pollution Control Board/Pollution Control Committees of the UT may, at any time, revoke any of the conditions applicable under the authorisation and shall communicate the same in writing.

Any violation of the provision of the Solid Waste Management Rules, 2024 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board/Pollution Control Committee of the UT

(Signature and designation)

Date:

Place:

Form – III**[see Chapter II, Rule 3(c)]****Format of annual report to be submitted by the operator of facility to the local body**

1.	Name of the City/Town and State	
2.	Population	
3.	Area in sq. kilometers	
4.	Name & Address of the local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
5.	Name and address of operator of the facility	
6.	Name of officer in-charge of the facility Phone No: Fax No: E-mail:	
7.	Number of households in the city/town , Number of non-residential premises in the city Number of election/ administrative wards in the city/town	
8.	Quantity of Solid waste Estimated Quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones Quantity of solid waste collected per day (tpd) Per capita waste collected per day (/gm/day) Quantity of solid waste processed (tpd) Quantity of solid waste disposed at landfill (tpd)	
9.	Status of Solid Waste Management (SWM) service	
10.	Segregation and storage of waste at source Whether solid waste is stored at source in domestic/commercial/institutional bins Percentage of households practice storage of waste at source in domestic bins	

	Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial /institutional bins Percentage of households dispose of throw solid waste on the streets Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets Whether solid waste is stored at source in a segregated form If yes, Percentage of premises segregating the waste at source Door to Door Collection of solid waste	
11.	Whether door to door collection (D2D) of solid waste is being done in the city/town	
12.	if yes Number of wards covered in D2D collection of waste No. of households covered No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions/ offices etc covered Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through : Motorized vehicle Containerized tricycle/handcart Other device	
13.	If not, method of primary collection adopted Sweeping of streets Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned	
14.	Frequency of street sweepings and percentage of population covered Tools used Manual sweeping (%)	Frequency Daily/Alternate days/twice a week/occasionally % of population

	Mechanical sweeping (%) Whether long handle broom used by sanitation workers (yes/no) Whether each sanitation worker is given handcart/tricycle for collection of waste (yes/no) Whether handcart / tricycle is containerized (yes/no) Whether the collection tool synchronizes with collection/ waste storage containers utilized (yes/no)	
15.	Secondary Waste Storage facilities No. and type of waste storage depots in the city/town Open waste storage sites Masonry bins Cement concrete cylinder bins Dhalao/covered rooms/space Covered metal/plastic containers Upto 1.1 m³ bins 2 to 5 m³ bins Above 5m³ containers Bin-less city No. Capacity in m³ Bin/ population ratio Ward wise details of waste storage depots (attach) : Ward No: Area: Population: No. of bins placed Total volume of bins placed Total storage capacity of waste storage facilities in cubic meters	
16.	Total waste actually stored at the waste storage depots daily Give frequency of collection of waste from the depots Number of bins cleared	Frequency No. of Bins Alternate day Twice a week Once a week

		Occasionally
17.	Whether storage depots have facility for storage of segregated waste in green, blue and black bins	Yes/ No (if yes, add details) No. of green bins: No. of blue bins: No. of black bins:
18.	Whether lifting of solid waste from storage depots is manual or mechanical. Give percentage	(%) of Manual Lifting of Solid Waste (%) of Mechanical lifting
19.	If mechanical – specify the method used Whether solid waste is lifted from door to door and transported totreatment plant directly in a segregated form	front-end loaders/ Top loaders Yes/ No (if yes, specify)
20.	Waste Transportation per day Type and Number of vehicles used (pl tick or add) Animal cart Tractors Non tipping Truck Tipping Truck Dumper Placers Refuse collectors Compactors Others JCB/loader Frequency of transportation of waste	No. Trips made waste transported Frequency (%) of waste transported Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally
21.	Quantity of waste transported each day Percentage of total waste transported daily % Waste Treatment Technologies used Whether solid waste is processed	/tpd

22.	If yes, Quantity of waste processed daily Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares) Land currently utilized for waste processing Solid waste processing facilities in operation	/tpd
23.	Solid waste processing facilities under construction Distance of processing facilities from city/town boundary Details of technologies adopted Composting , vermi composting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Qty. of residual waste landfilled Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
24.	Bio-methanation Refuse Derived Fuel Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology (give detail) Co-processing	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste Landfilled Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Qty. raw material processed

25.	Combustible waste supplied to cement plant Combustible waste supplied to solid waste based power plants Others	
26.	Solid waste disposal facilities No. of dumpsites sites available with the local body No. of sanitary/ operational landfill sites available with the local body Area of each such sites available for waste disposal	
27.	Area of land currently used for waste disposal Distance of dumpsite/landfill facility from city/town (kms) Distance from the nearest habitation (kms) Distance from water body (kms) Distance from state/national highway Distance from Airport kms Distance from important religious places or historical monument kms Whether it falls in flood prone area	
28.	Whether it falls in earthquake fault line area Yes/No Quantity of waste landfilled each day tpd Whether landfill site is fenced	
29.	Whether Lighting facility is available on site Yes / No Whether Weigh bridge facility available Yes / No Vehicles and equipments used at landfill (specify) Bulldozer, Compacters etc. available Manpower deployed at landfill site	
30.	Whether covering is done on daily basis Yes/No If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill Cover material used	
31.	Whether adequate covering material is	Yes/No

	available Yes/No Provisions for gas venting provided Yes/No, (if yes, attach technical data sheet) Provision for leachate collection	Yes/No, (if yes, attach technical data sheet) Yes/No, (if yes, attach technical data sheet)
32.	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city	Yes/No (if Yes attach Action Plan details)
33.	What separate provisions are made for : Dairy related activities : Slaughter houses waste : C&D waste (construction debris) :	Attach details on Proposals, Steps taken, Yes/No Yes/No Yes/No
34.	Details of Post Closure Plan	Attach Plan
35.	How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :	Yes/ No (if Yes, attach details)
36.	Give details of manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste	
37.	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules	
38.	Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies.	

Dated :

Signature of operator

Place:

Form – IV**[see Chapter VII, Rule 18(30) and Rule 19 (xiv)]****Format for annual report on solid waste management to be submitted by the local body****CALENDAR YEAR:****DATE OF SUBMISSION OF REPORT:**

1.	Name of the City/Town and State	
2.	Population	
3.	Area in sq. kilometers	
4.	Name & Address of the local body Telephone No. Fax No. E-mail:	
5.	Name of officer in-charge dealing with solid waste management (Solid Waste) Phone No: Fax No: E-mail: Details of Solid Waste Management Cell No. of Staff:	
6.	Number of households in the city/town , Number of non-residential premises in the city Number of election/ administrative wards in the city/town	
7.	Quantity of Solid waste Estimated Quantity of solid waste generated in the local body area per day in metric tones Quantity of solid waste collected per day (tpd) Per capita waste collected per day (/gm/day) Quantity of solid waste processed (tpd) Quantity of solid waste disposed at dumpsite/landfill (tpd)	
8.	Status of Solid Waste Management (SWM) service Segregation and storage of waste at source Whether solid waste is stored at source in domestic/commercial/institutional bins Percentage of households practice storage of	

	waste at source in domestic bins Percentage of non-residential premises practice storage of waste at source in commercial /institutional bins Percentage of households dispose of throw solid waste on the streets Percentage of non-residential premises dispose of throw solid waste on the streets Whether solid waste is stored at source in a segregated form If yes, Percentage of premises segregating the waste at source Door to Door Collection of solid waste	
9.	Whether door to door collection (D2D) of solid waste is being done in the city/town	
10.	if yes Number of wards covered in D2D collection of waste No. of households covered No. of non-residential premises including commercial establishments ,hotels, restaurants educational institutions/ offices etc covered Percentage of residential and non-residential premises covered in door to door collection through : Motorized vehicle Containerized tricycle/handcart Other device	
11.	If not, method of primary collection adopted Sweeping of streets Length of roads, streets, lanes, bye-lanes in the city that need to be cleaned	
12.	Frequency of street sweepings and percentage of population covered Tools used Manual sweeping (%) Mechanical sweeping (%) Whether long handle broom used by sanitation workers (yes/no) Whether each sanitation worker is given handcart/tricycle for collection of waste (yes/no) Whether handcart / tricycle is containerized	Frequency Daily/Alternate days/twice a week/occasionally % of population

	(yes/no) Whether the collection tool synchronizes with collection/ waste storage containers utilized (yes/no)	
13.	Secondary Waste Storage facilities No. and type of waste storage depots in the city/town Open waste storage sites Masonry bins Cement concrete cylinder bins Dhalao/covered rooms/space Covered metal/plastic containers Upto 1.1 m³ bins 2 to 5 m³ bins Above 5m³ containers Bin-less city No. Capacity in m³ Bin/ population ratio Ward wise details of waste storage depots (attach) : Ward No: Area: Population: No. of bins placed Total volume of bins placed Total storage capacity of waste storage facilities in cubic meters	
14.	Total waste actually stored at the waste storage depots daily Give frequency of collection of waste from the depots Number of bins cleared	Frequency No. of Bins Alternate day Twice a week Once a week Occasionally
15.	Whether storage depots have facility for storage of segregated waste in green, blue and black bins	Yes/ No (if yes, add details) No. of green bins: No. of blue bins: No. of black bins:

16.	Whether lifting of solid waste from storage depots is manual or mechanical. Give percentage	(%) of Manual Lifting of Solid Waste (%) of Mechanical lifting
17.	If mechanical – specify the method used Whether solid waste is lifted from door to door and transported to treatment plant directly in a segregated form	front-end loaders/ Top loaders Yes/ No (if yes, specify)
18.	Waste Transportation per day Type and Number of vehicles used (pl tick or add) Animal cart Tractors Non tipping Truck Tipping Truck Dumper Placers Refuse collectors Compactors Others JCB/loader Frequency of transportation of waste	No. Trips made waste transported Frequency (%) of waste transported Daily Alternate day Twice a week Once a week Occasionally
19.	Quantity of waste transported each day Percentage of total waste transported daily % Waste Treatment Technologies used Whether solid waste is processed	/tpd
20.	If yes, Quantity of waste processed daily Land(s) available with the local body for waste processing (in Hectares) Land currently utilized for waste processing Solid waste processing facilities in operation No. and capacity of Mechanical MRF	/tpd

	Facilities No. Capacity (MT) Waste segregated (MT) No. and capacity of Manual MRF Facilities No. Capacity (MT) Waste segregated (MT)	
21.	Solid waste processing facilities under construction Distance of processing facilities from city/town boundary Details of technologies adopted Composting , vermi composting	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Qty. of residual waste landfilled Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled
22.	Bio-methanation Refuse Derived Fuel Waste to Energy technology such as incineration, gasification, pyrolysis or any other technology (give detail) Number and capacity of Operational Waste to energy Plants	Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste landfilled Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Quantity of residual waste Landfilled Qty. raw material processed Qty. final product produced Qty. sold Qty. raw material processed

	Name and address with EPR registration number, Capacity (MT), Plastic Waste processed (MT), Energy produced Number and capacity of operational wastes to Oil units Name and address with EPR registration number, Capacity (MT), Waste processed (MT), Oil generated	
23.	Combustible waste supplied to cement plant Combustible waste supplied to solid waste based power plants Others	
24.	Solid waste disposal facilities No. of dumpsites sites available with the local body No. of sanitary/ operational landfill sites available with the local body Area of each such sites available for waste disposal Quantity of inert material disposed (MT) from recyclers and other waste processor in sanitary/ operational landfill	
25.	Area of land currently used for waste disposal Distance of dumpsite/landfill facility from city/town (kms) Distance from the nearest habitation (kms) Distance from water body (kms) Distance from state/national highway Distance from Airport kms Distance from important religious places or historical monument kms Whether it falls in flood prone area	
26.	Whether it falls in earthquake fault line area Yes/No Quantity of waste landfilled each day tpd Whether landfill site is fenced Scientific Landfill site (number and capacity)	

	N. Capacity (MT) Waste received (MT)	
27.	Legacy waste site (number and amount of legacy waste) No. Waste present (MT) Waste processed to RDF (MT) Solid waste in RDF (%) Waste remaining (MT)	
28.	Whether Lighting facility is available on site Yes / No Whether Weigh bridge facility available Yes / No Vehicles and equipments used at landfill (specify) Bulldozer, Compacters etc. available Manpower deployed at landfill site	
29.	Whether covering is done on daily basis Yes/No If not, Frequency of covering the waste deposited at the landfill Cover material used	
30.	Whether adequate covering material is available Yes/No Provisions for gas venting provided Yes/No, (if yes, attach technical data sheet) Provision for leachate collection	Yes/No Yes/No, (if yes, attach technical data sheet) Yes/No, (if yes, attach technical data sheet)
31.	Whether an Action Plan has been prepared for improving solid waste management practices in the city	Yes/No (if Yes attach Action Plan details)
32.	What separate provisions are made for : Dairy related activities : Slaughter houses waste : C&D waste (construction debris) :	Attach details on Proposals, Steps taken, Yes/No Yes/No Yes/No
33.	Details of Post Closure Plan	Attach Plan
34.	How many slums are identified and whether these are provided with Solid Waste Management facilities :	Yes/ No (if Yes, attach details)
35.	Give details of manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste	

36.	Give details of: Contractor/ concessionaire's manpower deployed for collection including street sweeping, secondary storage, transportation, processing and disposal of waste Details of human resource including waste pickers in informal sector (concessionaire or own resource) deployed for - Collection - Street sweeping - Transportation - Segregation - Processing - disposal (ii) Details of waste pickers engaged in solid waste management (ward wise) No. of waste pickers	
37.	Mention briefly, the difficulties being experienced by the local body in complying with provisions of these rules	
38.	Mention briefly, if any innovative idea is implemented to tackle a problem related to solid waste, which could be replicated by other local bodies.	
39.	ENFORCEMENT OF Solid Waste Management Rules	
40.	Please confirm if Bye- laws have been framed (Yes/No)	
41.	No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of SWM Rules, 2016	
42.	Total no of Violations (eg. Burning/ Littering waste)	
43.	Actions Taken (Fines/penalties Imposed Rs.)	
44.	Data on ingress of littered solid waste in water bodies	

	Ingress points for solid waste in Drain and Water Body Number of ingress points Measures taken to stop ingress of solid waste Surface water bodies including river stretches Number of surfaces water bodies Quantity of waste collected Number of drains cleaned from solid waste Total length of drains Total length of drains cleaned from solid waste Solid waste collected (MT) Silt collected	
--	--	--

Signature of CEO/Municipal Commissioner/
Executive Officer/Chief Officer

Date:

Place:

Form – V

[see Chapter VI, Rule 4]

Format of annual report to be submitted by the state pollution control board or pollution control committee committees to the central pollution control board

PART A

To,

The Chairman

Central Pollution Control Board

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar

DELHI- 110 0032

1	Name of the State/Union territory	
2	Name & address of the State Pollution Control	
3	Number of local bodies responsible for management of solid waste in the State/Union territory under these rules	

4	No. of authorisation application Received	
5	Details of Solid Waste Management (State Level) Collection Segregation Processing Disposal	
6	Summary of the mechanisms put in place for management of solid waste in your State/UT along with the details of agencies involved (Please attach the details)	
7	Please attach details of infrastructure put in place for management of solid waste generated in your State/UT	
8	Total no. of MRF Facilities No. of Mechanical MRF Facilities with capacity No. of Manual MRF Facilities with capacity	
9		
10	A Summary Statement on progress made by local body in respect of solid waste management	Please attach as Annexure-I
11	A Summary Statement on progress made by local bodies in respect of waste collection, segregation, transportation and disposal	Please attach as Annexure-II
12	A summary statement on progress made by local bodies in respect of implementation of Schedule II	Please attach as Annexure-III
i.	Date: Place:	Chairman or the Member Secretary State Pollution Control Board/ Pollution Control Committee

Total Numbers of the Urban Local Bodies (ULBs) in the area under jurisdiction	
No. of ULBs who have submitted Annual Report	
Total Numbers of the Gram Panchayat (GPs) in the area under jurisdiction	
Total number of Panchayati Raj institution at District Level	
No. of Panchayati Raj institution at District Level who have submitted annual report	
Please confirm that all GPs/ULBs have provided complete information in stipulated time as per format prescribed by CPCB (Yes/No)	
Please provide no. of ULBs/GPs which have not submitted complete information within the stipulated time frame	
Please provide total amount of EC levied on PRI at District Level / ULBs who have not submitted annual report as per prescribed timelines under the rules	
Quantity of Solid Waste generated (Tonnes)	
Quantity of Solid Waste collected (Tonnes)	
Solid Waste Segregated (Tonnes)	
Please confirm that all Local Bodies/ GPs have carried out Assessment of Solid Waste Generation & Characterization as per methodology specified by CPCB (Yes/No)	

Please upload Solid Waste Characterization Report as per methodology specified by CPCB								
Please confirm that data validation and reconciliation for ULB and PRI at District Level has been done as per methodology specified by CPCB (Yes /No)								
EPR Implementation								
Total Number of LBs registered on EPR (To be autofetched from EPR portal)								
Details of Waste Processors (To be auto fetched from EPR Portal)								
Name	Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil)	Registration No	Processing Capacity (TPA)					
Waste Processed through WPs (TPA)								
Type (Recycler/Coprocessors/Waste to Energy/Waste to Oil/)								
Audit & Levying of Environmental Compensation (EC) (To be auto fetched from the EPR Portal)								
No. of Entities (PIBOs/PWPs) audited								
No. of Entities (PIBOs/PWPs) found in violation								
EC levied on violating Entities (PIBOs/WPs)								
ENFORCEMENT OF SWM RULES								
No. of LBs which have framed bye-laws								
No. of violations & action taken on non-compliance of provisions of SWM Rules, 2016, as amended, 2018 (Rule 12)								
Total no. of violations (Burning/ Littering/non-registration and other non-compliance)								
Action Taken (Fine Imposed / Closures issued)								

PART B

Towns/cities

Total number of towns/cities

Total number of LBs

Number of class I & class II cities/towns

Authorisation status (names/number)

Number of applications received

Number of authorisations granted

Authorisations under scrutiny

SOLID WASTE Generation status

Solid waste generation in the state (TPD)
collected

treated

landfilled

Compliance to Schedule I of SW Rules (Number/names of towns/capacity)

Good practices in cities/towns

House-to-house collection

Segregation

Storage

Covered transportation

Processing of SW (Number/names of towns/capacity)

Solid Waste processing facilities setup:

Sl. No	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF/Pelletization	Biomethenation
--------	------------	------------------	--------	-------------------	----------------

Processing facility operational:

Sl. No	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF/Pelletization	Biomethenation
--------	------------	------------------	--------	-------------------	----------------

Processing facility under installation/planned:

Sl. No	Composting	Vermi-composting	Biogas	RDF/Pelletization	Biomethenation
--------	------------	------------------	--------	-------------------	----------------

Waste-to-Energy Plants: (Number/names of towns/capacity)

Sl. No	Plant Location	Status of operation	Power generation (MW)	Remarks
--------	----------------	---------------------	-----------------------	---------

Disposal of solid waste (number/names of towns/capacity):

Landfill sites identified

Landfill constructed

Landfill under construction

Landfill in operation

Landfill exhausted

Landfilled capped

Solid Waste Dumpsites (number/names of towns/capacity):

Total number of existing dumpsites

Dumpsites reclaimed/capped

Dumpsites converted to sanitary/ operational landfill

Monitoring at Waste processing/Landfills sites

Sl.No	Name of Facilities	Ambient air	Ground water	Leachate quality	Compost quality	VOCs

Status of Action Plan prepared by Municipalities

Total number of municipalities:

Number of Action Plan submitted

Form – VI

[see Chapter VI, Rule 6]

Accident Reporting

1	Date and time of accident	
2	Sequence of events leading to accident	
3	The waste involved in accident	
4	Assessment of the effects of the accidents on human health and the environment	
5	Emergency measures taken	
6	Steps taken to alleviate the effects of accidents	
7	Steps taken to prevent the recurrence of such an accident	
ii.	Date: Place:	Signature:..... Designation:

[F. No 18/3/2022-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl, Secy.